



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

# मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



हिमाचल प्रदेश सरकार  
2025 का प्रतिवेदन संख्या 4  
(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)



**मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**हिमाचल प्रदेश सरकार  
2025 का प्रतिवेदन संख्या 4  
(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)**



## अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	///	
विहंगावलोकन	v	
<b>अध्याय I: सामान्य</b>		
परिचय	1.1	1
हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में	1.2	1
राज्य सरकार की रूपरेखा	1.3	3
लेखापरीक्षा प्राधिकार	1.4	5
लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	5
आभार	1.6	9
<b>अध्याय II: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्थागत अंतराल व शैक्षणिक कमियां</b>		
<b>हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय</b>		
परिचय	2.1	11
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	12
लेखापरीक्षा मानदंड	2.3	12
लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	2.4	13
पूर्व विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई	2.5	14
योजना व विजन दस्तावेज	2.6	14
संकाय संसाधन व विकास	2.7	16
बुनियादी ढांचे की उपलब्धता	2.8	20
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत तंत्र	2.9	24
अनुसंधान गतिविधियां	2.10	28
निष्कर्ष	2.11	32
अनुशंसाएं	2.12	33
<b>अध्याय III: हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों का विनियमन (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित)</b>		
<b>उद्योग विभाग</b>		
परिचय	3.1	35
भारत में प्रमुख व गौण खनिजों के लिए नियामक ढांचा	3.2	36
संगठनात्मक ढांचा	3.3	37
खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति	3.4	37
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.5	38
लेखापरीक्षा मानदंड	3.6	39
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	3.7	39

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
खनिज संसाधनों की योजना एवं अनुमान	3.8	40
खनिज संसाधनों का खनन एवं निष्कर्षण	3.9	42
खनन गतिविधियों की निगरानी एवं विनियमन	3.10	44
खनिज रियायतों से राजस्व की कम वसूली	3.11	54
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन/ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यकरण	3.12	57
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	3.13	73
निष्कर्ष	3.14	75
अनुशंसाएं	3.15	75
<b>अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं का निष्पादन</b>		
<b>जल शक्ति विभाग</b>		
परिचय	4.1	77
लेखापरीक्षा उद्देश्य	4.2	78
लेखापरीक्षा मानदंड	4.3	78
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	4.4	79
लघु सिंचाई योजनाओं की योजना, निष्पादन व रखरखाव	4.5	80
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	4.6	95
वित्तीय प्रबंधन	4.7	96
निष्कर्ष	4.8	103
अनुशंसाएं	4.9	104
<b>अध्याय V: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग</b>		
<b>राजस्व विभाग</b>		
परिचय	5.1	107
संगठनात्मक ढांचा	5.2	107
लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	5.3	108
निधियों का आवंटन, उन्हें जारी करना एवं उनका उपयोग	5.4	109
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत आयोजना, तैयारी एवं क्षमता निर्माण	5.5	125
निष्कर्ष	5.6	136
अनुशंसाएं	5.7	137
<b>अध्याय VI: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी</b>		
<b>हिमाचल प्रदेश वन विभाग</b>		
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधियों की अल्प वसूली	6.1	139
<b>परिशिष्ट</b>		<b>143</b>

## प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा के वे दृष्टांत वर्णित हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2022-23 के पश्चात् की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी, जहां भी आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।





विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में उद्योग विभाग, जल शक्ति विभाग, राजस्व विभाग एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में चार विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं एक स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी समाविष्ट है। प्रतिवेदन को निम्नलिखित छः अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

### अध्याय I - सामान्य

इस अध्याय में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया सम्मिलित है।

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

### अध्याय II - हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्थागत अंतराल व शैक्षणिक कमियां

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए “हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्थागत अंतराल व शैक्षणिक कमियां” विषय पर लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई कि क्या : संकाय की उपलब्धता, पाठ्यक्रम व संकाय विकास की प्रक्रिया मानदंडों के तहत निर्धारित की गई थी; उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मौजूद था; तथा अनुसंधान गतिविधियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीति के अनुसार थीं।

वर्ष 2020-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 27-37 प्रतिशत तक संकाय की कमी रही, जिसके कारण कार्यभार में वृद्धि हुई तथा छात्रों को मार्गदर्शन देने की क्षमता सीमित हो गई। संकाय की कमी के मुद्दे को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी रेखांकित किया गया। लोक लेखा समिति में चर्चा के दौरान (जुलाई 2020) विभाग ने बताया कि संकाय पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। हालांकि, वर्ष 2020-23 के दौरान यह कमी लगातार गंभीर बनी रही।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक अयोग्य सहायक प्राध्यापक तथा एक अतिथि संकाय की नियुक्ति करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन किया। इसके

अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-23 के दौरान की गई 186 नियुक्तियों के संबंध में ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्रों, शैक्षणिक योग्यताओं तथा अन्य सहायक दस्तावेजों का संबंधित जारीकर्ता अधिकारियों से सत्यापन नहीं कराया, क्योंकि ऐसे किसी भी सत्यापन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए (दिसंबर 2023)। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान चयनित इकाइयों/विभागों से मात्र 8-16 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षकों ने ही व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे कौशल उन्नयन में बाधा उत्पन्न हुई।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था, केवल छह विभागों (20 में से) में 100 प्रतिशत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम कक्षाएं थीं, केवल 51 प्रतिशत कक्षाएं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम थीं तथा स्मार्ट कक्षाओं के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत छात्र संतुष्टि थी। रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान व जैव विज्ञान की विज्ञान प्रयोगशालाओं में 36-79 प्रतिशत उपकरणों की कमी थी, जबकि ₹1.99 करोड़ की कुल लागत से खरीदे गए तीन भौतिकी उपकरण (स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर) क्रमशः 2015, 2017 व 2021 से खराब रखरखाव के कारण अकार्यात्मक रहे। ₹11.19 करोड़ की लागत वाले एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के 37 में से 30 मॉड्यूल सितंबर 2023 तक अकार्यात्मक रहे, क्योंकि उनका उपयोग नहीं किया गया था तथा उनमें बदलाव/संशोधन की आवश्यकता थी, जिससे शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाधित हुईं।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड पुनर्गठन के लिए लंबित थे, जिसमें दो से 26 माह तक का विलंब था तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में मार्च 2023 तक 24 माह के विलंब के बाद भी एक अध्ययन बोर्ड पुनर्गठन के लिए लंबित था। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में गठित 64 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में 85 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों व प्राचार्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना सृजित किए गए थे। कुल 86 पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम (क्लिनिकल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) में पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद से पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया, जबकि 13 पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम को एक से 19 वर्ष के विलंब के साथ संशोधित किया गया। 30 चयनित इकाइयों/विभागों में जहां संशोधन की आवश्यकता थी, 22 ने संशोधन किया था। हालांकि, इन 22 इकाइयों/विभागों में से 21 में, छात्रों या शिक्षकों से फीडबैक लिए बिना ही पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली; कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र; और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं किया गया।

चयनित विभागों में वर्ष 2020-23 के दौरान औसतन 214 संकाय सदस्यों द्वारा केवल 21 अनुसंधान प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए, प्रति शिक्षक लगभग 0.1 प्रोजेक्ट की निम्न अनुसंधान संलग्नता दर को दर्शाते थे, जो अधिकतम स्कोर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निर्धारित दो के मानक से कम था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान गतिविधियां केवल लघु अनुसंधान कार्यों तक ही सीमित रहीं, क्योंकि पूर्ण किए गए 15 प्रोजेक्ट (71.42 प्रतिशत) लघु अनुसंधान प्रोजेक्ट थे। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों से जुड़े नमूना-जांचित विभागों में केवल 20 पेटेंट प्रदान किए गए थे।

16 में से 11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठें उनकी अधिसूचना जारी होने के एक से 25 वर्षों की अवधि गुजर जाने के बाद भी अकार्यात्मक बनी रहीं, वहीं, पांच में से चार कार्यात्मक पीठें, जो जून 2011 से दिसंबर 2012 के बीच कार्यशील हुईं, ने अपनी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्य किया, जिससे अनुसंधान की प्रगति तथा शैक्षणिक विमर्श व सार्वजनिक नीति में विश्वविद्यालय के योगदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 2020-23 के दौरान उद्योगों के साथ किए गए 24 समझौता ज्ञापनों में से केवल पांच ही कार्यात्मक थे, जिससे छात्रों के प्लेसमेंट व सहयोग के अवसरों में कमी आई।

संकाय संसाधनों, बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक सुधारों, अनुसंधान व शासन तंत्र में मौजूद इन चुनौतियों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को काफी प्रभावित किया, संस्थान के उच्च शिक्षा के घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के मानकों को पूर्ण करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी।

*राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:*

- (i) दो-वर्षीय संकाय योजना को अपनाकर संकाय कमी को दूर करना तथा क्षमता को बढ़ाना (क) वर्तमान 27-37 प्रतिशत रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए तीव्र गति से भर्ती करे (ख) नियुक्ति से पूर्व प्रत्येक प्रमाण-पत्र का डिजिटल सत्यापन आवश्यक करें तथा (ग) पदोन्नति वेतन वृद्धि को प्रत्येक वर्ष एक मान्यता प्राप्त व्यावसायिक-विकास कार्यक्रम पूर्ण करने से जोड़े।
- (ii) प्रत्यायोजित व्यय शक्तियों के साथ एक बुनियादी ढांचा बहाली कार्य बल का गठन करके मुख्य शिक्षण व अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बहाल करना (क) सभी उच्च-मूल्य वाले प्रयोगशाला उपकरणों को उपयोगी बनाना (ख) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम कक्षाओं को वर्तमान 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना तथा (ग) 18 माह के

भीतर सभी 37 उद्यम संसाधन योजना माँड्यूलों को पूर्णतः कार्यात्मक बनाना, परीक्षा, शोध-प्रबंधन और प्लेसमेंट माँड्यूलों को प्राथमिकता देना जो सीधे तौर पर शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एक रिंग-फेंसड रखरखाव बजट - जो प्रायोजित परियोजनाओं पर पहले से ही स्वीकृत पांच प्रतिशत ओवरहेड से आहरित किया गया हो - बाद में परिसंपत्तियों को उपयोग योग्य बनाए रखेगा।

(iii) शैक्षणिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव जारी करके एक निश्चित कैलेंडर पर पाठ्यक्रम शासन को पुनः सक्रिय करना (क) अगले सेमेस्टर की शुरुआत तक पूर्ण वैधानिक प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्येक अध्ययन बोर्ड का पुनर्गठन करे, (ख) संरचित हितधारक प्रतिक्रिया पर आधारित एक तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम समीक्षा चक्र निर्धारित करे तथा (ग) 2026-27 सत्र से शेष सभी कार्यक्रमों में चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाने का कार्य पूर्ण करे। कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक "पाठ्यक्रम स्थिति रिपोर्ट" के माध्यम से अनुपालन पर नज़र रखी जा सकती है।

(iv) ग्यारह निष्क्रिय शैक्षणिक पीठों और निष्क्रिय समझौता ज्ञापनों को विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं आउटरीच प्रकोष्ठ में विलय करके सार्थक परिणाम हेतु मापनीय आउटपुट के लिए अनुसंधान पीठों और साझेदारियों को सक्रिय करें, (i) प्रत्येक पीठ को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित समन्वयक और मामूली प्रारंभिक अनुदान के साथ पुनः आरंभ करे, (ii) प्रत्येक समझौता ज्ञापन को समयबद्ध कार्य योजना (इंटरनशिप, संयुक्त परियोजनाएं या सलाहकार सेवाएं) में परिवर्तित करे, और (iii) तीन वर्षों के भीतर प्रत्येक पांच संकाय सदस्यों के लिए एक बाह्य वित्तपोषित परियोजना का लक्ष्य रखें जो - राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। विभागों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए प्रगति को वार्षिक शोध रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

## उद्योग विभाग

### अध्याय III - हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों का विनियमन (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित)

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों के विनियमन की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या: गौण खनिजों का मितव्ययी, कुशल तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन किया गया; रियायतों को प्रदान करना, नवीनीकरण, समाप्ति व अभ्यर्पण अधिनियमों/नियमों के अनुसार किया गया; अवैध खनन को रोकने और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए; खनिज रियायतों

से राजस्व की उचित वसूली की गई; तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन कुशलता से एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यक्रम दक्षता से किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में हिमाचल प्रदेश के खनन क्षेत्र का योगदान स्थिर तथापि उतार-चढ़ाव वाला रहा, इस अवधि के दौरान ₹ 1,236.66 करोड़ के कुल योगदान में से वर्ष 2018-19 में ₹ 221.04 करोड़ (कर-भिन्न प्राप्तियों का 7.81 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 286.34 करोड़ (9.97 प्रतिशत) हो गया।

खनिज उत्खनन को आर्थिक, कुशल एवं उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ संचालित किए जाने की स्थिति की जांच करते हुए लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए उनकी कार्यालय नियम-पुस्तिका में निर्धारित वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की। इन वर्ष-वार रोडमैप के अभाव में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत सांविधिक निरीक्षण, रॉयल्टी आकलन एवं परियोजना के न्यूनतम मानदंडों को व्यवस्थित ढंग से नहीं देखा जा सका। इसी भांति, चार नमूना जिलों में राज्य के खनिज भंडारों की कोई वैज्ञानिक रूप से व्युत्पन्न व्यापक सूची कभी समेकित नहीं की गई, जो राष्ट्रीय एवं राज्य नीति के तहत अपेक्षित थी, जिससे खनिज अन्वेषण, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और राजस्व जुटाने हेतु साक्ष्य-आधारित योजना प्रभावित हुई।

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खनिज रियायत आवेदनों पर प्रक्रिया करने में विलम्ब हुआ। समीक्षा अवधि के दौरान निपटान किए गए 73 आवेदनों में से 14 आवेदनों का निर्णय प्राप्ति की तिथि से निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के बाद 71 से 1,184 दिनों के विलम्ब से किया गया।

प्रवर्तन तंत्र जमीनी स्तर पर अपर्याप्त सिद्ध हुआ। सांविधिक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बावजूद केंद्रीय उड़न दस्ता कार्यरत नहीं था, खनिज परिवहन की जीपीएस आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जिला-स्तरीय टास्क फोर्स गठित नहीं की गई, गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली कार्यशील नहीं थी तथा महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त बने हुए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अवैध या अनधिकृत खनन के 40,000 से अधिक मामलों का पता चला, जिनमें से केवल वर्ष 2022-23 में ही पुलिस विभाग द्वारा 8,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। चयनित चार जिलों में वर्ष 2023-24 के प्रवर्तन अभिलेखों की समीक्षा में गौण खनिजों के विनियमन हेतु राज्य के नियंत्रण ढांचे में व्यापक कमियां परिलक्षित हुईं। वर्ष 2018-23 के दौरान निरीक्षण लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के मध्य निरंतर व बढ़ा अंतर बना रहा। बिलासपुर व ऊना जिलों में

सभी स्तरों पर निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम की तुलना में 19 से 94 प्रतिशत तक कमी रही, जबकि शिमला व सोलन में संबंधित खनन अधिकारियों ने कोई निरीक्षण डेटा प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा में 10 पट्टों के आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से प्राप्त भू-स्थानिक आउटपुट की समीक्षा की गई एवं चार जिलों में फैली 26 खदानों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। यह पाया गया कि भू-स्थानिक रूप से जांचित 10 स्थलों में से सात में एवं निरीक्षित 26 स्थलों में से 21 में स्थायी सीमांकन उपलब्ध नहीं था। पर्वतीय ढलानों पर स्थित पट्टों में, किसी भी संचालक ने अनिवार्य बफर पट्टी नहीं बनाई थी तथा खुदाई पट्टों की सीमाओं तक पहुंच रही थी या उसे पार कर रही थी। इसके अतिरिक्त छः पट्टों में उनके स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर सामग्री का उत्खनन किया जा रहा था।

राजस्व नियंत्रण भी कमजोर था। वर्ष 2018-23 के दौरान तीन जिलों में 131 सक्रिय पट्टों में से 71 पट्टों के विद्युत-आधारित उत्पादन डेटा के साथ रॉयल्टी प्राप्तियों का मिलान करने पर लेखापरीक्षा में 27 पट्टों में ₹ 1.81 करोड़ की कमी जात हुई। इसके अतिरिक्त, विलम्ब से मांग करने एवं अनुवर्ती कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 74.81 लाख (चार पट्टों में) का निर्धारित किराया व ब्याज तथा ₹ 7.27 लाख (14 पट्टों में) के सतही किराए की वसूली नहीं की गई। इसके साथ ही एक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट कोष का रजिस्टर तक अनुरक्षित नहीं किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों द्वारा रखी गई निधियों का उपयोग भी कम रहा और इसमें शासन संबंधी कमियां देखी गईं।

नमूना-जांचित चार जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को प्राप्त ₹ 239.21 करोड़ की राशि में से मात्र ₹ 86.56 करोड़ (36.18 प्रतिशत) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत किए गए एवं मात्र ₹ 47.03 करोड़ (19.66 प्रतिशत) ही कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए।

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के अनुसार, प्रत्येक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को खनन गतिविधियों से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों एवं जनता, दोनों का एक अद्यतन रजिस्टर संकलित एवं अनुरक्षित करना अपेक्षित है। तथापि सोलन व ऊना जिलों में जुलाई 2024 तक न तो प्रभावित क्षेत्र और न ही प्रभावित व्यक्ति चिह्नित करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई। बिलासपुर व शिमला में प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण क्रमशः 62 व 59 माह के विलम्ब के बाद केवल वर्ष 2021-22 में किया गया, फिर भी प्रभावित व्यक्तियों की गणना अब भी लंबित थी।



₹ 86.56 करोड़ के कुल स्वीकृत 281 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यों में से 20 कार्य निरस्त कर दिए गए, जिससे 261 परियोजनाएं ऐसी बचीं जिनका कार्यान्वयन होना चाहिए था। हालांकि प्रगति अपर्याप्त बनी रही: जुलाई 2024 तक केवल 51 कार्य (20 प्रतिशत) पूर्ण हुए, जबकि 210 कार्य (80 प्रतिशत) अपूर्ण रह गए। इसके अतिरिक्त, चयनित चार जिलों में स्वीकृत ₹4.59 करोड़ लागत के 14 कार्य हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संशोधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणियों के बाहर से लिए गए।

इसके अतिरिक्त चार जिलों (बिलासपुर, शिमला, सोलन व ऊना) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में विकास निधि का 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों व 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करने की अनिवार्यता का अनुपालन न करना उजागर हुआ, जो हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के वर्ष 2020 के संशोधन में अनिवार्य किया गया था। अक्टूबर 2020 व मार्च 2023 के मध्य ₹ 64.81 करोड़ की लागत के स्वीकृत 218 कार्यों में से ₹ 26.48 करोड़ (41 प्रतिशत) मूल्य की केवल 59 परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया। इसके विपरीत ₹ 38.33 करोड़ (59 प्रतिशत) मूल्य की 159 परियोजनाएं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत स्वीकृत की गईं, जो 40 प्रतिशत की सांविधिक सीमा से काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटन अनिवार्य 60 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे चला गया।

दो जिलों (शिमला व सोलन) में 68 प्रतिशत से अधिक परियोजना प्रस्ताव बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अस्वीकृत कर दिए गए। ग्राम पंचायत सोलग जुरासी के लिए समान पाइप जल आपूर्ति योजना हेतु दोहरा वित्तपोषण देखा गया। किसी भी ट्रस्ट के पास उसकी सांविधिक वेबसाइट नहीं थी और न ही उन्होंने वार्षिक बजट व वार्षिक लेखे तैयार किए थे।

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत सृजित परिसंपत्तियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में 1,082 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि 96 प्रतिशत लाभार्थी इस योजना एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के विषय में अनभिज्ञ थे और 99 प्रतिशत लाभार्थियों को यह जानकारी भी नहीं थी कि उनके गांव को इस योजना के अंतर्गत “प्रभावित गांव” व “प्रभावित व्यक्ति” की सूची में शामिल किया गया है। अठहत्तर प्रतिशत लाभार्थियों ने उल्लेख किया कि बुनियादी सेवाओं की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी प्रतिनिधि द्वारा उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया था। वहीं दूसरी ओर, सर्वेक्षण में शामिल 85 प्रतिशत लाभार्थी विद्यालयों की उपलब्धता से, 68 प्रतिशत अस्पतालों से, 63 प्रतिशत जलापूर्ति योजनाओं से, 75 प्रतिशत कौशल विकास सुविधाओं से तथा 91 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति से संतुष्ट पाए गए।

कुल मिला कर ये निष्कर्ष आयोजना, पट्टा प्रबंधन, प्रवर्तन, राजस्व संग्रहण व निधियों के उपयोग में प्रणालीगत कमियों को परिलक्षित करते हैं। जब तक विभाग वार्षिक कार्य योजनाओं को नहीं अपनाता, उसके क्षेत्रीय स्तर के नियंत्रण (जिसमें प्रौद्योगिकी सक्षम निगरानी भी शामिल है) सुदृढ़ नहीं करता, राजस्व मिलान को स्वचालित नहीं करता और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संचालन को पारदर्शिता एवं शासन मानकों के पूर्ण अनुपालन में नहीं लाता, तब तक राज्य के वित्तीय हित व पर्यावरणीय संरक्षण दोनों जोखिम में बने रहेंगे।

राज्य सरकार:

- (i) खनिज रियायत आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करें तथा एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित करें।
- (ii) उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यापक अध्ययन करें तथा हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2013 का पालन करें।
- (iii) नियमित निरीक्षण करें, अपराधों पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करें तथा अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की जब्ती व नीलामी के लिए एक मजबूत तंत्र लागू करें।
- (iv) बकाया खनन राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करें, बकाया निर्धारित किराए व ब्याज की वसूली में तेजी लाएं तथा समय बद्ध अनुपालन हेतु तंत्र को सुदृढ़ करें।
- (v) जिला-विशिष्ट जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट वेबसाइट स्थापित करें, सही निधि रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करें तथा शासी परिषद् एवं प्रबंधन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।
- (vi) जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करें, खनन निगरानी प्रणाली को लागू करें तथा खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू करें।

## जल शक्ति विभाग

### अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं का निष्पादन

2019-23 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के निष्पादन की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या: योजनाओं/परियोजनाओं के तहत कार्यों का निष्पादन व अनुरक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया गया था; योजनाओं की निगरानी व मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद था तथा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा था; और योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार था।

हलडलकल डुरदलश डें डुरधलनडंनुरी कृषल सलंललई डुडनल व रलकुर डुडनलडुं के तहत लघु सलंललई डुडनलडुं के लेखलडुरीकुषल डें डुडनल, नलषुडलदन व अनुडुरकुषण डें गंभूर खलडुडलडुं उकलगर हुई हैं, कलनुहें नुडुे रेखलंकलत कलडुल गडुल है।

कलललल सलंललई डुडनलडुं व रलकुर सलंललई डुडनलडुं तैडुलर कल गई थुं, कलनडुं 2016-20 के लललल कुल ₹7,602.95 कुरडु कल डुरधलनडंनुरी कृषल सलंललई डुडनल शलडुलल थु, इसडुं हर खेत कु डलनल घतक के लललल ₹ 4,512.16 कुरडु कल डुरलवधलन थल, कु 6,478 डुडनलडुं कु सडुललवलषुत कुरतल थल। हलललंकल 2017-22 के डुूरलन ₹ 804.51 कुरडु कल केवल 129 डुडनलडुं हल सुवलकुत कल गई, कलडुकल 2019-21 के डुूरलन ँक भु डुडनल सुवलकुत नहुं कल गई। 24 नडुनल-कलंकलत डुडनलडुं के लललल वलसुतुत डुरलडुडनल रलडुुरलडुं डें ँवलशुडक सरुवकुषण (20 डें सुथललकुतल, सभु डें भुगडुडुडुडु व 22 डें हलइडुुरललुंकलल) कल ँडुललव थल, कलससे ँडुूरुण डुडनलडुं, डुडनल कलरुडुं कु हलनल व ँडुरुडुडुत कलल ँडुूरुतल हुई।

ँरुथलक वुडुललरुडुतल के लललल ललडु-ललगत अनुडुडलत कु ँलठ नडुनल-कलंकलत डंडलुं कल वलसुतुत डुरलडुडनल रलडुुरलडुं डें शलडुलल तु कलडुल गडुल थल, डुरंतु डुसल डुैतुन व उतुडलदकतल डुर डुैतल कल कडुल के कलरुण डुूरुणतल-डुशकलत इसकल डुूलुडुडुंकन नहुं कलडुल गडुल, कलससे डुल डुूरु डुरकुरलडुल नलषुडुरडुलल हु गई।

2016-20 कल ँवलधल के लललल डुललतुडुल गलंधुी रलषुतुरुडुडु गुरलडुण रुककलर गलरंलु डुडनल के सलथ ँडुलसरण के लललल ₹ 210.24 कुरडु के नलडुुकलत ँवलंतन के डुलवकूद नडुनल-कलंकलत डंडलुं डें ँसल कुई ँकलकुरण नहुं हुलल, कलसके डुरलणलडुसुवरुडु सुथलडुल कलल डुरडुंधन के ँवलसर कुुत गल।

24 नडुनल-कलंकलत डुडनलडुं डें से 14 डें कलल उडुडुगकुरुतल संघुं/कलसलन वलकलस संघुं कल गठन कलडुल गडुल थल, डुरंतु डुे केवल सलत डें कलरुडुतुडुक थे, कलसडुं ँलठ नडुनल-कलंकलत डंडलुं डें डुंकलडुतुी रलकुर संसुथलडुं कु कलल डुरडुंधन डुल डुरलसंडुतल सुुडुने के लललल कुई डलंकल नहुं थल, कु डुल गलगुडलरुी दृषुतुकुण कल कडुल कु इंगलत कुरतल है।

डुरधलनडंनुरी कलसलन सलंललई डुडनल के तहत डुरलडुडनलडुं के अनुडुडन डें डुलरुी ँसडुलनतलडुं देखुी गई, कलसडुं 2017-22 के डुूरलन डंडुी कलले कु अनुडु कललुं कल तुलनल डें ँसडुलन नलधलडुं (हर खेत कु डलनल नलधल कल 60.04 डुरतलशत) तथल कृषल डुुगुड कडुलंड कुषुतुर सुवलकुतलडुं (डुडनलडुदुध कृषल डुुगुड कडुलंड कुषुतुर कल 131.79 डुरतलशत) डुरलडुत हुई।

₹ 488.12 कुरडु कल 723 कडुलंड कुषुतुर वलकलस (रलकुर डुडनल) डुडनलडुं कु डुंकूरी देने के डुलवकूद रलकुर कलल नुतल व रलकुर तकनुीकल सलललहकलर सडुलतल कल अनुशंसलडुं के वलडुरलत कुललई

2023 तक निधियों का आवंटन न करने के कारण कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया।

नमूना-जांचित मंडलों की 163 योजनाओं में से 72 पूर्ण हुईं, जिनमें 31 योजनाएं नौ से 45 माह के विलंब से पूर्ण हुईं तथा 18 योजनाओं में ₹ 8.83 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। चल रही 86 योजनाओं में से 10 योजनाएं तीन से 46 माह के विलंब के बावजूद अपूर्ण रहीं, जिसका मुख्य कारण भूमि विवाद (दो योजनाएं), वन विभाग से स्वीकृति न मिलना (दो योजनाएं) व बिजली आपूर्ति का न होना (एक योजना) था। इसके अतिरिक्त, तीन योजनाओं में ₹ 1.03 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। ₹ 6.94 करोड़ की स्वीकृत शेष पांच योजनाओं के लिए कार्य, स्वीकृति के माह से 11 से 64 माह बीतने के बाद भी प्रारंभ नहीं किए गए थे।

अनियमितताओं में आठ नमूना-जांचित मंडलों की 18 योजनाओं में ₹48.25 करोड़ के कार्यों को विभाजित करना शामिल था, ताकि निविदा का मूल्य ₹ पांच लाख से कम रखा जा सके और ई-निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके, इसके अतिरिक्त ₹ 92.85 करोड़ की 13 योजनाओं (24 में से) के कार्यों के आवंटन में 11 से 66 माह का विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 12 योजनाओं में 12 से 48 माह का समय बढ़ा तथा सात योजनाओं में ₹ 6.62 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, कार्यों में विलंब के लिए ठेकेदारों से ₹ 4.41 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी वसूल नहीं की गई। अकार्यात्मक योजनाओं के लिए निधि व्यपवर्तन (₹ 2.34 करोड़) व परिहार्य मांग शुल्क (₹ 0.94 करोड़) दर्ज किए गए। सामग्री की संदिग्ध चोरी (₹ 6.30 लाख मूल्य का सीमेंट व स्टील) भी देखी गई।

नमूना-जांचित मंडलों में 24 लघु सिंचाई योजनाओं के संयुक्त निरीक्षण से उजागर हुआ कि खराब साइट चयन, सर्वेक्षणों की कमी, वन विभाग से स्वीकृति की अनुपलब्धता तथा बाढ़, भूमि विवाद व बिजली आपूर्ति की विफलता जैसे मुद्दों के कारण योजनाएं निष्क्रिय या अपूर्ण रही, जिससे कुल्लू जिले में ₹ 10.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। लाभार्थी सर्वेक्षणों में आर्थिक स्थिति या फसल पैटर्न पर कम संतुष्टि (जल की मात्रा के साथ 45 प्रतिशत, किसान विकास संघ प्रबंधन के साथ 12 प्रतिशत) व न्यूनतम प्रभाव दर्शाया।

राज्य के भीतर योजना की गतिविधियों के दैनिक समन्वय व प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अंतर-विभागीय कार्य समूह की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुईं, लघु सिंचाई योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई तथा परिसंपत्ति की सूची का अनुरक्षण भी नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं व प्रवाह सिंचाई योजनाओं के लिए अलग से प्रति एकड़ प्रति फसल निर्धारित दर पर अबियाना शुल्क अधिसूचित किया जाता है। इनमें काफी कम संग्रह (₹ 9.79 करोड़ की क्षमता के सापेक्ष ₹ 0.37 करोड़) किया गया था, जिसमें कर्मचारियों

की कमी के कारण ₹ 14.53 लाख के सापेक्ष नमूना-जांचित मंडलों में मात्र ₹ 6.39 लाख संग्रहित किए गए थे।

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा स्वीकृत करने से पूर्व भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक व जल विज्ञान संबंधी जांच सहित व्यापक पूर्व-परियोजना सर्वेक्षण के संचालन को अनिवार्य करे तथा तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण व अव्यवहार्य परियोजनाओं से बचने के लिए प्रमुख अभियंता द्वारा ऐसे तकनीकी मापदंडों का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करवाएं।
- (ii) माइलस्टोन से जुड़े भुगतानों के माध्यम से अनुबंध अनुशासन को कड़ा करके योजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे।
- (iii) लगाए गई परन्तु वसूल न की गई क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए तंत्र बनाना तथा भुगतान किस्तों को प्रबंधन सूचना प्रणाली-सत्यापित लक्ष्यों के साथ जोड़कर समय पर प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन के माध्यम से लागत में वृद्धि को रोकना ताकि जब किसी परियोजना की समाप्ति तिथि का उल्लंघन हो तो परिसमाप्त क्षतिपूर्ति को चालू बिल से सीधे काट लिया जाए।
- (iv) गुणवत्ता आश्वासन उपाय करे तथा परियोजनाओं को पूर्ण घोषित करने से पूर्व लंबित बिजली कनेक्शन, पंपों की स्थापना तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त घटकों की मरम्मत जैसे मुद्दों का समाधान करके योजनाओं का कार्यात्मक समापन सुनिश्चित करे।
- (v) जल-उपयोगकर्ता संघों को प्राथमिक अनुरक्षण शाखा में परिवर्तित करना व अंतिम भुगतान से पूर्व वाराबंदी अनुसूचियों के साथ योजनाओं को पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघ को सौंपना अनिवार्य करे।
- (vi) पाक्षिक वित्तीय व भौतिक प्रगति को अधिकृत करके निगरानी व निरीक्षण तंत्र को मजबूत करे। इसे अंतर विभागीय कार्य समूह के द्वारा आवधिक समीक्षा आयोजित करके तथा सूचित निर्णय लेने व समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख अभियंता के स्तर पर समेकित योजना-स्तरीय अभिलेखों को अनुरक्षित करके समर्थित किया जाना चाहिए।
- (vii) हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कृषि व ग्रामीण विकास विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए जिले-वार निधि आवंटन मानदंडों की समीक्षा करे।

## राजस्व विभाग

### अध्याय V - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग

वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिए 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग' की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा

प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय किया गया तथा मानदंडों के अनुसार क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे पर त्वरित प्रतिक्रिया, राहत और जीर्णोद्धार हेतु समय पर सहायता प्रदान की गई थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का लगातार दुरुपयोग किए जाने के कारण केंद्र सरकार ने ₹ 258.30 करोड़ में से ₹ 61.07 करोड़ राशि रोक ली। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 से मार्च 2019 तक समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इस मुद्दे को रेखांकित किए जाने के बावजूद वर्ष 2019-23 के दौरान दुरुपयोग की प्रवृत्ति जारी रही। वर्ष 2020-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में उच्च अथ शेष (वर्ष 2020 में ₹ 745.91 करोड़ व वर्ष 2021 में ₹ 752.79 करोड़), जो उंचत खाते शीर्ष के तहत बकाया शेष का निपटान न किए जाने का परिणाम था, होने के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 254.73 करोड़ की राशि जारी नहीं की गई। इससे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राहत सहायता एक से दो वर्ष के विलम्ब से प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की गलत अनुमानित शेष राशियों के आधार पर ₹ 61.02 करोड़ की सहायता की कटौती की तथा शेष निधियां जारी कराने के लिए राज्य द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशानिर्देशों के विरुद्ध ₹ 122.27 करोड़ की राशि अनुमति प्राप्त वित्तीय साधनों में निवेशित करने के बजाय बचत बैंक खातों में रखी गई, जो ब्याज की हानि में परिणत हुई। राज्य ने इस ब्याज हानि की पूर्ति उसके स्वयं के संसाधनों से नहीं की।

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों का उपयोग 69 से 92 प्रतिशत के मध्य रहा। खंडों में निधियों का उपयोग कम था, जो 34 से 43 प्रतिशत के मध्य रहा। सड़कों के जीर्णोद्धार (₹ 11.66 करोड़), पेयजल/सिंचाई योजनाओं (₹ 0.74 करोड़) एवं विविध सहायता (₹ 39.20 लाख) के लिए स्वीकार्य मानदंडों से अधिक निधियां स्वीकृत की गई। आपदा राहत की निधियों को व्यपवर्तित करते हुए ₹ 11.76 करोड़ की लागत के नियमित प्रकृति की मरम्मत एवं नए निर्माण कार्यों सहित अस्वीकार्य कार्यों को निष्पादित किया गया।

संबंधित प्राधिकारियों/लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने तथा कमजोर निधि प्रबंधन के कारण 90 मामलों में उपायुक्तों द्वारा राहत हेतु निधियां स्वीकृत करने में 11 से 33 माह का विलम्ब हुआ।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना वार्षिक रूप से अद्यतित नहीं की गई एवं जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को राज्य कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। नमूना-जांचित क्षेत्रों में सामुदायिक योजनाएं व ग्राम आपदा प्रबंधन दलों की स्थापना नहीं की गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में कार्मिकों की कमी थी, स्वीकृत 326 पदों में से मात्र 193 पदों पर कार्मिक तैनात थे, जिनमें कोई तकनीकी कर्मी नियुक्त नहीं था। जिला आपदाकालीन संचालन केंद्र अप्रयुक्त निधियों (₹ 18.18 लाख) एवं अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित नहीं हो पाए। वर्ष 2019-23 के दौरान युवा स्वयंसेवकों (कमी: 8,566; 51.77 प्रतिशत) एवं मिस्त्रियों (कमी: 5,307; 96.22 प्रतिशत) के प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तथा अक्टूबर 2023 तक ₹ 2.37 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। बढ़ई/बार बेंडर्स के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

नमूना-जांचित जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने एवं उपकरणों की खरीद हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से ₹ 6.07 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (मार्च 2023)। परन्तु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने न तो अपेक्षित प्रशिक्षण गतिविधियां प्रारंभ की एवं न ही खोज और बचाव उपकरणों की खरीद की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.07 करोड़ अप्रयुक्त रह गए।

वर्ष 2019-23 में स्वीकृत 9,449 कार्यों (₹ 172.47 करोड़) को राज्य के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया तथा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का विशाल बैकलॉग वास्तविक समय में निधियों के उपयोग को ट्रैक करने की क्षमता को सीमित करता है।

*राज्य सरकार :*

- (i) अधिशेष राशि के नियमित एवं समयबद्ध निवेश हेतु अपने बैंकर को स्थायी निर्देश जारी करके शेष निधियों का कुशल व प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।
- (ii) अस्वीकार्य कार्यों पर निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र विकसित करें। इसमें यह निर्देश भी शामिल किया जा सकता है कि कोषागार में प्रस्तुत प्रत्येक बिल के साथ एक पृष्ठ का वचन-पत्र संलग्न किया जाए, जिसे आहरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, और जिसमें प्रत्येक प्रभार या व्यय का संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के प्रावधानों व प्रयोज्य सीमाओं से मिलान किया गया हो।
- (iii) आपदा रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर राहत सुनिश्चित करें। मौजूदा एसएमआईएस (या उसके सुव्यवस्थित होने तक एक साझा स्प्रेडशीट) का उपयोग उन मामलों को चिह्नित करने के लिए, जो 30 दिन की सीमा से अधिक हो रहे हो तथा



उपायुक्त व राजस्व सचिव को स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाए। किसी भी विलम्ब की स्थिति में जवाबदारी निर्धारित की जाए।

- (iv) आपदा की तैयारी के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को चिह्नित करके प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण तथा खरीद प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए खोज और बचाव उपकरणों की खरीद एवं वितरण को केंद्रीकृत करें।
- (v) एसएमआईएस को सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान करके अपडेट करें। इसके लिए समर्पित जनशक्ति की तैनाती की जा सकती है जो लंबित उपयोगिता-प्रमाणपत्र अपलोड करे तथा कार्यों के स्टेटस को अपडेट करे।
- (vi) केंद्र के साथ आंकड़ों का नियमित मिलान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें। यह तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि अथ शेष, जारी निधियों व व्यय की आवधिक समीक्षा गृह मंत्रालय के साथ आपसी सहमति से की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति तथा भविष्य में निधियों का आवंटन रोकने की स्थिति से बचा जा सके।

## अध्याय VI - स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

### हिमाचल प्रदेश वन विभाग

नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम), शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि दिसंबर 2021 तक 314 मामलों पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक एवं अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ। हालांकि चम्बा सर्कल के अधीन तीन मामलों में विभाग द्वारा उल्लिखित वन के पारिस्थितिक वर्गीकरण और लागू की गई निवल वर्तमान मूल्य दरों के मध्य असंगतियां पाई गईं। एक अन्य मामले में वन भूमि में मौजूद पौधों को वन घनत्व की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधियों के संभावित अव निर्धारण तथा उसके फलस्वरूप अल्प वसूली की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।



**अध्याय-।**  
**सामान्य**



## अध्याय I: सामान्य

### 1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को समाविष्ट करता है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों को तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को निम्नलिखित छः अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय-I में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2022-23 की राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों यथा निरीक्षण प्रतिवेदनों, स्वतंत्र टिप्पणियों/परिच्छेदों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

अध्याय II में 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्थागत अन्तराल व शैक्षणिक कमियों' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय III में 'हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों का विनियमन (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित)' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय IV में 'हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के निष्पादन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय V में 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय VI में विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है।

### 1.2 हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.69 प्रतिशत है। राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत है। राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई समुद्र

तल से 350 मीटर से लेकर 6,975 मीटर तक है। राज्य का लगभग एक तिहाई क्षेत्र स्थायी रूप से बर्फ, ग्लेशियर और ठंडे रेगिस्तान से आच्छादित है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,800 मिलीमीटर है। राज्य का तापमान शून्य से नीचे से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं यमुना राज्य की प्रमुख नदियां हैं।

हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना। यह एक विशेष श्रेणी राज्य है। राज्य की सीमा पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

राज्य में 12 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश पहाड़ी जिले एवं तीन जनजातीय जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.65 लाख है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.57 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या क्रमशः 89.97 प्रतिशत व 10.03 प्रतिशत है। जनजातीय जनसंख्या राज्य की आबादी का 5.71 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि यह आधी से ज्यादा कार्यशील आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है।




विनिर्माण, बागवानी एवं पर्यटन राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

### 1.2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> स्थिर मूल्यों<sup>2</sup> (2011-12) पर ₹ 1,34,576 करोड़ होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में 6.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (₹ 160.71 लाख करोड़) का 0.84 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय (चालू व स्थिर दोनों मूल्यों पर) चार्ट 1.1 में दर्शाई गई है।

<sup>1</sup> राज्य के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है।

<sup>2</sup> स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति के प्रभाव पर विचार करता है, जबकि चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति के प्रभाव पर विचार नहीं करता है।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

### 1.3 राज्य सरकार की रूपरेखा


#### 1.3.1 सरकार की संरचना

हिमाचल प्रदेश सरकार 46 विभागों एवं 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संगठित है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 76 स्वायत्त निकाय हैं।

राज्य में 61 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें पांच नगर निगम (शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी व पालमपुर), 29 नगर परिषदें एवं 27 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 तक 3,708 पंचायती राज संस्थान हैं, जिनमें 12 जिला परिषदें, 81 पंचायत समितियां व 3,615 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।


#### 1.3.2 राज्य सरकार की प्राप्तियां

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों व उसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।



स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।


वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।



स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

### 1.3.3 राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय एवं उसका संघटन चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बजट, प्राप्तियां, व्यय एवं राज्य वित्त के अन्य आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसे पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

## 1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम<sup>3</sup> की धारा 13 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। साथ ही, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम<sup>4</sup> की धारा 14 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य व विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की सभी प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि नियम व प्रक्रियाएं राजस्व के आकलन, संग्रहण व उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन), 2020 तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत एवं पद्धतियां निर्धारित की गई हैं।

## 1.5 लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

### 1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन से तात्पर्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा योग्य संस्था<sup>5</sup> की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात् जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से है। निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा

<sup>3</sup> (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्यय; (ii) आकस्मिकता निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन; एवं (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ व हानि लेखे, बैलेंस शीट व अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

<sup>4</sup> रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि के लिए योजनाओं को लागू करने हेतु स्थापित एवं सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त निकायों की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है।

<sup>5</sup> लेखापरीक्षा योग्य संस्था से तात्पर्य राज्य सरकार की किसी भी संस्था से है, जिसमें कोई कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, निगम, निधि, स्थानीय निकाय या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन कोई अन्य संस्था शामिल है।

अभ्युक्तियां/निष्कर्ष (लेखापरीक्षा परिच्छेद के रूप में संदर्भित) शामिल होते हैं तथा इसमें किसी विशिष्ट विषय पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं के प्रमुख से, उनके आगामी उच्च प्राधिकारियों के माध्यम से, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित निष्कर्षों के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के आधार पर एक लेखापरीक्षा परिच्छेद का या तो समायोजन किया जाता है या लेखापरीक्षा योग्य संस्था से आगे सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। जब किसी निरीक्षण प्रतिवेदन में सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों का समायोजन हो जाता है, तो निरीक्षण प्रतिवेदन को समायोजित माना जाता है। वित्त विभाग वार्षिक आधार पर तदर्थ समिति की बैठकें निर्धारित करता है, जहां निरीक्षण प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा परिच्छेदों को समायोजित करने पर चर्चा की जाती है। 31 मार्च 2023 तक सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उनमें निहित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की स्थिति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेदों के समायोजन की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा परिच्छेद
1.	31 मार्च 2022 तक लंबितता	11,842	57,179
2.	वर्ष 2022-23 के दौरान जारी	526	6,298
3.	2022-23 के दौरान समायोजित	763	5,221
4.	31 मार्च 2023 तक लंबितता	11,605	58,256

### 1.5.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

विधायिका में प्रस्तुत किये जाने वाले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को भेजे जाते हैं। लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकरण के प्रक्रिया नियमों (दिसम्बर 2002) के नियम 4 में यह प्रावधान है कि जैसे ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है, संबंधित विभाग समिति से औपचारिक प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्तर पर सुओ-मोटो कार्रवाई आरंभ कर देंगे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रत्येक परिच्छेद पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति को सूचित करेंगे।

31 मार्च 2023 तक पिछले वर्षों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सुओ-मोटो उत्तरों की स्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।



तालिका 1.2: पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुओ-मोटो उत्तर दिए जाने की स्थिति

प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		प्राप्त सुओ-मोटो उत्तर		प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2012-13 से 2018-19	24	138	23	128	1	11 <sup>6</sup>
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2017-18 से 2018-19	1	21	1	16	0	5
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2019-20	0	10	0	1	0	9

प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तरों का वर्ष-वार विवरण, जैसाकि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है, परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

### 1.5.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा

लोक लेखा समिति व सार्वजनिक उपक्रम समिति को भेजे गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित समिति द्वारा चर्चा एवं मौखिक जांच की जाती है। लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति राज्य सरकार के अधिकारियों (आमतौर पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख) को मौखिक जांच हेतु बुलाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति तथा 31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है।

<sup>6</sup> कृषि फसल बीमा योजनाओं पर एक विषयगत लेखापरीक्षा कृषि एवं बागवानी विभागों से संबंधित है। हालांकि बागवानी विभाग के संबंध में सुओ-मोटो उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

तालिका 1.3: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर हुई चर्चा एवं 31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

संबंधित विधायी समिति - प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति - सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2008-09 से 2019-20	43	322	2	2	9	63
सार्वजनिक उपक्रम समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2016-17 से 2019-20	2	39	0	13	2	20

वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है तथा लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

#### 1.5.4 लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

समिति की सुनवाई, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई कार्रवाई एवं समिति की अनुशंसाओं को सारांशित करते हुए लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्ट राज्य विधायिका को प्रस्तुत की जाती हैं। लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रशासनिक विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इन अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन नोट्स प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन नोट्स की स्थिति तालिका 1.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन नोट्स की स्थिति

प्रतिवेदन का नाम	संबंधित विधायी समिति	विधानसभा कार्यकाल से संबंधित लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसा	विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर लंबित कुल एक्शन टेकन नोट्स की संख्या
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लोक लेखा समिति	विधानसभा VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII	26	207
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	सार्वजनिक उपक्रम समिति	विधानसभा XII, XIII व XIV	11	34

तालिका 1.4 का विभाग-वार एवं विधानसभा कार्यकाल-वार विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

## 1.6 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं को लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। हम विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, जल शक्ति विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने में मदद करेंगे।



## अध्याय-॥

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में  
संस्थागत अंतराल व शैक्षणिक कमियां




## अध्याय II: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्थागत अंतराल व शैक्षणिक कमियां

### 2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 के तहत की गई थी। यह राज्य में एक बहु-संकाय आवासीय तथा मान्यता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है जो औपचारिक व दूरस्थ तरीकों के माध्यम से शहरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान, उन्नत अधिगम तथा समझ का प्रसार करना है। यह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद<sup>1</sup> द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रेड 'ए' विश्वविद्यालय (नवंबर 2022) है।

विश्वविद्यालय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा तथा वह विश्वविद्यालय का मुखिया व न्यायालय का अध्यक्ष होगा तथा पद पर रहते हुए न्यायालय की बैठकों व विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी हैं। कुलपति को पंजीयक, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, विभागाध्यक्षों आदि द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

#### चार्ट 2.1: विश्वविद्यालय के प्राधिकारी



विश्वविद्यालय के पांच प्राधिकरण हैं अर्थात (i) न्यायालय (ii) कार्यकारी परिषद (iii) शैक्षणिक परिषद (iv) संकाय (v) वित्त समिति जैसा कि चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है। न्यायालय समय-समय पर व्यापक नीतियों व कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट व वार्षिक लेखाओं के प्रस्तावों पर विचार करने तथा पारित करने के लिए जिम्मेदार है।

<sup>1</sup> राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों का उनकी 'गुणवत्ता स्थिति' का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद संस्थानों का शैक्षिक प्रक्रियाओं व परिणामों, पाठ्यक्रम कवरेज, शिक्षण-अधिगम विधियों, संकाय, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, संसाधनों, संगठन, शासन, वित्तीय कल्याण तथा छात्र सेवाओं से संबंधित गुणवत्ता के मानकों के आधार पर मूल्यांकन करती है।

कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंधन व प्रशासन (राजस्व व संपत्ति सहित) की प्रभारी होगी। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के पास नियंत्रण व सामान्य विनियमन होगा तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण, मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों एवं तरीकों के संरक्षण की जिम्मेदारी होगी। संकाय अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर शैक्षणिक परिषद को ऐसी अनुशंसाएँ करेगी तथा उन पर विचार करेगी। वित्त समिति सभी वित्तीय मामलों पर विचार करती है और सेवा मामलों को पहले वित्त समिति के समक्ष रखा जाता है और उसके बाद ऐसे मामलों को कार्यकारी परिषद के समक्ष उसकी अनुशंसाओं के साथ रखा जाता है।

## 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आकलन करने के लिए थे कि क्या:

- 1) संकाय की उपलब्धता, पाठ्यक्रम व संकाय विकास की प्रक्रिया मानदंडों के तहत निर्धारित की गई थी
- 2) उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मौजूद था
- 3) अनुसंधान गतिविधियाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीति के अनुसार थीं

## 2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (कानून व इसके अध्यादेश)
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा जारी दिशानिर्देश
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा अधिनियम के तहत नियम व विनियम
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 तथा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017



- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दिशानिर्देश
- उच्च शिक्षा की समावेशी व गुणवत्तापूर्ण विस्तार योजना – 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)
- न्यायालय, कार्यकारी परिषद, वित्त समिति तथा शैक्षणिक परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त
- अनुसंधान संवर्धन नीति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (1.1) 2020 या उसके पश्चात्
- आवधिक निगरानी प्रतिवेदन, आदेश, परिपत्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तिका

## 2.4 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि को समाविष्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुल 89 विभागों, संस्थानों, केंद्रों, पीठों<sup>2</sup> तथा अन्य में से 30 का चयन आईडीईए सॉफ्टवेयर में बिना प्रतिस्थापन विधि के सरल यादृच्छिक नमूने का उपयोग करके किया गया था, जो कि तालिका 2.1 में दिए गए विवरण के अनुसार है।

तालिका 2.1: इकाइयों के चयन का विवरण

इकाई का प्रकार	इकाइयों की कुल संख्या	चयनित इकाइयां
शैक्षणिक विभाग	42	11
पीठ	16	4
शैक्षणिक अध्ययन केंद्र	4	2
शैक्षणिक शाखाएं/अन्य विभाग/सहायता केंद्र	27	13
<b>योग</b>	<b>89</b>	<b>30</b>

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्य-क्षेत्र व कार्यप्रणाली तथा नमूनों के चयन पर चर्चा करने के लिए उप कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ 28 अगस्त 2023 को एक प्रथम बैठक आयोजित की गई। लेखापरीक्षा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा तथा कक्षाओं, कंप्यूटर रूम व प्रयोगशालाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन सम्मिलित था। लेखापरीक्षा में 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रमों, आयोजित परीक्षाओं, संकाय की पर्याप्तता व योग्यता तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। छात्रों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की पर्याप्तता

<sup>2</sup> महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक संसाधनों को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर पीठों की योजना तैयार की है जो या तो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं।

की पुष्टि के लिए 357 छात्रों का छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया गया। वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ 25 अप्रैल 2025 को एक अंतिम बैठक आयोजित की गई थी।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.5 पूर्व विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई

2010-13 की अवधि को समाविष्ट करने वाले 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कामकाज' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद 3.1 के रूप में शामिल किया गया था। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में संकाय में रिक्त पद शामिल थे और लेखापरीक्षा टिप्पणियां अभी भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद 2.7.1 में चर्चा की गई है। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति में 03 जुलाई 2020 को चर्चा की गई तथा इसके संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या 132 (XIII-LA) 11 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई। लोक लेखा समिति ने अधिकांश परिच्छेदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दर्शाए गए अनुपालन/दिए गए आश्वासन के आधार पर समायोजित कर दिया।

### 2.6 योजना व विजन दस्तावेज

विश्वविद्यालयों के लिए स्व-अध्ययन रिपोर्ट 2020 हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मैनुअल के गुणवत्ता संकेतक ढांचे में एक मुख्य संकेतक (6.2.1), एक संस्थागत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य योजना<sup>3</sup> का अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के डीन, योजना व शिक्षक मामलों को पंचवर्षीय योजना तथा राज्य वार्षिक योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह पर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इस उद्देश्य के साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011 व 2022 में क्रमशः दो विजन दस्तावेज तैयार किए अर्थात् दृष्टि : स्वर्ण जयंती विजन 2020 व हीरक जयंती दृष्टिपत्र 2030 । लेखापरीक्षा ने इन दस्तावेजों का विश्लेषण किया तथा निम्नलिखित बातें पाई:

<sup>3</sup> एक संस्थागत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य योजना एक व्यापक दस्तावेज या ढांचे (विश्वविद्यालयों की स्व-अध्ययन रिपोर्ट के लिए मैनुअल का 6.2.1) को संदर्भित करती है जो एक शैक्षणिक संस्थान के विकास तथा वृद्धि के लिए दीर्घकालिक दृष्टि, लक्ष्यों व रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।

क. विज्ञान 2020 दस्तावेज में दो खंड हैं। खंड एक में विश्वविद्यालय की रूपरेखा दी गई है, जिसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचे व अधिगम संसाधन तथा अनुसंधान के मौजूदा क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। खंड दो में विश्वविद्यालय द्वारा परिकल्पित आठ लक्षित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोई गतिविधि-वार विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी और तदनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय परिव्यय का भी प्रावधान नहीं किया गया था।

ख. यह पाया गया कि कुलपति ने उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा उच्च शिक्षा में एक पहचान बनाने के उद्देश्य से मार्च 2022 में विज्ञान दस्तावेज, 2030 विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया। तदनुसार, समिति ने 2022 में हीरक जयंती विज्ञान दस्तावेज, 2030 (हीरक जयंती दृष्टिपत्र, 2030) तैयार किया था। हालांकि विज्ञान दस्तावेज, 2030 को अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष नहीं रखा गया था।

ग. विज्ञान 2020 व विज्ञान 2030 के परियोजना दस्तावेजों में कूटबद्ध किए गए लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में बताया गया है, से उजागर हुआ है कि 91 लक्ष्यों में से 61 अर्थात् विज्ञान 2020 का 67 प्रतिशत फिर से विज्ञान, 2030 दस्तावेज में पेश किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। लेखापरीक्षा को उपलब्धि का कोई साक्ष्य - चाहे वह दस्तावेजीकरण या अभिलेख के माध्यम से हो-उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त विज्ञान दस्तावेज, 2030 के संबंधित लक्ष्यों में अधिकांश गतिविधियां केवल विज्ञान दस्तावेज, 2020 में दी गई गतिविधियों का विस्तार हैं।

इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रासंगिक प्रतिक्रिया (अक्टूबर 2023) नहीं दी गई।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी संस्थागत रणनीतिक योजनाओं के क्रियान्वयन में उचित गंभीरता नहीं दिखाई है, जैसा कि विज्ञान 2030 में विज्ञान 2020 के अप्राप्त लक्ष्यों की महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति इन दस्तावेजों के लिए विस्तृत योजना व वित्तीय प्रावधानों की कमी तथा विज्ञान 2030 में निर्धारित लक्ष्यों को तैयार होने के एक वर्ष बाद भी स्वीकृत न किया जाना और न ही उन्हें आरंभ किया जाना, से स्पष्ट होता है।

## 2.7 संकाय संसाधन व विकास

### 2.7.1 संकाय की उपलब्धता

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता व उच्च शिक्षा, 2018 में मानकों के अनुरक्षण के उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के परिच्छेद 12.2 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/अनुमोदित पदों को तत्काल आधार पर भरा जाएगा। 2020-23 के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षण कर्मचारियों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षण कर्मचारियों की वर्ष-वार उपलब्धता

अवधि	प्राध्यापक		सह-प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक		अतिथि संकाय की नियुक्ति	कुल शिक्षक		
	स्वीकृत	पदस्थ*	स्वीकृत	पदस्थ	स्वीकृत	पदस्थ		स्वीकृत	पदस्थ (अतिथि संकाय के साथ)	कमी (प्रतिशत)
2020-21	54	102	120	29	405	147	89	579	367	212 (37)
2021-22	55	98	127	47	444	188	116	626	449	177 (28)
2022-23	55	93	127	52	444	207	103	626	455	171 (27)

\* प्राध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रतीत हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व्यक्तिगत होती है, स्थायी पद नहीं। जब पदोन्नत प्राध्यापक सेवानिवृत्त होता है तो पद अपने मूल स्तर पर वापस आ जाता है।

तालिका 2.2 से देखा जा सकता है कि 2020-23 के दौरान शिक्षण स्टाफ की कमी 27-37 प्रतिशत के बीच रही तथा इसमें एक घटती प्रवृत्ति देखी गई। शिक्षण कर्मचारियों की कमी से संकाय कार्यभार में वृद्धि हो सकती है तथा मेंटरशिप व शैक्षणिक सहायता हेतु छात्र की पहुंच को सीमित करती है जैसा कि यूजीसी (एम.फिल./पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2016 की निर्धारित सीमा से ऊपर पीएचडी तथा एम.फिल के अतिरिक्त छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले पर्यवेक्षकों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में (सितंबर 2023) बताया कि रिक्त पदों को भरने की अनुमति के मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।

अंतिम बैठक (अप्रैल 2025) में यह बताया गया कि शिक्षण कर्मचारियों की नई नियुक्तियों की गई हैं।

शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2020-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 186 पदों (प्राध्यापक: पांच, सह-प्राध्यापक: 36 तथा सहायक प्राध्यापक: 145) की भर्ती की गई।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संकाय की कमी के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया तथा लोक लेखा समिति (जुलाई 2020) में चर्चा के दौरान विभाग ने बताया कि संकायों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी। हालांकि 2020-23 के दौरान संकाय की कमी काफी हद तक बनी रही।

### 2.7.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के विरुद्ध संकाय की भर्ती

#### (i) सहायक प्राध्यापक की अनियमित नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन, 2018 के विनियम 4.1 (I) में एक सहायक प्राध्यापक की सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

- संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री
- अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण की हो अथवा उसे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त दो डिग्री के समतुल्यता की जांच करने तथा उस पर अपना विचार देने के अधिदेश के साथ राज्य स्तरीय समतुल्यता समिति का पुनर्गठन (अप्रैल 2024) किया गया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2019 में वाणिज्य विषय के सात सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सायंकालीन अध्ययन विभाग के एक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) ने 2019 में वाणिज्य में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की परंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसके पास पद हेतु आवश्यक योग्यता अर्थात् वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। इसके बजाय आवेदन के समय वह वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहा था और उसका द्वितीय वर्ष का परिणाम प्रतीक्षित था इसलिए वह वाणिज्य, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए पात्र नहीं था। हालांकि उसके पास एमबीए की डिग्री थी।

जाँच-सह-मूल्यांकन समिति ने अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया तथा चयन समिति ने प्रबंधन को वाणिज्य का एक संबद्ध विषय होने के आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक के नाम की अनुशंसा की। हालांकि यह विनियमन के विरुद्ध था क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पहले प्रबंधन विषय को वाणिज्य के संबद्ध विषय होने के मामले को कभी भी राज्य स्तरीय समतुल्यता समिति को संदर्भित नहीं किया गया था। इसी तरह के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर राज्य

स्तरीय समतुल्यता समिति ने एक बैठक (07 फरवरी 2023) में घोषणा की थी कि ये दोनों विषय संबद्ध नहीं थे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि जाँच-सह-मूल्यांकन समिति संबद्ध विषयों के मामले को तय करने के लिए सक्षम थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि मामला राज्य स्तरीय समतुल्यता समिति द्वारा तय किया जाना था।

## **(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के विरुद्ध अतिथि संकाय की नियुक्ति**

अतिथि संकाय के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों (जनवरी 2019) में प्रावधान है कि अतिथि संकाय के लिए योग्यता वही होगी जो नियमित सहायक प्राध्यापक के लिए निर्धारित है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉरेंसिक विज्ञान विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक/अतिथि संकाय की नियुक्ति के लिए सितंबर 2022 में प्रवेश साक्षात्कार आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन समिति द्वारा अनुशंसित सात अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि तक न तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण था और न ही पीएचडी धारक था इसलिए वह अनुशंसित होने के लिए अपात्र था।

## **(iii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित करने में विफलता**

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भर्ती विज्ञापनों में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की नियुक्तियां अनंतिम हैं, आय व संपत्ति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन लंबित होने तक। नियुक्ति पत्रों में यह भी बताया गया है कि सभी नियुक्तियां शैक्षिक व अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन हैं तथा किसी भी झूठे दावे से भारतीय दंड संहिता के तहत तत्काल सेवा समाप्ति (बर्खास्तगी) व कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2020-23 के दौरान की गई 186 नियुक्तियों के लिए संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारियों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता व अन्य सहायक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया था क्योंकि इस तरह के सत्यापन के कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे (दिसंबर 2023)।

सहायक पंजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2024) कि सभी प्रमाणपत्रों को संबंधित विषय से लिए गए विशेषज्ञों द्वारा साक्षात्कार से पहले मूल प्रमाण-पत्र के साथ सत्यापित किया जाता है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारियों से सत्यापन के बिना प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो पाती।

### 2.7.3 शिक्षकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी 'उच्च शिक्षा का समावेशी व गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के परिच्छेद 7.1.3 में बताया गया है कि संकाय विकास पहलों में प्रवेश स्तर अभिविन्यास, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण व अधिगम, अनुसंधान व नवाचार, सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ाव तथा नेतृत्व विकास जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अनुकूलित संकाय विकास कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं।

वर्ष 2020-2023 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले चयनित इकाइयों/विभागों के पूर्णकालिक शिक्षकों की स्थिति तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: 2020-23 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों का विवरण

वर्ष	चयनित इकाइयों में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या	व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों का प्रतिशत
2020-21	192	15	08
2021-22	223	27	12
2022-23	225	37	16

जैसा कि तालिका 2.3 में स्पष्ट है, चयनित इकाइयों/विभागों के पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने वर्ष 2020-23 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया, आठ से 16 प्रतिशत के बीच थे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2023) कि व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिक संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अधिकांश संकायों को इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, जिससे उनके व्यावसायिक कौशल में सुधार करने में मदद मिलती, जिससे व्यक्तिगत व संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त होती। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के केवल चार शिक्षकों को 2020-23 के दौरान राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी।

## 2.8 बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

उच्च शिक्षा संस्थानों में एक अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी स्वच्छता आवश्यकताओं सहित भौतिक बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं की पर्याप्तता आवश्यक है। उपयुक्त फर्नीचर, कंप्यूटर कक्ष, इंटरनेट सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाला, व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र आदि के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए कक्षा-कक्ष जैसे प्रमुख तत्व समृद्ध शिक्षण वातावरण में योगदान करते हैं। इनमें से कुछ पहलुओं का लेखापरीक्षा के दौरान मूल्यांकन किया गया तथा संबंधित टिप्पणियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.8.1 सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं की उपलब्धता

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-2.0 के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 3.3 के अनुसार महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं तकनीकी रूप से सक्षम कक्षाएं, पुस्तकालय का स्वचालन, ई-संसाधनों की उपलब्धता, सभागार आदि हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए चयनित 20 शैक्षणिक इकाइयों<sup>4</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा और संयुक्त भौतिक निरीक्षण से उजागर हुआ कि:

- (i) केवल छह विभागों<sup>5</sup> (20 में से) में 100 प्रतिशत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम कक्षाएं थीं।
- (ii) नौ विभागों<sup>6</sup> में 17 से 75 प्रतिशत तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्ष थे।
- (iii) पांच विभागों/पीठों<sup>7</sup> में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम कक्षाएं उपलब्ध नहीं थीं।
- (iv) नमूना-जांचित इकाइयों में 82 कक्षाओं में से केवल 42 (51 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम थीं।

<sup>4</sup> तीन शैक्षणिक इकाइयां अर्थात् महिला अध्ययन केंद्र, स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र, संत शिरोमणि गुरु रविदास में कोई छात्र नामांकित नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा व मुक्त शिक्षा केंद्र एक दूरस्थ शिक्षा केंद्र है और शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज, केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला, कंप्यूटर केंद्र, एग्री अनुसंधान, प्रशासन व परीक्षा, शिक्षण/शैक्षणिक विभाग नहीं हैं; इसलिए इन पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया गया।

<sup>5</sup> विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग, इतिहास विभाग, जनजातीय अध्ययन संस्थान, अर्थशास्त्र विभाग, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल।

<sup>6</sup> रसायन विज्ञान विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग, विधि विभाग, बिजनेस स्टडीज कॉलेज, जैव-विज्ञान विभाग, स्वर अध्ययन संस्थान, भौतिकी विभाग, विधि अध्ययन संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला

<sup>7</sup> पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पीठ, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीठ, डॉ. वाई. एस. परमार पीठ व जनसंख्या अनुसंधान केंद्र।




इसके अतिरिक्त स्मार्ट कक्षा सुविधाओं के साथ संतुष्टि के स्तर पर एक छात्र सर्वेक्षण के उत्तर में केवल 50 प्रतिशत छात्र ऐसी सुविधाओं से संतुष्ट थे।

### 2.8.2 विज्ञान प्रयोगशाला में बुनियादी उपकरणों की उपलब्धता

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश खंड-II के अध्याय XXV के परिच्छेद 25.10 (ई) में प्रावधान है कि अध्ययन बोर्ड का कर्तव्य विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरणों व उपस्करों की सूची तैयार करना है।

लेखापरीक्षा ने प्रयोगशालाओं वाले चार विज्ञान विभागों - भौतिकी, रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान व जैव विज्ञान के अभिलेखों की जांच की। इनमें से रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान व जैव विज्ञान विभागों में प्रयोगशाला उपकरणों की अत्यधिक कमी देखी गई। इन तीनों विभागों में प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए आवश्यक कुल 924 बुनियादी उपकरणों के सापेक्ष अगस्त 2023 तक केवल 295 उपकरण ही उपलब्ध थे। यह कमी 36 प्रतिशत (रसायन विज्ञान विभाग की भौतिक प्रयोगशाला) व 79 प्रतिशत (एम.एससी. वनस्पति विज्ञान) के बीच थी, जैसा कि चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान व सूक्ष्म जीव विज्ञान विभागों की प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी



ये तीनों प्रयोगात्मक विज्ञान विषय हैं जिनमें प्रयोग कार्य की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पाठ्यक्रम को समझने के लिए आवश्यक है। इनका मुख्य उद्देश्य एक कुशल व्यावहारिक वैज्ञानिक के कौशल का विकास करना है। बुनियादी प्रयोगशाला उपकरणों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इससे कई छात्र विषय के प्रयोगात्मक अनुभव व समझ से वंचित रह जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर व नवंबर 2023) कि निधियों की कमी के कारण अपेक्षित उपकरण नहीं खरीदे जा सके।

विश्वविद्यालय का यह दावा उसके अपने दस वर्षीय विज्ञान दस्तावेज के विपरीत है जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का स्पष्ट लक्ष्य शामिल था। इस रणनीतिक प्रतिबद्धता के लिए पर्याप्त वित्तीय योजना व संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता है।

### 2.8.2.1 भौतिकी विभाग में कार्य नहीं कर रहे (अकार्यात्मक) मुख्य उपकरण

केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला, भौतिकी विभाग में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केंद्र को अब केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला के साथ विलय कर दिया गया है जिसने 2010-13 के दौरान ₹ 199.51 लाख के तीन महंगे व परिष्कृत उपकरण अर्थात् स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर खरीदे जो अकार्यात्मक थे।

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सामान्य विकास सहायता वित्त पोषण के अंतर्गत 2010 में ₹105.89 लाख का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीदा था। यह धूल व नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था तथा इसके लिए 40 नैनो टेस्ला से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थापना क्षेत्र की आवश्यकता थी। अत्यधिक धूल व नमी वाले अनुपयुक्त स्थान पर स्थापित होने के कारण स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 2015 से कार्य करना बंद कर दिया। बार-बार अनुरोध करने तथा 2017 में एक समिति गठित करने के बावजूद उपकरण को 2019 में ही पुनर्स्थापित किया गया। 2022 की सेवा रिपोर्ट में मुख्य हार्डवेयर समस्याओं का उल्लेख किया गया था परंतु कोई मरम्मत नहीं की गई जिससे महंगे उपकरण आठ वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे तथा छात्रों को इसके अनुसंधान लाभों से वंचित होना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2023) कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कार्य न करने से अनुसंधान कार्य प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुविधा पड़ोसी संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि से प्राप्त की गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उपकरण आठ वर्ष से अधिक समय से कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण शोधकर्ताओं/छात्रों को इलेक्ट्रॉनों की किरण का उपयोग करके स्कैनिंग के माध्यम से सामग्री की स्थलाकृति के अध्ययन से संबंधित शोध कार्य के लिए नमूनों का विश्लेषण करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(ii) इसी प्रकार सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों में से परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खरीद हेतु ₹ 17.00 लाख की राशि आवंटित (मार्च 2011) की गई। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ₹ 16.94 लाख में खरीदा गया तथा 22.02.2013 को स्थापित किया गया। लेकिन परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्ष 2017 से लंबित मरम्मत के कारण कार्य नहीं कर रहा था, जिससे संभावित रूप से चल रही अनुसंधान गतिविधियां प्रभावित हुईं।

(iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार कोष (एफआईएसटी योजना) के अंतर्गत स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में ₹ 150 लाख स्वीकृत किए गए, जिसमें वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर की खरीद के लिए ₹ 91 लाख जारी किए गए। ₹ 76.68 लाख की लागत से खरीदा गया तथा जुलाई 2011 में स्थापित वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर लंबित मरम्मत के कारण वर्ष 2021 से कार्य नहीं कर रहा है।

केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला के निदेशक/प्रभारी ने (अक्टूबर 2023) में अपने उत्तर में बताया कि वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर व परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों विशेष रूप से अनुसंधान गतिविधियों के लिए हैं। आगे ये बताया गया कि रखरखाव हेतु निधियों की कमी के कारण ये उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अनुसंधान उपकरणों के ठीक से कार्य न करने से नए व उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने का मूल उद्देश्य सफल नहीं हो पाया और शोधकर्ताओं को अनुसंधान कार्य के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए अन्य संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ा।

### 2.8.3 उद्यम संसाधन योजना (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर के पूर्ण होने में विलंब

विश्वविद्यालय उद्यम संसाधन योजना प्रणाली एक सॉफ्टवेयर समाधान है जो एक ही मंच से किसी संस्थान के संचालन के सभी पहलुओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करता है, विभागों के मध्य संचार व सहयोग में सुधार करता है तथा सूचित निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय डाटा विश्लेषण उपलब्ध कराता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हेतु वेब सक्षम विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृति (मार्च 2014) प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ चरण-I (18 मॉड्यूल सहित) के लिए ₹ 4.30 करोड़ व चरण-II (19 मॉड्यूल सहित) हेतु ₹ 3.90 करोड़ के लिए समझौता ज्ञापन (जून 2016 व सितंबर 2017) पर हस्ताक्षर किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 11.19 करोड़ व्यय करने के बाद (₹ 8.20 करोड़ की स्वीकृत राशि के सापेक्ष) भी 37 में से 30 मॉड्यूल कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि वे अप्रयुक्त रहे तथा सितंबर 2023 तक उनमें परिवर्तनों/संशोधनों की आवश्यकता थी। 30 कार्य नहीं कर रहे मॉड्यूलों में से पांच-परीक्षा प्रबंधन व परिणाम प्रसंस्करण (प्रक्रिया), अनुसंधान व परियोजना प्रबंधन, विश्वविद्यालय संसाधन केंद्र, ज्ञान प्रबंधन पोर्टल तथा प्लेसमेंट प्रबंधन, शैक्षणिक विषयों से संबंधित थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया, अनुसंधान सुविधा, ज्ञान प्रसार व छात्र कैरियर सहायता प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सितंबर 2023 में उद्यम संसाधन योजना मॉड्यूलों के अनुकूलन के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों को अधिसूचित किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने (दिसंबर 2023) में अपने उत्तर में बताया कि शुरू में सभी मॉड्यूल सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए थे, कुछ मॉड्यूल संसाधनों की अनुपलब्धता, हार्डवेयर सीमा, विभिन्न विभागों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि 37 उद्यम संसाधन योजना मॉड्यूलों में से 23 पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो चुके हैं तथा कार्यात्मक हैं, नौ मॉड्यूल परिचालित हैं परंतु आगे अनुकूलन के दौर में हैं तथा शेष पांच मॉड्यूल की समीक्षा मौजूदा मॉड्यूल के बजाय नए उद्यम संसाधन योजना मॉड्यूल विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम संसाधन योजना समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विगत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए सात साल से अधिक समय बीत चुका है और ₹ 11.19 करोड़ के व्यय के बाद भी सभी मॉड्यूलों को अभी तक कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका।

## 2.9 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत तंत्र

### 2.9.1 पाठ्यक्रम डिजाइन व विकास

विश्वविद्यालयों हेतु स्व-अध्ययन रिपोर्ट, 2020 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मैनुअल के गुणवत्ता संकेतक ढांचे के मुख्य संकेतक 1.1 के अनुसार विश्वविद्यालयों की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक पाठ्यक्रम डिजाइन व विकास<sup>8</sup> है और इस प्रकार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रणालियां व संरचनाएं स्थापित करें।

<sup>8</sup> पाठ्यक्रम डिजाइन व विकास हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से उपयुक्त आवश्यकता-आधारित इनपुट विकसित करने की एक जटिल प्रक्रिया है।

**(क) अध्ययन बोर्डों के गठन में अध्यादेश के प्रावधानों का पालन न करना, पुनर्गठन में विलंब व गैर-अनुपालन**

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 15 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों या विषयों के समूहों के लिए अध्ययन बोर्ड होंगे। अध्ययन बोर्ड का मुख्य कार्य अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री व विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय XXV में अध्ययन बोर्डों के गठन और संरचना का प्रावधान है जिसमें विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व विभिन्न विषयों या विषय समूहों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होगा। अध्ययन बोर्ड का गठन दो वर्षों के लिए किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 85 पाठ्यक्रमों/पीठों<sup>9</sup> (69 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व 16 स्नातक पाठ्यक्रम) में गठित अध्ययन बोर्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.4 में विवर्णित है।

**तालिका 2.4: 2020-2023 के दौरान अध्ययन बोर्डों का गठन**

पाठ्यक्रम का प्रकार	कुल पाठ्यक्रमों की संख्या	अध्ययन बोर्डों का गठन	अध्ययन बोर्डों का गठन नहीं किया गया	पुनर्गठन के लिए लंबित अध्ययन बोर्डों की संख्या (विलंब माह में) (कॉलम 3 में से)	अध्ययन बोर्डों के गठन में अध्यादेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया (कॉलम 3 में से)
1	2	3	4	5	6
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	69	56	13	11 (02-26)	36
स्नातक पाठ्यक्रम	16	13	3	1 (24)	11

इसे तालिका 2.4 से देखा जा सकता है:

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड पुनर्गठन के लिए लंबित थे, जिसमें दो से 26 माह का विलंब तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में मार्च 2023 तक 24 माह का विलंब के बाद भी एक अध्ययन बोर्ड पुनर्गठन हेतु लंबित था।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में गठित 64 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड और स्नातक पाठ्यक्रमों में 85 प्रतिशत अध्ययन बोर्ड प्राध्यापकों/सह प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों/प्राचार्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना गठित किए गए थे, जैसा कि पहले अध्यादेश में निर्दिष्ट किया गया है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023 व मई 2024) कि शिक्षण संकाय की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप अध्ययन बोर्ड का गठन नहीं हो सका तथा विलंब विभागीय

<sup>9</sup> पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

परिषद द्वारा विशेषज्ञों के पैनल के विलंब से अनुमोदन और उच्च शिक्षा निदेशक से प्रधानाचार्यों व सहायक प्राध्यापकों की अद्यतित वरिष्ठता सूची प्राप्त न होने के कारण हुआ।

अध्ययन बोर्डों के गठन न होने तथा विलंब से गठन के कारण पाठ्यक्रम डिजाइन व विकास में बाधा उत्पन्न हुई, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### (ख) पाठ्यक्रम का संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जनवरी 2017 के निर्देश में प्रावधान है कि सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार उसे संशोधित किया जाएगा। स्व-अध्ययन रिपोर्ट विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मैनुअल, 2020 पाठ्यक्रम डिजाइन तथा विकास में हितधारकों से फीडबैक निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 86 पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम<sup>10</sup> का पाठ्यक्रम आरंभ होने के बाद से संशोधित नहीं किया गया, जबकि 13 पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम का संशोधन एक से 19 वर्षों के विलंब से किया गया, जो उक्त निर्देशों के विपरीत था।

30 चयनित इकाइयों/विभागों में से 22 में जहां पाठ्यक्रम में संशोधन आवश्यक/लागू था, संशोधन किया गया। हालांकि यह देखा गया कि इन 22 इकाइयों/विभागों में से 21 में छात्रों/शिक्षकों से प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना ही संशोधन किया गया था।

*शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय में अध्ययन, शिक्षा के मानकों व तरीकों के अनुरक्षण, मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षा तथा अनुसंधान के पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद में छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों<sup>11</sup> में छात्रों को शामिल करना कानून द्वारा अनिवार्य है तथा उन्हें शैक्षणिक निर्णय लेने में प्रमुख हितधारकों के रूप में मान्यता दी जाती है। छात्र प्रतिनिधित्व का अभाव शैक्षणिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है।*

उत्तर में, अनुभाग अधिकारी (शैक्षणिक) और उप पंजीयक (शैक्षणिक) ने बताया (अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024) कि विलंब संकाय की कमी के कारण हुआ था, पाठ्यक्रम के संशोधन के संबंध में निर्देशों/आदेशों का पालन किया जा रहा था, हालांकि चूक हो सकती है और भविष्य

<sup>10</sup> क्लीनिकल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

<sup>11</sup> जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली; कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र; महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।

में ऐसी चूको से बचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि तथ्य यह रहा कि पाठ्यक्रम का संशोधन उक्त निर्देश के अनुसार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, छात्रों की व्यावसायिक संभावनाओं के अनुरूप लचीलेपन वाले प्रासंगिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के विकास में विलंब हुआ।

### (ग) विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम में विलंब/गैर-कार्यान्वयन

संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना के लिए ग्रेडिंग प्रणाली व विधि में वांछित एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम को अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए, जो छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर, वैकल्पिक, लघु या सॉफ्ट स्किल कोर्स) से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (जनवरी 2015) शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सभी विश्वविद्यालयों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम को मंजूरी दी (नवंबर 2022) और उसके बाद पंजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचना की तिथि (जनवरी 2015) से सात साल के विलंब के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम हेतु स्नातकोत्तर विनियमन 2022 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया (दिसंबर 2022)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिसूचना (दिसंबर 2022) के बावजूद अप्रैल 2024 तक कुल 86 पाठ्यक्रमों में से 27 पाठ्यक्रमों (15 स्नातक + 12 स्नातकोत्तर) (31 प्रतिशत) में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2023 व अप्रैल 2024) कि विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का कार्यान्वयन प्राधिकारियों के विचाराधीन है और वैधानिक निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों को विश्वविद्यालय में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित/परिचालित किया गया है तथा शेष पाठ्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम को शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम के कार्यान्वयन में सात वर्षों के अत्यधिक विलंब के कारण विद्यार्थी विभिन्न देशों व देश के भीतर विभिन्न संस्थानों में गतिशीलता सुविधा के लिए समान ग्रेडिंग प्रणाली से वंचित हो गए थे। हालांकि शेष पाठ्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम लागू न करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त विजन 2030 दस्तावेज के अनुसार विकल्प



आधारित क्रेडिट सिस्टम को 2023 तक सभी स्नातकोत्तर व स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

## 2.10 अनुसंधान गतिविधियां

### 2.10.1 अनुसंधान में संकाय की कम भागीदारी तथा प्रोजेक्ट के पूर्ण होने में विलंब

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के मुख्य संकेतक 3.1 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को नीतियों, संसाधनों तथा संकाय सहभागिता के माध्यम से अनुसंधान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अद्यतित अनुसंधान प्रोत्साहन नीति 1.1 उन्नत अनुसंधान, अंतःविषयक परियोजनाओं, प्रायोजित परामर्श, बौद्धिक संपदा अधिकार समर्थन और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के लिए संकाय को प्रेरित करने पर जोर देती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2011) द्वारा 'उच्च शिक्षा के समावेशी व गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के परिच्छेद 7.1 व 7.1.19 (ए) में बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण तथा पहल/योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रोत्साहन नीति 1.1 का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि जैसी विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों की अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए संकाय सदस्यों के बीच रुचि पैदा करना है।

विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (मुख्य संकेतक 3.2.2) उन संस्थानों को अधिकतम अंक प्रदान करता है, जहां सरकारी, गैर-सरकारी, उद्योग, कॉर्पोरेट घरानों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा वित्तपोषित प्रति शिक्षक अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या औसतन दो या अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित विभागों में 2020-23 के दौरान औसतन 214 संकाय सदस्यों द्वारा केवल 21 शोध परियोजनाएं आरंभ की गईं, जो लगभग 0.1 परियोजना प्रति शिक्षक की कम शोध संलग्नता दर को दर्शाती है जो अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निर्धारित मानकों से नीचे थी।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान गतिविधियां मुख्य रूप से लघु अनुसंधान कार्यों तक ही सीमित रहीं, क्योंकि 21 परियोजनाओं में से 15 (पूर्ण हो चुकी) लघु अनुसंधान परियोजनाएं थीं (विज्ञान में अनुसंधान परियोजनाएं, जिनकी लागत ₹ पांच लाख तक है तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, कानून व संबद्ध विषयों में अनुसंधान परियोजनाएं, जिनकी लागत ₹ तीन लाख तक है)।



राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट (2021-23) में यह भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, इसका एक कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसंधान परियोजनाएं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार<sup>12</sup> बहुत कम थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 15 पूर्ण परियोजनाओं में से तीन/छह महीने की परिभाषित अवधि समाप्त होने के बाद 33 से 101 दिनों के विलंब के साथ पांच परियोजनाएं पूर्ण की गईं। शेष छह परियोजनाएं लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2023) तक चल रही थीं।

अंतिम बैठक (अप्रैल 2025) में वित्त अधिकारी ने बताया कि लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

कम अनुसंधान कार्य का प्रभाव स्पष्ट था क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उच्चतम राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मानकों से काफी पीछे था, जहां प्रति संकाय सदस्य औसतन केवल तीन शोध पत्र और एक पुस्तक या पुस्तक अध्याय प्रकाशित हुआ। नमूना-जांचित विभागों में केवल 20 पेटेंट<sup>13</sup> प्रदान किए गए (अप्रैल 2020 से जून 2023) जिनमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य शामिल थे (जिनमें से 14 पेटेंट में केवल विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकाय सदस्य शामिल थे)। परामर्श के माध्यम से कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ और नमूना विभागों/इकाइयों में पूर्णकालिक संकाय की 214 औसत संख्या में से केवल एक शिक्षक (विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग) को 2020-23 के दौरान दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप प्रदान की गई।

### 2.10.2 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीठों का सृजन

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठों के लिए दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक संसाधनों को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पर पीठों की योजना तैयार की है जो या तो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं। पीठों को अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देना था, सार्वजनिक नीति निर्माण में शिक्षाविदों की भूमिका

<sup>12</sup> बौद्धिक संपदा अधिकार अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे आविष्कार, कलात्मक कार्य व ट्रेडमार्क के रचनाकारों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा है जो उन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए अपनी रचनाओं का उपयोग करने, वितरित करने तथा उनसे लाभ उठाने का विशेष अधिकार प्रदान करती है।

<sup>13</sup> रसायन विज्ञान: दो, विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान: 14, बिजनेस स्टडीज कॉलेज: दो, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला: दो

को मजबूत करना था, पीठ के निर्दिष्ट अनुशासन पर केंद्रित उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अल्पकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था, लेख/शोध पत्र/रिपोर्ट/पुस्तकें आदि प्रकाशित करना था। विश्वविद्यालयों में मौजूदा/चल रही पीठों पर नियुक्त पीठासीन प्राध्यापक का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। इसे अधिकतम सात वर्षों की सीमा के अधीन दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में पहले से मौजूद/चल रही पीठों को पीठ का वर्तमान कार्यकाल पूर्ण होने के बाद बंद कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2023) कि जनवरी 1990 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 16 पीठों का सृजन किया गया था। पीठों के सृजन का औचित्य केवल सात<sup>14</sup> पीठों में ही पाया गया। पीठों की स्थापना/कार्यप्रणाली के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- (i) मई 1998 से दिसंबर 2021 के बीच सृजित 16 में से 11 पीठों<sup>15</sup> को उनकी अधिसूचना से एक से 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी कभी कार्यात्मक नहीं बनाया गया।
- (ii) 16 में से आठ पीठों<sup>16</sup> में चार से 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी सक्रियण हेतु अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
- (iii) पांच कार्यात्मक पीठों में से चार पीठ<sup>17</sup>, जिन्हें जून 2011 से दिसंबर 2012 तक कार्यात्मक बनाया गया था, जो सात साल की तय समय सीमा के बाद भी काम कर रही थीं।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (नवंबर 2023) कि शैक्षणिक परिषद/वित्त समिति की अनुशंसा पर पीठों का निर्माण या स्थापना की गई तथा उन्हें कार्यात्मक बनाया गया।

<sup>14</sup> डॉ. बीआर अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु नानक देव, बाबू जग जीवन राम सामाजिक समावेशन अध्ययन पीठ, स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, राजीव गांधी पंचायती राज अध्ययन पीठ

<sup>15</sup> नेता जी सुभाष चंद्र बोस, मोहन दास करम चंद गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु नानक देव, राजीव गांधी पंचायती राज अध्ययन पीठ, बाबू जग जीवन राम सामाजिक समावेशन अध्ययन पीठ, संस्कृत शोध केंद्र निरमंड, स्वामी विवेकानंद, सावित्री बाई फुले, संत शिरोमणि गुरु रवि दास, राजा वीरभद्र सिंह।

<sup>16</sup> नेता जी सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, गुरु नानक देव, राजीव गांधी पंचायती राज अध्ययन पीठ, बाबू जग जीवन राम सामाजिक समावेशन अध्ययन पीठ, संस्कृत शोध केंद्र निरमंड, स्वामी विवेकानंद, डॉ. केशव बलिराम हेडगवार।

<sup>17</sup> डॉ. बी आर अम्बेडकर, डॉ. दीन दयाल उपाध्याय, डॉ. वाई.एस. परमार और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी।

हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 11 पीठों के कार्यात्मक न होने का कोई उचित कारण नहीं बताया। इस प्रकार पीठों के कार्यात्मक न होने से शोध प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई तथा शैक्षणिक संवाद एवं सार्वजनिक नीति हेतु विश्वविद्यालय के योगदान में भी बाधा आई।

अंतिम बैठक (अप्रैल 2025) में वित्त अधिकारी ने बताया कि पूंजी की कमी के कारण पीठ कार्यात्मक नहीं हैं और उन्हें सक्रिय किया जाएगा।

### 2.10.3 सहयोगात्मक गतिविधि: उद्योग- शैक्षणिक संपर्क - कार्यात्मक समझौता ज्ञापन

शिक्षा जगत व उद्योग जगत के मध्य सहजीवी संबंध है। विश्वविद्यालयों व उद्योगों के बीच सहयोग में पारस्परिकता और ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान का विचार निहित होता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अनुसंधान प्रोत्साहन नीति में अनुसंधान सहित सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए बाहरी संस्थानों, राज्य विभागों, औद्योगिक घरानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर भी जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों के लिए स्व-अध्ययन रिपोर्ट 2020 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मैनुअल के गुणवत्ता संकेतक ढांचे के मुख्य संकेतक 3.7 के अनुसार सहयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थान कार्य क्षेत्र के साथ निकट संपर्क बनाए रख सकते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उस संस्थान को अधिकतम अंक प्रदान करता है जिसने इंटरनेट, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रोजेक्ट कार्य, छात्र/संकाय आदान-प्रदान तथा सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए उद्योगों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों आदि के साथ 40 या उससे अधिक कार्यात्मक समझौता ज्ञापन/संबंध निष्पादित किए हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 24 समझौता ज्ञापनों<sup>18</sup> पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि केवल पांच समझौता ज्ञापन<sup>19</sup> ही कार्यात्मक/सक्रिय थे, जिनसे छात्रों के प्लेसमेंट, कार्यशाला/प्रशिक्षण/सम्मेलन/संकाय विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसे लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

नौ निष्क्रिय समझौता ज्ञापनों की विस्तृत संवीक्षा से उजागर हुआ कि उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे। इस प्रकार समझौता

<sup>18</sup> विधि विभाग: एक, विश्वविद्यालय कानूनी अध्ययन संस्थान: चार, विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान: 18 और अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र: एक

<sup>19</sup> अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र: एक, विधि विभाग: एक, विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान: तीन

ज्ञापनों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का भी लाभ नहीं उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त अनुसंधान प्रयास हुए, जैसा कि **परिच्छेद 2.10.1** में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र, विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान व विश्वविद्यालय कानूनी अध्ययन संस्थान के अतिरिक्त नमूना-जांचित किसी भी विभाग ने 2020-23 के दौरान उद्योगों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जिसके कारण छात्रों को उन संभावित लाभों से वंचित होना पड़ा जो उद्योगों के साथ सहयोग से प्राप्त किए जा सकते थे।

## 2.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालय के मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक प्रशासन तथा रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया। निरंतर संकाय रिक्तियां (एक तिहाई तक) तथा नियुक्तियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का पालन न करने के उदाहरण तथा पेशेवर विकास गतिविधियों में सीमित भागीदारी ने शिक्षण व अनुसंधान प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। औसत शोध उत्पादन कम बना हुआ है, जो प्रत्येक दस संकाय सदस्यों के लिए एक से भी कम वित्तपोषित परियोजना है।

बुनियादी ढांचे की कमियों को भी देखा गया। कक्षाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अभाव था, विज्ञान प्रयोगशालाएं अपर्याप्त रूप से सुसज्जित थीं तथा कई अनुसंधान उपकरण पर्याप्त निवेश के बावजूद विस्तारित अवधि के लिए अकार्यात्मक बने रहे। पर्याप्त व्यय के बावजूद उद्यम संसाधन योजना प्रणाली अपूर्ण रही।

शैक्षणिक व प्रशासनिक संरचनाओं में विलंब तथा स्थिरता देखा गई। अध्ययन बोर्डों का पुनर्गठन निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया था; कुछ मामलों में पाठ्यक्रम संशोधन उन्नीस वर्षों तक लंबित था; और लगभग एक-तिहाई कार्यक्रमों में विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू नहीं की गई थी। शैक्षणिक पीठों व उद्योग के साथ सहयोग बड़े पैमाने पर अकार्यात्मक रहा।

ये कमियां विश्वविद्यालय के घोषित उद्देश्यों तथा उसकी वास्तविक कार्यान्वयन क्षमता के बीच अंतर को इंगित करती हैं। उच्च शिक्षा में संस्थान के घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकाय तैनाती, बुनियादी ढांचे तथा शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए समय पर व समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

## 2.12 अनुशासन

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) दो-वर्षीय संकाय योजना को अपनाकर संकाय कमी को दूर करना तथा क्षमता को बढ़ाना  
(क) वर्तमान 27-37 प्रतिशत रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए तीव्र गति से भर्ती करे  
(ख) नियुक्ति से पूर्व प्रत्येक प्रमाण-पत्र का डिजिटल सत्यापन आवश्यक करे तथा  
(ग) पदोन्नति वेतन वृद्धि को प्रत्येक वर्ष एक मान्यता प्राप्त व्यावसायिक-विकास कार्यक्रम पूर्ण करने से जोड़े।
- (ii) प्रत्यायोजित व्यय शक्तियों के साथ एक बुनियादी ढांचा बहाली कार्य बल का गठन करके मुख्य शिक्षण व अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बहाल करना (क) सभी उच्च-मूल्य वाले प्रयोगशाला उपकरणों को उपयोगी बनाना (ख) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी-सक्षम कक्षाओं को वर्तमान 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना तथा (ग) 18 माह के भीतर सभी 37 उद्यम संसाधन योजना मॉड्यूलों को पूर्णतः कार्यात्मक बनाना, परीक्षा, शोध-प्रबंधन और प्लेसमेंट मॉड्यूलों को प्राथमिकता देना जो सीधे तौर पर शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एक रिंग-फैंसड रखरखाव बजट - जो प्रायोजित परियोजनाओं पर पहले से ही स्वीकृत पांच प्रतिशत ओवरहेड से आहरित किया गया हो - बाद में परिसंपत्तियों को उपयोग योग्य बनाए रखेगा।
- (iii) शैक्षणिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव जारी करके एक निश्चित कैलेंडर पर पाठ्यक्रम शासन को पुनः सक्रिय करना (क) अगले सेमेस्टर की शुरुआत तक पूर्ण वैधानिक प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्येक अध्ययन बोर्ड का पुनर्गठन करे, (ख) संरचित हितधारक प्रतिक्रिया पर आधारित एक तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम समीक्षा चक्र निर्धारित करे तथा (ग) 2026-27 सत्र से शेष सभी कार्यक्रमों में चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाने का कार्य पूर्ण करे। कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक "पाठ्यक्रम स्थिति रिपोर्ट" के माध्यम से अनुपालन पर नज़र रखी जा सकती है।
- (iv) ग्यारह निष्क्रिय शैक्षणिक पीठों और निष्क्रिय समझौता ज्ञापनों को विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं आउटरीच प्रकोष्ठ में विलय करके सार्थक परिणाम हेतु मापनीय आउटपुट के लिए अनुसंधान पीठों और साझेदारियों को सक्रिय करें, (i) प्रत्येक पीठ को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित समन्वयक और मामूली प्रारंभिक अनुदान के साथ पुनः आरंभ करे, (ii) प्रत्येक समझौता ज्ञापन को समयबद्ध कार्य योजना (इंटरनशिप, संयुक्त परियोजनाएं या सलाहकार सेवाएं) में परिवर्तित करे, और (iii) तीन वर्षों के भीतर प्रत्येक पांच संकाय सदस्यों के लिए एक बाह्य वित्तपोषित परियोजना का लक्ष्य रखें-जो - राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। विभागों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए प्रगति को वार्षिक शोध रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए।



## **अध्याय-III**

**हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों का  
विनियमन (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र  
कल्याण योजना सहित)**






## अध्याय III: हिमाचल प्रदेश में खानों एवं खनिजों का विनियमन (प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित)

### उद्योग विभाग

#### 3.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश, जो 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला है, विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। राज्य के सबसे व्यापक भंडारों में रासायनिक-ग्रेड के चूना पत्थर व डोलोमाइट शामिल हैं, जबकि बैराइट्स और जिप्सम के छोटे किंतु व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भंडार भी पाए जाते हैं। स्लेट एवं विभिन्न निर्माण सामग्री राज्य के अधात्विक खनिज भंडार को और भी समृद्ध बनाती हैं। राज्य की सीमाओं के भीतर कुल मिलाकर सैंतीस प्रकार के खनिज दर्ज किये गए हैं परन्तु वर्तमान में केवल बैराइट्स, चूना पत्थर, सेंधा नमक व शेल ही आर्थिक व्यवहार्यता सीमा को पूर्ण करते हैं, और उत्खनन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ये संसाधन मिलकर हिमाचल प्रदेश के निर्माण, विनिर्माण और संबद्ध उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं।

हिमाचल प्रदेश की खनिज रूपरेखा मानचित्र 3.1 में दर्शाई गई है।



स्रोत: उद्योग विभाग की भूवैज्ञानिक शाखा की वेबसाइट।

### 3.2 भारत में प्रमुख व गौण खनिजों के लिए नियामक ढांचा

भारत में खनिज प्रशासन दो अलग-अलग व्यवस्थाओं में विभाजित है। केंद्र सरकार लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर व डोलोमाइट जैसे प्रमुख खनिजों की देखरेख, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2010 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत करती है तथा इन सभी के द्वारा इनके अन्वेषण, संरक्षण एवं विकास का प्रशासन किया जाता है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अंतर्गत राज्यों को रेत, बजरी व भवन निर्माण पत्थर जैसे गौण खनिजों की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा वे उनके स्वयं के विनियम बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने इस शक्ति का उपयोग हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) व खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के माध्यम से किया है, जो गौण खनिज संसाधनों के सतत निष्कर्षण, परिवहन एवं भंडारण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी भूमि पर दोनों प्रमुख व गौण खनिजों के लिए खनन पट्टों का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: हिमाचल प्रदेश में जिला-वार प्रमुख व गौण खनिज पट्टों का विवरण (मार्च 2023 तक)

जिला	प्रमुख खनिज	गौण खनिज	कुल पट्टे
सोलन	2	74	76
बिलासपुर	1	9	10
सिरमौर	31	58	89
ऊना	3	68	71
कांगड़ा*	0	86	86
हमीरपुर	0	46	46
शिमला	0	50	50
मंडी	1	42	43
कुल्लू	0	5	5
किन्नौर	0	0	0
चंबा	0	9	9
लाहौल-स्पीति	0	2	2
योग	38	449	487

\* तालिका में दिखाए गए जिला कांगड़ा में कांगड़ा व नूरपुर खनन कार्यालय शामिल हैं।


हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग का भूविज्ञान स्कंध राज्य के खनिज संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं की देखरेख करता है। यह प्रमुख व गौण खनिज भंडारों की पहचान करने एवं उनका मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण करता है तथा हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम व खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के तहत खनन पट्टों के पूरे जीवन चक्र को अनुदान और नवीनीकरण से समाप्ति तक प्रशासित करता

है। अन्य विभागों के सहयोग से यह अवैध निष्कर्षण, अनधिकृत परिवहन व खनिजों के अवैध भंडारण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को लागू करता है। यह स्कंध समय पर राजस्व प्राप्त सुनिश्चित करते हुए खनिज रियायतों से रॉयल्टी, शुल्क व अन्य बकाया राशि का आकलन और संग्रहण भी करता है, जिससे राज्य की कर-भिन्न आय में वृद्धि होती है।

### 3.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में खनन कार्य के लिए जिम्मेदार उद्योग निदेशक के अधीन भूवैज्ञानिक स्कंध का संगठनात्मक चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक ढांचा



### 3.4 खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य ने प्रमुख व गौण खनिजों से संबंधित खनिज रियायतों, किराए व रॉयल्टी से ₹ 1236.66 करोड़ की कर-भिन्न प्राप्तियां अर्जित कीं, जैसाकि तालिका 3.2 में विवर्णित है।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 की अवधि में प्रमुख व गौण दोनों खनिजों के लिए खनन गतिविधियों से उत्पन्न खनिज रियायतों, किराए, रॉयल्टी से हुए राजस्व संग्रह का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	खनिज संसाधनों से राजस्व संग्रह			राज्य का कुल कर-भिन्न राजस्व	कुल से राजस्व का प्रतिशत (कर-भिन्न राजस्व)
	रॉयल्टी	अन्य <sup>1</sup> देय	कुल राजस्व		
2018-19	169.66	51.38	221.04	2,830.07	7.81
2019-20	190.10	56.20	246.30	2,501.51	9.85
2020-21	201.14	51.02	252.16	2,188.46	11.52
2021-22	199.82	31.00	230.82	2,612.36	8.84
2022-23	238.40	47.94	286.34	2,876.33	9.97
<b>योग</b>	<b>999.12</b>	<b>237.54</b>	<b>1,236.66</b>	<b>13,008.73</b>	<b>9.51</b>

स्रोत: विभागीय अभिलेख व संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 व 2022-23 के मध्य खनिज रियायतों, किराए एवं रॉयल्टी से हुई हिमाचल प्रदेश की आय में वृद्धि और चक्रीय भिन्नता दोनों देखी गई। वर्ष 2018-19 में खनिज राजस्व ₹ 221.04 करोड़ रहा, जो राज्य की कुल कर-भिन्न प्राप्तियों का 7.81 प्रतिशत था; वर्ष 2020-21 तक ये संग्रहण बढ़ कर ₹ 252.16 करोड़ हो गया और कर-भिन्न राजस्व के 11.52 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 में ₹ 230.82 करोड़ (8.84 प्रतिशत) की मामूली गिरावट के बाद वर्ष 2022-23 में संग्रहण मजबूती से बढ़कर ₹ 286.34 करोड़ या कर-भिन्न राजस्व का 9.97 प्रतिशत हो गया। पांच वर्ष की अवधि में राज्य ने खनन गतिविधियों से ₹ 1,236.66 करोड़ का संचित राजस्व अर्जित किया - जो कर-भिन्न राजस्व में 9.51 प्रतिशत का औसत वार्षिक योगदान है - जो हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिति में इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है।

### 3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित की जांच हेतु की गई:

- गौण खनिजों का मितव्ययी, कुशल तथा पर्यावरण-अनुकूल संसाधन प्रबंधन
- अधिनियमों/नियमों के अनुसार रियायतों को प्रदान, नवीनीकरण, समाप्ति व अभ्यर्पण करना
- अवैध खनन को रोकना और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना
- खनिज रियायतों से राजस्व की उचित वसूली
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन/जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यकरण

<sup>1</sup> अन्य ड्रिलिंग कार्य, अधिक भुगतान की वसूली, अपशिष्ट कागज़ व भंडारित सामग्रियों की नीलामी, विविध प्राप्तियां व लोक निर्माण विभाग से प्राप्तियां।

### 3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों से प्राप्त किया गया:

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
2. खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2010
3. हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2013
4. हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम व खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015
5. हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016
6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश
7. हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011
8. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, आदेश व परिपत्र।

### 3.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक संचालित की गई। चार जिला खनन कार्यालयों (सोलन, बिलासपुर, ऊना व शिमला) का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर चयन किया गया। इसके अतिरिक्त 26 खनन स्थलों<sup>2</sup> अर्थात कुल प्रचालनरत खनन स्थलों का 10 प्रतिशत या चयनित जिलों में कम से कम पांच खनन स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। खनन योजनाओं में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन का आकलन करने के लिए 10 पट्टों का भू-स्थानिक सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधियों के उपयोग की नमूना-जांच के प्रयोजनार्थ इन जिलों के अंतर्गत 17 में से 11 खण्डों व चयनित खण्डों की 92 ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतों को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों के सत्यापन हेतु चुना गया। तदनुसार चयनित 30 ग्राम पंचायतों में 281 में से 68 परियोजनाओं का निरीक्षण किया

<sup>2</sup> बिलासपुर-पांच, शिमला-पांच, सोलन-आठ व ऊना-आठ।

गया। आईडीईए सॉफ्टवेयर पर प्रतिस्थापन विधि के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से नमूनाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त इन 68 परियोजनाओं से जुड़े 1,082 लाभार्थियों का चयन उनकी उपलब्धता के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विभागीय अभिलेखों की समीक्षा एवं चयनित जिलों में पट्टे पर दिए गए स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण, खनन पट्टों का भू-स्थानिक सर्वेक्षण व लाभार्थी सर्वेक्षण समाविष्ट था। सचिव, खनन विभाग के साथ 04 सितंबर, 2023 को आयोजित प्रथम बैठक में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) के साथ 22 मई 2025 को आयोजित अंतिम बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा इस प्रतिवेदन में सरकार के विचारों को यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

### **3.8 खनिज संसाधनों की योजना एवं अनुमान**

#### **3.8.1 वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना**

कार्यालय नियम-पुस्तिका, हिमाचल प्रदेश सरकार, 2011 के नियम 14.10.1 में प्रत्येक निदेशालय एवं विभाग को प्रत्येक जनवरी-फरवरी में वार्षिक कार्य योजना तैयार करना तथा मार्च के अंत तक उसका अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए माह-वार या तिमाही-वार गतिविधियों का क्रम निर्धारित होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पांच में से किसी भी वर्ष के लिए कार्यालय नियम-पुस्तिका द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निदेशालय ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सांविधिक निरीक्षण, रॉयल्टी निर्धारण, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की परियोजना के लक्ष्य या पट्टाधारकों के लिए क्षमता-निर्माण पहल के समेकित कैलेंडर के बिना प्रवेश किया।

जब इस चूक को इंगित किया गया, तो अगस्त 2023 में राज्य भूविज्ञानी ने प्रत्युत्तर दिया कि योजना बनाने का कार्य उद्योग निदेशक का है तथा इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा। मई 2025 तक कोई और जानकारी नहीं दी गई।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि वार्षिक राजस्व लक्ष्य फिर भी पूरे किए जा रहे हैं। यह तर्क अनुपालन-हीनता को कम नहीं करता, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि इन लक्ष्यों को पर्यावरणीय निगरानी, हितधारक प्रशिक्षण और जिला खनिज फाउंडेशन परियोजना के कार्यान्वयन (वितरण)

के साथ किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, प्रगति की जांच किन-किन बिंदुओं पर होगी तथा किन आकस्मिक परिस्थितियों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना एवं अनुपूरक परिणाम-बजट योजनाओं के अभाव में निदेशालय ने क्षेत्रीय गतिविधियों को नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करने, सामाजिक प्रभाव संकेतकों के सापेक्ष प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना संसाधनों के उपयोग की निगरानी करने तथा उद्योग विभाग को विश्वसनीय निष्पादन डेटा प्रस्तुत करने के संगठित तंत्र को खो दिया।

### 3.8.2 खनिज भंडार का अपूर्ण अनुमान

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 (खंड 5) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य उसके खनिज संसाधनों की वैज्ञानिक रूप से व्युत्पन्न व्यापक सूची अनुरक्षित करे एवं उसे आवधिक रूप से अपडेट करे, जिसमें अपतटीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले भंडार भी शामिल हों। हिमाचल प्रदेश की स्वयं की खनिज नीति (2013) इस दायित्व को और सुदृढ़ करती है, जिसके अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य के भूवैज्ञानिक प्रकोष्ठ को व्यवस्थित सर्वेक्षण और अन्वेषण की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही उनसे खनिज संसाधन ढांचे के तहत ज़िला स्तर पर सर्वेक्षण दस्तावेज़ तैयार करना भी अपेक्षित है।

चार नमूना जिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य नीति जारी होने के एक दशक से अधिक समय के बाद भी खनिज संपदा का समग्र आकलन नहीं किया गया है। ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट ही एकमात्र उपलब्ध डेटा है, जो विशेष रूप से केवल नदी के तल से प्राप्त खनिजों को ही शामिल करती है; जबकि पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों के संभावित भंडारों का अब तक अन्वेषण एवं अनुमान नहीं किया गया है। अतः विभाग ने राष्ट्रीय व राज्य नीति द्वारा अपेक्षित व्यापक सूची तैयार नहीं की है, जिससे अन्वेषण, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और राजस्व जुटाने की साक्ष्य-आधारित योजना का निर्माण प्रभावित हुआ है।

फरवरी व जुलाई 2024 के मध्य प्रस्तुत प्रत्युत्तरों में खनन अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रीकृत योग्य व्यक्ति अनिवार्य खनन योजना तैयार करते समय व्यक्तिगत पट्टा क्षेत्रों के भीतर भंडार का अनुमान लगाते हैं तथा पर्वतीय ढलान का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि वहां अधिकांश रियायतें निजी या बंजर भूमि पर स्थित हैं। हालांकि यह स्पष्टीकरण अविश्वसनीय है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार पट्टा-विशिष्ट मूल्यांकन राज्य-व्यापी संसाधन मूल्यांकन का स्थान नहीं ले सकता है, तथा रियायतों के स्थान सरकार को सभी भू-भागों में खनिज संपदा की मात्रा निर्धारित करने के अपने सांविधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने यह दावा किया कि 2024 की अद्यतित ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट व्यापक सूची की मांग को पूरा करती हैं। इन रिपोर्टों की जांच से स्पष्ट होता है

कि उनकी परिधि अब भी केवल नदी तल खनिजों तक सीमित है, जबकि पर्वतीय ढलान क्षेत्रों के भंडार पूरी तरह उपेक्षित रह गए हैं।

पूर्ण सूची का अभाव युक्तिपूर्ण अन्वेषण, सतत संसाधन प्रबंधन और यथार्थवादी रॉयल्टी के पूर्वानुमान को बाधित करता है। आधुनिक सुदूर-संवेदी, भू-स्थानिक व भूभौतिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए एक समयबद्ध, राज्य-व्यापी सर्वेक्षण, जिसके बाद परिणामों को एक केंद्रीय खनिज-संसाधन डेटाबेस में एकीकृत किया जाता हो, इस नीति-से-व्यवहार के महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए अनिवार्य है।

### 3.9 खनिज संसाधनों का खनन एवं निष्कर्षण

#### 3.9.1 खनिज रियायत आवेदनों में विलम्ब एवं निपटान न होना

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) एवं खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 आवेदनों पर कार्रवाई और पट्टों के निष्पादन के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध ढांचा स्थापित करते हैं। नियम 7 के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टा आवेदन की वैधता उसकी प्राप्ति की तिथि से तीन वर्षों तक सीमित है; नियम 10 के तहत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने एवं उसकी टिप्पणियां राज्य भूवैज्ञानिक को भेजने हेतु एक संयुक्त निरीक्षण समिति अपेक्षित है; नियम 11 के अनुसार प्रत्येक खनन अधिकारी को फॉर्म 'ई' में पट्टा रजिस्टर रखना अनिवार्य है; और नियम 17 यह निर्धारित करता है कि अनुमोदित पक्ष को अनुमोदन आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर फॉर्म 'एफ' में पट्टा विलेख निष्पादित करना अनिवार्य है, अन्यथा पट्टा रद्द माना जाएगा व आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में इन प्रावधानों से प्रणालीगत विचलन उजागर हुए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निपटान किए गए 73 आवेदनों में से चौदह<sup>3</sup> आवेदनों पर प्राप्ति की निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के बाद 71 से 1184 दिनों तक निर्णय नहीं लिया गया। लेखापरीक्षा दल को किसी भी फाइल में यह पत्राचार नहीं मिला कि अनिवार्य निरीक्षण समय पर क्यों पूरा नहीं किये गये, जिससे अपरिहार्य बाह्य विलम्ब के बजाय अंतर-विभागीय समन्वय में कमियों का संकेत मिलता है। इन कमियों को और भी बदतर बनाते हुए, किसी भी जिले ने अनिवार्य फॉर्म 'ई' पट्टा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया, जिससे विभाग को आवेदनों, स्वीकृतियों और समाप्ति की वास्तविक समय पर जानकारी नहीं मिल पाई। पट्टा विलेखों के निष्पादन में

<sup>3</sup> शिमला-चार, सोलन-छ: व ऊना-चार।



देखा गया कि पांच<sup>4</sup> स्वीकृत मामलों में विलेख पर तीन माह की सीमा से छः से 282 दिन बाद हस्ताक्षर किए गए।

इन विलम्बों को स्वीकार करते हुए विभाग ने इसका कारण संयुक्त निरीक्षण समिति प्रक्रिया को बताया, जिसमें कई लाइन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति एवं विभिन्न सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करना अपेक्षित है। हालांकि फाइलों में निरीक्षण कार्यक्रम, अनुस्मारक या मंजूरी हेतु अनुरोध जैसे कोई साक्ष्य नहीं थे जो इस दावे की पुष्टि करते कि बाहरी एजेंसियां प्राथमिक बाधा थीं। इसके विपरीत, मूलभूत अभिलेख रखने की व्यवस्था का अभाव एक ऐसे आंतरिक नियंत्रण तंत्र की ओर इशारा करता है जो अपनी ही समय-सीमाओं को लागू करने में असमर्थ है। अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया।

### 3.9.2 सीमावर्ती क्षेत्रों में खुले बिक्री पट्टे अनियमित रूप से देना

हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2013 के अनुलग्नक-ए के परिच्छेद 8.3 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर खुले या निःशुल्क बिक्री पट्टे देने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि नदी तल के अत्यधिक दोहन एवं खनिजों के अनधिकृत सीमा पार परिवहन का खतरा बढ़ जाता है। नीति ऐसे स्थानों पर खुली बिक्री के लिए खनन को निजी भूमि तक सीमित करती है तथा विभाग से औपचारिक अध्ययन के माध्यम से किसी अतिरिक्त उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती क्षेत्र को चिह्नित करने की अपेक्षा करती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने स्थापित किया कि इन सुरक्षा उपायों की अपेक्षा की गई जब विभाग ने पंजाब से सटे तहसील ऊना, जिला ऊना में सरकार के स्वामित्व वाली स्वान नदी पर अक्टूबर 2017 व फरवरी 2018 के मध्य चार खुले-बिक्री पट्टों की नीलामी की। यह देखा गया कि ₹ 2.05 करोड़ के सामूहिक बोली मूल्य पर दस वर्षों के लिए दिए गए पट्टों में बड़े पैमाने पर यांत्रिक व अवैज्ञानिक खनन, सीमांकन स्तंभों की अनुपस्थिति तथा स्वान नदी चैनल के तटबंध पर अतिक्रमण जैसे उल्लंघन देखे गए। ऊना खनन कार्यालय ने जुलाई 2021 में संचालन निलंबित कर दिया और अगस्त 2022 में उद्योग निदेशक ने सभी चार पट्टों को रद्द कर दिया। तीन पट्टेदारों से ₹ 53.24 लाख की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली गई, जैसाकि परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा चौथे पट्टेदार से ₹ 10 लाख अब भी बकाया है।

विभाग ने प्रत्युत्तर (जुलाई 2024) में बताया कि खनन कार्य बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें इस मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं है कि अधिसूचित सीमा क्षेत्र में पट्टे क्यों जारी किए

<sup>4</sup> सोलन-तीन व ऊना-दो।

गए, न ही इसमें शेष प्रतिभूति राशि की वसूली या पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने में विफलता की व्याख्या की गई है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान यह बताया गया कि नीति लागू होने के बाद से सरकारी भूमि पर खुली बिक्री के लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया है।

सरकार का उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि ऊना पट्टों से संबंधित अभिलेख इस दावे का खंडन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए अनिवार्य अध्ययन अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके चलते नीति को अपनाए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद भी राज्य के पास समग्र जोखिम रूपरेखा उपलब्ध नहीं है।

### 3.10 खनन गतिविधियों की निगरानी एवं विनियमन

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 विधिवत रूप से प्रदत्त खनन पट्टे के बिना खनन कार्यों के संचालन को प्रतिबंधित करती है; धारा 21 उल्लंघनों के लिए शास्ति निर्धारित करती है, जिसमें अधिकृत पारगमन पास के बिना खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती और जब्त सामग्री की नीलामी शामिल है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 19 फरवरी 2020 के उसके आदेश के द्वारा इन सांविधिक प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक राज्य को यह निर्देश दिया कि अवैध खनन में संलिप्त वाहनों व उपकरणों को जब्त किया जाए तथा निर्धारित शास्ति अदा करने पर ही छोड़ा जाए तथा जहां अपराधी बार-बार उल्लंघनकर्ता है, वहां वाहन के शोरूम मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत का भुगतान करने पर रिहाई की अनुमति दी जाए।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अनुरूप धारा 23-सी राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम, 2015 (नियम 73 व 81)<sup>5</sup> पहली और दूसरी बार के अपराधों को शमनीय बनाने की अनुमति देते हैं परन्तु इसके बाद किसी भी उल्लंघन के लिए प्राधिकृत अधिकारी को सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करनी अपेक्षित है। खनन, पुलिस, वन और अन्य विभागों<sup>6</sup> के अधिकारियों को ऐसे कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है।

<sup>5</sup> दो वर्षों तक के कारावास या ₹ 25,000/- तक अर्थदंड अथवा दोनों हो सकते हैं।

<sup>6</sup> उद्योग, राजस्व, पुलिस, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग।

### 3.10.1 अवैध खनन की निरंतरता

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि के विभागीय डेटा की जांच से उजागर हुआ कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के 40,757 मामले सामने आए। वार्षिक रूप से पाए गए मामलों की संख्या वर्ष 2021-22 के 6,284 से वर्ष 2018-19 में 9,804 मामलों के मध्य घटती-बढ़ती रही, जैसाकि तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: हिमाचल प्रदेश में पाए गए अवैध खनन मामले (2018-23)

वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या			
	कुल	खनन विभाग द्वारा	पुलिस द्वारा	अन्य विभागों द्वारा
2018-19	9,804	2,631 (27)	6,958 (71)	215 (2)
2019-20	9,712	2,422 (25)	6,804 (70)	486 (5)
2020-21	6,506	2,850 (44)	3,638 (56)	18 (0.27)
2021-22	6,284	2,870 (46)	3,383 (54)	31 (0.4)
2022-23	8,451	3,701 (44)	4,568 (54)	182 (2)
<b>योग</b>	<b>40,757</b>	<b>14,474</b>	<b>25,351</b>	<b>932</b>

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

यद्यपि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश का उद्देश्य अवरोध को बढ़ाना था तथापि प्रवृत्ति से पता चलता है कि प्रवर्तन से अवैध गतिविधि में स्थायी कमी नहीं आई। वर्ष 2020-21 व 2021-22 की गिरावट महामारी संबंधित गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण प्रतीत होती है न कि कड़ी नियामक कार्रवाई के कारण, जैसाकि वर्ष 2022-23 में 8,451 मामलों की पुनः वृद्धि से स्पष्ट होता है। पुलिस द्वारा मामलों का लगातार प्रमुख रूप से पता लगाया जाना दर्शाता है कि खनन विभाग की निगरानी, चाहे वह क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से हो, चौकियों के माध्यम से हो या तकनीक-आधारित निगरानी के माध्यम से, अपर्याप्त बनी हुई है। इस प्रकार अवैध खनन गतिविधियों को कम करने का मौजूदा ढांचा अभी भी कमजोर है।

अंतिम बैठक के दौरान (मई 2025) इन निष्कर्षों को सरकार ने स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

### 3.10.2 नमूना-जांचित जिलों में अवैध खनन

लेखापरीक्षा में चयनित चार जिलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रवर्तन अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि राज्य के गौण-खनिज विनियमन नियंत्रण ढांचे में व्यापक कमियां हैं। पाए गए कुल 4,839 उल्लंघनों<sup>7</sup> में से (858 अनधिकृत खनन व 3,981 अनधिकृत परिवहन के लिए) कानूनी व्यवस्था का अवरोधक प्रभाव न्यायिक कार्यवाही में सीमित वृद्धि, बार-बार

<sup>7</sup> बिलासपुर: 665 मामले, शिमला: 975 मामले, सोलन: 1,782 मामले व ऊना: 1,417 मामले।

उल्लंघन करने वालों की अपर्याप्त ट्रेकिंग एवं मामूली समझौता शुल्क के बदले उल्लंघनकर्ताओं को खनिज व वाहन दोनों रखने के लगभग नियमित निर्णय के कारण काफी कमजोर पड़ा।

यद्यपि 104 वाहन<sup>8</sup> या व्यक्ति एक से अधिक बार संलिप्त पाए गए फिर भी उन पर पहली बार उल्लंघन करने वालों की दरों पर ही जुर्माना लगाया जाता रहा (वाहन के प्रकार/लोडिंग क्षमता के अनुसार ₹ 4500/- से ₹ 25000/- तक)। विभाग ने जून 2024 के उसके प्रत्युत्तर में स्वीकार किया कि उसके पास जिले की सीमाओं के पार बार-बार उल्लंघन करने वालों को चिह्नित करने का कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है, इसलिए अलग-अलग काम कर रहे क्षेत्रीय अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के इतिहास से अनभिज्ञ रहते हैं। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम, 2015 के नियम 54(2) के तहत सक्षम न्यायालय में अनिवार्य वृद्धि लागू नहीं हुई तथा ₹ 25,000 तक की उच्च स्वीकृति या कारावास लागू नहीं हुआ।

समझौते की प्रथाओं ने अवरोधन को और कमजोर कर दिया। 3,981 परिवहन मामलों<sup>9</sup> में से 3,034 में न तो 21,870 मीट्रिक टन खनिज और न ही संबंधित परिवहन जब्त किए गए, जो कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम के नियम 56 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 16 अप्रैल 2019 के आदेश के विपरीत है, जिसके अनुसार जब्ती करनी होती है और ₹ दो लाख की न्यूनतम शास्ति के भुगतान के बाद ही छूटना संभव होता है। इस प्रकार राज्य ने उसी गतिविधि को नियमित कर दिया जिसे वह रोकना चाहता था, जिससे ₹ 83.11 लाख के राजस्व की प्रत्यक्ष हानि हुई (उल्लंघनकर्ताओं द्वारा रखे गए खनिज का मूल्यांकित मूल्य ₹ 65.61 लाख तथा छोड़ी गई रॉयल्टी ₹ 17.50 लाख)।

इन खामियों के पीछे नीतिगत कमी है। सरकार ने अभी तक वह आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की है जो क्षेत्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित शास्ति अधिरोपित करने की अनुमति दे। इसके अभाव में अधिकारी 2015 के नियमों में निर्धारित कम दरों को लागू करना जारी रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनमाना और असंगत अर्थदंड लगाया जाता है, जिसकी नमूना-जांचित जिलों में चालान की समीक्षा से पुष्टि हुई। विभाग का यह स्पष्टीकरण (जून 2024) कि खनिजों को जब्त नहीं किया गया क्योंकि कोई सुरक्षित भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं है, सांविधिक अनुपालना न होने या राजकोषीय एवं पर्यावरणीय जोखिमों के रूप में परिणत होने का समाधान नहीं करता है।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा अपेक्षित अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया।

<sup>8</sup> बिलासपुर: आठ मामले, शिमला: 35 मामले, सोलन: 52 मामले व ऊना: नौ मामले।

<sup>9</sup> बिलासपुर: 615, शिमला: 882, सोलन: 1,433 व ऊना: 1,051

### 3.10.3 सांविधिक निरीक्षणों में कमी

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-23 के दौरान निरीक्षण के लक्ष्यों<sup>10</sup> व उनकी प्राप्ति के मध्य एक स्थायी एवं बड़े अंतर की पहचान की गई। बिलासपुर व ऊना जिलों में सभी स्तरों पर निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम से 19 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक कम रहे, जबकि शिमला व सोलन में संबंधित खनन अधिकारियों ने कोई भी निरीक्षण डेटा प्रस्तुत नहीं किया।

इस कमी का मुख्य कारण क्षेत्रीय कर्मचारियों की गंभीर कमी थी। जुलाई 2023 तक स्वीकृत 324 पदों में से 43 प्रतिशत पद रिक्त छोड़ते हुए केवल 186 पर ही कर्मी पदस्थ थे, जिनमें से कुछ तो एक दशक से भी अधिक समय से रिक्त हैं। क्षेत्रीय स्तर पर खनन अधिकारियों के 58 प्रतिशत, खनन निरीक्षकों के अनुमानित 66 प्रतिशत, सहायक खनन अधिकारियों के 21 प्रतिशत एवं खनन रक्षकों के 39 प्रतिशत पद रिक्त थे।

दिसंबर 2023 व जुलाई 2024 के मध्य हुए विभागीय पत्राचार के दौरान खनन अधिकारियों ने निरीक्षण में कमी का कारण कर्मचारियों की कमी, अत्यधिक कार्यभार तथा वाहनों की अनुपलब्धता को बताया। पर्याप्त रूप से निरीक्षण न होने से खनिजों के निष्कर्षण व परिवहन, पट्टा सीमाओं से इतर खनन, अत्यधिक दोहन और अन्य अवैज्ञानिक प्रथाओं की निगरानी प्रभावित हुई।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

### 3.10.4 सिंगल विंडो पोर्टल एवं भौतिक अभिलेखों का असंगत होना

एकल खिड़की निकासी प्रणाली (सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पोर्टल के डेटा और संबंधित भौतिक फाइलों में दर्ज जानकारी के बीच प्रणालीगत विसंगति उजागर हुई। यद्यपि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की स्थापना निवेशकों को आवेदन जमा करने, भुगतान करने, उस पर नज़र रखने (ट्रैकिंग) एवं आवेदनों पर प्रक्रिया करने हेतु एक पारदर्शी, समयबद्ध मंच प्रदान करने के लिए की गई थी तथापि विभागीय अभिलेखों के साथ वास्तविक समय में समन्वय की कमी के कारण ऑनलाइन रूप से प्रदर्शित जानकारी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। यह असंगति पोर्टल के सटीक व अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करने के घोषित उद्देश्य को विफल करती है।

<sup>10</sup> **खनन रक्षक, खनन निरीक्षक व सहायक खनन निरीक्षक:** अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मासिक आधार पर कुल स्वीकृत खदानों का 100 प्रतिशत; **खनन अधिकारी:** तिमाही आधार पर जिले में कुल स्वीकृत खदानों का 100 प्रतिशत, **मुख्यालय के अधिकारी:** जिलों में कुल स्वीकृत खदानों का 15 प्रतिशत।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023), राज्य भूविज्ञानी ने स्वीकार किया कि जिम्मेदारी निदेशालय की है और बताया कि मामले को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए उचित सुधारात्मक उपाय लागू करने का आश्वासन दिया।

### 3.10.5 भू-स्थानिक सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम, 2015 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक के लिए यह अनिवार्य है कि वह राजस्व मानचित्र के अनुरूप सीमा स्तंभों की स्थापना और उनका रखरखाव करे; पर्वतीय ढलानों पर पांच मीटर का सुरक्षा घेरा बनाए रखे; पहाड़ी सतहों की खुदाई सीढ़ीनुमा स्तर बनाकर करे; तथा खदान स्थल पर विश्वसनीय पिट हेड वेब्रिज स्थापित करे। प्रत्येक पट्टा विलेख में इन सभी शर्तों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी सहायक बाध्यताएं भी शामिल होती हैं।

अनुपालन को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा दल ने 10 पट्टों के आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से प्राप्त भू-स्थानिक आउटपुट की जांच की, जैसाकि तालिका 3.4 में विवर्णित है तथा चार जिलों में फैली 26 खदानों, 25 गौण खनिज व एक प्रमुख खनिज का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया।

तालिका 3.4: भू-स्थानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष

क्र.सं.	पट्टे का नाम	सीमा स्तंभ	सुरक्षा घेरा	पट्टा सीमा से इतर खनन	बेंच बनाना	गलत निर्देशांक
1	मैसर्स आर. इंडस्ट्रीज, शिमला	✗	✗	हां	✗	नहीं
2	मैसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर, सोलन	✗	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां
3	मैसर्स रामा स्टोन क्रशर, सोलन	✗	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं
4	मैसर्स बजरंग स्टोन क्रशर, सोलन	✗	✗	हां	✗	नहीं
5	मैसर्स एचएसडी स्टोन क्रशर, ऊना	✓	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	हां
6	मैसर्स जसवाल स्टोन क्रशर, ऊना	✗	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	नहीं
7	मैसर्स महादेव स्टोन क्रशर, ऊना	✓	✗	हां	✗	नहीं



क्र.सं.	पट्टे का नाम	सीमा स्तंभ	सुरक्षा घेरा	पट्टा सीमा से इतर खनन	बेंच बनाना	गलत निर्देशांक
8	मैसर्स एसीसी बरमाणा, बिलासपुर	✓	✓	नहीं	✓	नहीं
9	मैसर्स नैना स्टोन क्रशर, बिलासपुर	✗	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	नहीं
10	मैसर्स शर्मा स्टोन क्रशर, सोलन	✗	✓	नहीं	लागू नहीं	नहीं
खनन पट्टे का अनुपालन न होने के कुल मामले		7	3	6	3	2


उपग्रह परत और भू सर्वेक्षण से मोटे तौर पर मेल खाते परिणाम प्राप्त हुए। 10 में से सात स्थलों तथा निरीक्षण किए गए 26 में से 21 स्थलों में स्थायी सीमा निर्धारण का अभाव था।

चित्र 3.1 व 3.2 पट्टा स्थल पर स्थायी सीमा स्तंभों की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं।







पर्वतीय ढलानों वाले पट्टों में किसी भी संचालक ने अनिवार्य बफर पट्टी नहीं बनाई थी तथा खुदाई कई बार बाहरी परिधि तक पहुंच गई या उसे पार कर गई।

चित्र 3.3 व 3.4 बफर पट्टी की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं



छ: पट्टों में स्वीकृत निर्देशांकों के बाहर सामग्री का खनन किया जा रहा था, शिमला व सोलन के अतिरिक्त स्थलों पर भी जमीनी स्तर पर यही पैटर्न देखा जा सकता है, जहां खदान का क्षेत्र अधिकृत सीमा से काफी आगे तक फैला हुआ था, जैसाकि चित्र 3.7 व 3.8 में दर्शाया गया है। एक चौंकाने वाले मामले में ऊना स्थित मैसर्स महादेव स्टोन क्रशर द्वारा खनन का वास्तविक क्षेत्र 3.69 हेक्टेयर मापा गया जबकि स्वीकृत क्षेत्रफल केवल 1.36 हेक्टेयर था, जैसाकि चित्र 3.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.5 व 3.6 पट्टा सीमा के बाहर खनन के उदाहरण दर्शाते हैं

	
<p>चित्र 3.5: मैसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर, सोलन</p>	<p>चित्र 3.6: मैसर्स महादेव स्टोन क्रशर, ऊना</p>
	
<p>चित्र 3.7: श्री भीम सिंह, गांव रंगाह, डाकघर ओछघाट, तहसील एवं जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)</p>	<p>चित्र 3.8: मैसर्स आर. इंडस्ट्रीज, झाकड़ी, रामपुर का पट्टा क्षेत्र</p>


क्षेत्रीय निरीक्षण में भी बेंचिंग की अनिवार्यता<sup>11</sup> की अवहेलना उजागर हुई। कई खदानों में खड़ी ढलानों पर 35-40 फीट की लगातार कटाई दिखाई दी, जो एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे भूस्खलन और मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। दो पट्टे गलत चिह्नित निर्देशांकों पर

<sup>11</sup> हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (पट्टा) नियम, 2015 के नियम 41(1) के अनुसार पर्वतीय ढलानों पर स्थित गौण खनिज खदानों में खनन कार्य सीढ़ीनुमा स्तर (बेंच) बनाकर किया जाना अनिवार्य है।



संचालित हो रहे थे, जो खनन योजनाओं के सत्यापन में विभाग की प्रणालीगत कमज़ोरियों को परिलक्षित करता है।

चित्र 3.9, 3.10, 3.11 व 3.12 तीन अलग-अलग खनन पट्टों के हैं, जो अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं को दर्शाते हैं



चित्र 3.9 व 3.10: मैसर्स आर इंडस्ट्रीज, शिमला



चित्र 3.11: यूनिक्स स्टोन क्रशर, बिलासपुर

चित्र 3.12: सुभाष ठाकुर, बिलासपुर

सहायक नियंत्रण अवसंरचना भी उतनी ही अपर्याप्त थी। 26 में से तेईस खनन स्थलों पर पिट हेड वेब्रिज नहीं थे, जिससे भेजे गए टन भार को सत्यापित करना या अधिक लोडिंग (भार) का पता लगाना असंभव हो गया। केवल 14 खनन स्थलों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जबकि शेष स्थलों पर वास्तविक समय की निगरानी नहीं हो रही थी, जिससे बिना रिकॉर्ड किए गए परिवहन या एक ही वाहन की बार-बार आवाजाही के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना लगभग नाममात्र रह गया।

निदेशालय ने (जुलाई 2024) स्वीकार करते हुए सुधारात्मक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक नमूना जिलों में किसी भी स्थल पर वेब्रिज स्थापित नहीं किया गया था तथा निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

### 3.10.6 जांच चौकियों (चेक-पोस्ट) के कार्यकरण में कमियां

लेखापरीक्षा में यह जांचा गया कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम, 2015 के नियम 80 के तहत स्थापित खनिज जांच चौकियों का नेटवर्क, अवैध खनन पर अंकुश लगाने एवं राजस्व की क्षति रोकने के हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2013 के उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है या नहीं।

सीमावर्ती तीन जिलों, बिलासपुर, सोलन व ऊना में अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के मध्य ₹ 105.87 लाख<sup>12</sup> की पूंजीगत लागत से छः<sup>13</sup> जांच चौकियों का निर्माण किया गया, जो पूर्णतः जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संसाधनों से वित्तपोषित था। इनमें से पांच सुविधाएं ऊना ज़िले में स्थित हैं, जबकि सोलन में एक चौकी स्थापित की गई है। कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण सोलन चौकी 39 माह तक निष्क्रिय रही। बिलासपुर में कोई जांच चौकी स्थापित नहीं की गई, जबकि यह ज़िला पंजाब के अत्यधिक व्यस्त यातायात वाला अंतरराज्यीय मार्ग साझा करता है।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2021 से मार्च 2024 की अवधि हेतु ऊना जिले की पांच सक्रिय खनिज जांच चौकियों से प्राप्त विस्तृत लॉग का विश्लेषण किया। इन तीन वर्षों में अधिकारियों ने 35,679 वाहनों का निरीक्षण किया एवं 84 चालान जारी किए, जिनसे ₹ 10.10 लाख के संयोजित अर्थदंड की वसूली की गई, जैसाकि तालिका 3.5 में विवर्णित है। इसके अतिरिक्त विभाग की अलग-अलग प्रवर्तन शाखाओं ने इसी अवधि के दौरान अवैध परिवहन के कहीं अधिक मामलों की सूचना दी, जो यह दर्शाता है कि अवैध परिवहन निर्धारित चौकियों से विचलित होने के बजाय उनसे बच कर निकल रहे हैं।

तालिका 3.5: ऊना जिले में चालान जारी किए गए वाहनों की संख्या एवं चौकियों की स्थापना व संचालन की लागत का विवरण

(₹ लाख में)

चौकी का नाम	पंडोगा	बथेरी	पोलियां	मैहतपुर	गगरेट	कुल
निर्माण लागत	40.26	28.04	27.56	2.27	2.27	100.4
मजदूरी व विद्युत पर खर्च	30.20	35.26	29.87	33.93	32.07	161.33
जांचित वाहनों की कुल संख्या	6,022	271	5,608	695	23,083	35,679
चालान जारी किए गए वाहनों की कुल संख्या	8	52	7	3	14	84
कुल संयोजित अर्थदंड	1.05	6.78	0.50	0.15	1.62	10.10

<sup>12</sup> सोलन: ₹ 5.45 लाख व ऊना: ₹ 100.42 लाख।

<sup>13</sup> सोलन: 01 (स्वराज माजरा, बददी); ऊना: 05 (पंडोगा, बथेरी, पोलियां, मैहतपुर व गगरेट)।

खनिज जांच चौकी का कवरेज भी अपर्याप्त पाया गया। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ऊना ने पंजाब से ज़िले को जोड़ने वाली 15 अंतरराज्यीय सड़कों की सूची दी है, फिर भी उनमें से केवल एक-तिहाई मार्गों की ही निगरानी की जाती है।

विभाग ने फरवरी 2024 में स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण सोलन चौकी निष्क्रिय हो गई है और वर्तमान संसाधनों की स्थिति में औचक की जाने वाली तदर्थ छापेमारी पर निर्भर रहना अपरिहार्य है।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कर्मचारियों की कमी एवं तकनीकी कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

₹ 267.20 लाख की सकल व्यय राशि (निर्माण, मजदूरी व विद्युत व्यय सहित) के बावजूद, जांच चौकी प्रणाली वर्तमान में न के बराबर अवरोध प्रदान कर पाई है तथा राजस्व संरक्षण भी सीमित ही रहा है। जब तक निष्क्रिय सोलन चौकी को कार्यात्मक नहीं किया जाता, उच्च जोखिम वाले मार्गों जैसे बिलासपुर के लिए अतिरिक्त चौकियों को स्वीकृति नहीं दी जाती और प्रौद्योगिकी सक्षम निगरानी (जैसे ई-ट्रैजिट पास, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ई-चालान पोर्टल से रियल-टाइम डेटा लिंकिंग) लागू नहीं की जाती, तब तक राज्य को परिचालन लागत वहन करनी पड़ेगी, जिससे अवैध खनिज परिवहन में कोई खास कमी नहीं आएगी और न ही रॉयल्टी राजस्व की सुरक्षा हो पाएगी।

### 3.10.7 संस्थागत एवं तकनीकी नियंत्रणों में प्रणालीगत कमियां

लेखापरीक्षा जांच से खुलासा हुआ कि राज्य में गौण-खनिज कार्यों के विनियमन हेतु परिकल्पित संस्थागत व तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू करने में व्यवस्थित रूप से विफलता रही है। अभ्युक्तियां नीचे तालिका 3.6 में विवर्णित हैं।

तालिका 3.6: गौण खनिज खनन का प्रवर्तन एवं निगरानी

क्र.सं.	अभ्युक्ति	आवश्यकता	लेखापरीक्षा साक्ष्य व प्रभाव	विभाग का उत्तर / अंतिम बैठक
1	जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) का गठन नहीं किया गया	प्रत्येक जिले में खनन की निगरानी और पारिस्थितिक क्षति का आकलन करने के लिए एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स होना चाहिए।	मार्च 2024 तक नमूना-जांचित किसी भी जिले ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन नहीं किया था, जिससे नियमित निगरानी और अंतर-एजेंसी प्रतिक्रिया का अभाव इंगित होता है।	विशेष रूप से समाधान नहीं किया गया। सरकार ने अभ्युक्ति स्वीकार की (मई 2025) एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स स्थापित करने का आश्वासन दिया।
2	गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी	एमएसएस ट्रिगर्स (उपग्रह द्वारा पता लगाई गई विसंगतियां)	सम्पूर्ण राज्य में गौण खनिजों का मानचित्रण लंबित है। 2018-19 में पाए गए दो	समाधान नहीं किया गया। सरकार ने एमएसएस को क्रियान्वित करने पर

क्र.सं.	अभ्युक्ति	आवश्यकता	लेखापरीक्षा साक्ष्य व प्रभाव	विभाग का उत्तर / अंतिम बैठक
	प्रणाली (एमएसएस) कार्यात्मक नहीं थी	को प्रत्येक पट्टे पर मैप किया जाना चाहिए तथा क्षेत्र में सत्यापित किया जाना चाहिए।	एमएसएस ट्रिगर्स का कभी सत्यापन नहीं किया गया, जिससे उनका समाधान नहीं हो पाया। इस प्रकार, अवैध खनन की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद प्रमुख ई-निगरानी उपकरण निष्क्रिय बना हुआ है।	सहमति व्यक्त की (मई 2025)।
3	केंद्रीय उड़न दस्ते का गठन नहीं हुआ	एक सचल, राज्य स्तरीय टीम को औचक छापेमारी करनी चाहिए।	किसी केन्द्रीय उड़न दस्ते को अधिसूचित या कार्मिक तैनात नहीं किया गया है।	समाधान नहीं किया गया। सरकार ने चूक को स्वीकार कर लिया (मई 2025)।
4	जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग लागू नहीं की गई	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2020 दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी रेत ढोने वाले वाहनों को पंजीकृत होना चाहिए और उनमें जीपीएस यूनिट लगा होना चाहिए।	चयनित खनन कार्यालयों में से किसी ने भी जीपीएस स्थापना लागू नहीं की थी; नवंबर 2024 तक कोई रोडमैप मौजूद नहीं है।	विभाग ने इस प्रणाली का अस्तित्व न होने की बात स्वीकार की (जुलाई 2024); भविष्य में कार्रवाई करने का वचन दिया।
5	क्षेत्रीय कर्मचारियों की गंभीर कमी	क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद उल्लेखनीय रूप से रिक्त हैं।	जनशक्ति की कमी के कारण जमीनी सत्यापन और निरीक्षण प्रभावित हुआ।	विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव उच्च प्राधिकारी को भेजे गए थे।

प्रमुख संस्थागत (जैसे जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स, उड़न दस्ता) एवं तकनीकी (जैसे एमएसएस, जीपीएस ट्रैकिंग) नियंत्रणों के अभाव, साथ ही जनशक्ति की कमी के कारण गौण खनिजों का अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षति तथा राजस्व हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु समयबद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

### 3.11 खनिज रियायतों से राजस्व की कम वसूली

#### 3.11.1 रॉयल्टी की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) व खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के नियम 18(1) के अनुसार प्रत्येक खनन-पट्टा धारक को द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों<sup>14</sup> पर अग्रिम रूप से रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है। पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों के लिए समरूप मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उद्योग विभाग के भूवैज्ञानिक स्कंध ने दिसंबर 2002 में निर्देश दिया कि रॉयल्टी की गणना विद्युत की खपत

<sup>14</sup> भवन निर्माण पत्थर, चिनाई पत्थर जिसमें बोल्टर और शिंगल, साधारण रेत और पत्थर का चूर्ण, बजरी शामिल हैं: 9 फरवरी, 2022 तक ₹ 60 प्रति मीट्रिक टन तथा उसके बाद ₹ 80 प्रति मीट्रिक टन।

से प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर की जाए तथा प्रति टन गिट/बजरी के लिए सात किलोवाट घंटे का रूपांतरण कारक तय किया जाए। नवंबर 2023 में इस कारक को संशोधित कर पांच किलोवाट घंटा प्रति टन कर दिया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में बिलासपुर, शिमला व ऊना जिलों<sup>15</sup> में वर्ष 2018-23 की पांच वर्षीय अवधि के 131 सक्रिय पट्टों में से 70 को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक मामले में विद्युत उपभोग के रिकॉर्ड प्राप्त किए गए तथा प्रयोज्य रूपांतरण कारक के आधार पर उत्पादन की पुनर्गणना की गई। इस पुनर्गणना किए गए उत्पादन पर देय रॉयल्टी ₹ 14.57 करोड़ थी, जबकि विभागीय अभिलेखों से पता चला कि केवल ₹ 12.76 करोड़ की ही वसूली की गई। यह ₹ 1.81 करोड़ (₹ 180.94 लाख) की अल्प वसूली में परिणत हुई, जो 27 पट्टों में फैली हुई थी: बिलासपुर में चार (₹ 19.45 लाख), शिमला में 14 (₹ 71.91 लाख) व ऊना में नौ (₹ 89.58 लाख), जैसाकि तालिका 3.7 में विवरित है।

तालिका 3.7: रॉयल्टी की वसूली में कमी के विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	पट्टों की कुल संख्या	जांचित मामलों की कुल संख्या	उन मामलों की कुल संख्या जहां कमी देखी गई	किलोवाट घंटे के अनुसार रॉयल्टी	वसूली की गई रॉयल्टी	कमी
1	बिलासपुर	10	10	4	91.46	72.01	19.45
2	शिमला	50	30	14	444.83	372.92	71.91
3	ऊना	71	30	9	920.94	831.36	89.58
योग		131	70	27	1,457.23	1,276.29	180.94

यह कमी प्रणालीगत कमजोरियों को परिलक्षित करती है, जिसमें भुगतान के साथ विद्युत खपत के आंकड़ों का समय पर एवं व्यापक मिलान नहीं किया गया। अग्रिम जमा राशि समाप्त होने पर मांग नोटिस त्वरित रूप से जारी नहीं किए गए। ज़िला स्तर पर पर्यवेक्षी समीक्षा भी अपर्याप्त थी।

विभाग ने अगस्त 2024 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण दिया कि रॉयल्टी की गणना निश्चित रूप से विद्युत के आंकड़ों से की जाती है तथा शेष राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है; यह भी पाया गया कि कुछ पट्टेदारों ने भविष्य की अवधि के लिए अग्रिम रूप से रॉयल्टी जमा कर दी थी।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने एवं बकाया रॉयल्टी की वसूली में तेजी लाने का

<sup>15</sup> चौथे जिले (सोलन) में विद्युत की खपत से संदर्भित खनिजों के पट्टा-वार मासिक उत्पादन आंकड़ों वाले कोई रॉयल्टी रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

आश्वासन दिया। पाई गई कमियों के दृष्टिगत एक स्वचालित निगरानी तंत्र आवश्यक है जो वितरण कंपनियों से सीधे मासिक विद्युत डेटा प्राप्त करे, पांच किलोवाट प्रति टन के मानदंड पर रॉयल्टी की पुनर्गणना करे तथा जब भी कमी उत्पन्न हो, तत्काल मांग नोटिस जारी करे।

### 3.11.2 निर्धारित किराए एवं ब्याज का संग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत नियम, 2015 के नियम 19-1(ए) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक को द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर उत्खनन किए गौण खनिजों की मात्रा पर अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है। जिन अवधियों में कोई उत्खनन नहीं किया जाता, तब पट्टाधारी को तृतीय अनुसूची के अनुसार वार्षिक निर्धारित किराया<sup>16</sup> देना होगा; यदि उत्खनन होता है, तो पट्टाधारी को रॉयल्टी व निर्धारित किराए में से जो भी राशि अधिक हो, वही अदा करनी होगी, दोनों नहीं। यह नियम सरकार को किसी भी विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उद्ग्रहण करने अधिकार भी देता है।

बिलासपुर व ऊना जिलों के खनन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि समीक्षा अवधि के दौरान खनन कार्य न होने के बावजूद चार पट्टे सक्रिय बने रहे। क्योंकि ये पट्टे औपचारिक रूप से अभ्यर्पित नहीं किए गए थे, इसलिए पट्टाधारियों को निर्धारित किराए का भुगतान करना था परन्तु इनमें से किसी ने भी देय राशि या प्रयोज्य ब्याज का भुगतान नहीं किया। तृतीय अनुसूची एवं उसके बाद के संशोधनों के अनुसार की गई गणना दर्शाती है कि प्रत्येक पट्टे के निष्क्रिय रहने की तिथि के बीच ₹ 70.08 लाख का निर्धारित किराया संचित हुआ तथा अतिदेय राशि पर प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की ब्याज दर से ₹ 4.73 लाख की अतिरिक्त देयता उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप कुल वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 74.81 लाख थी, जैसाकि तालिका 3.8 में विवर्णित है।

तालिका 3.8: देय निर्धारित किराए एवं उस पर ब्याज के मामलों के विवरण

(₹ लाख में)

जिले का नाम	मामलों की संख्या	देय निर्धारित किराए की राशि	विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि
बिलासपुर	2	10.64	3.83
ऊना	2	59.44	0.90
<b>योग</b>	<b>4</b>	<b>70.08</b>	<b>4.73</b>

<sup>16</sup> निजी भूमि के मामले में @ ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर। सरकारी भूमि: पांच हेक्टेयर तक ₹ 10,000, पांच हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक ₹ 15,000, 10 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक ₹ 20,000, व 20 हेक्टेयर से अधिक पर ₹ 25,000। 10 फरवरी, 2022 से, दरों को वार्षिक आधार पर खनन योजना में अनुमोदित खनिज भंडारों की रॉयल्टी के 60 प्रतिशत के बराबर राशि तक संशोधित किया गया।



विभाग ने अगस्त 2024 में चूक स्वीकार करते हुए बताया कि वसूली की कार्रवाई आरंभ हो गई है। हालांकि देय राशि अभी भी बकाया है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए त्वरित वसूली का आश्वासन दिया।

### 3.11.3 सतही किराए की वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) नियम, 2015 खनन के लिए पट्टे पर दी गई सभी सरकारी स्वामित्व की भूमि पर प्रति हेक्टेयर वार्षिक ₹ 1,000 का सतही किराया निर्धारित करता है, जो रॉयल्टी या निर्धारित किराए के अतिरिक्त अदा करना होगा। नमूना-जांचित जिलों में मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों तथा संबंधित फाइलों की जांच से खुलासा हुआ कि चौदह मामलों में अनिवार्य उद्ग्रहण की वसूली नहीं की गई। इनमें से तेरह पट्टे सोलन जिले में तथा एक ऊना जिले में था, जिनसे ₹ 7.27 लाख का सतही किराया बकाया था, जैसाकि तालिका 3.9 में संक्षेपित है।

तालिका 3.9: बकाया सतही किराए के विवरण

जिले का नाम	मामलों की संख्या	बकाया सतही किराए की राशि (₹ लाख में)
सोलन	13	6.72
ऊना	1	0.55
योग	14	7.27

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित खनन अधिकारियों ने नियम 41 के तहत भुगतान लागू करने के लिए समय पर मांग जारी नहीं की, जिसमें विलंबित भुगतानों पर ब्याज भी निर्धारित है। परिणामस्वरूप एक से चार वर्षों की अवधि हेतु ₹ 7.27 लाख के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी।

जनवरी 2024 के उसके प्रत्युत्तर में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उसकी सहमति को दोहराते हुए आश्वासन दिया कि वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।

### 3.12 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन/ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यकरण

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के माध्यम से संचालित किया, जिसे 2020 में संशोधित किया गया था। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी,

15(4) व 15ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य ने अगस्त 2016 में सभी बारह जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों का गठन किया तथा प्रत्येक ट्रस्ट के लिए समरूप शासन संरचना निर्धारित की। एक शासी परिषद्<sup>17</sup>, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करते हैं और जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, खनन प्रभावित ग्राम सभाएं एवं संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हैं, नीति निर्धारण, वार्षिक कार्य योजनाओं व बजट को मंजूरी देने तथा उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार होती है। एक प्रबंधन समिति<sup>18</sup> जो उपायुक्त की ही अध्यक्षता में होती है परन्तु इसमें कार्यकारी अधिकारी व तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करती है, स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है तथा निधि उपयोग की निगरानी करती है।

वित्तपोषण खनन-पट्टाधारकों पर अधिरोपित सांविधिक उद्ग्रहण शुल्क से किया जाता है: 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 10 प्रतिशत और 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30 प्रतिशत। हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों में स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा की गई है कि सभी व्यय प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना द्वारा निर्धारित दो रणनीतिक स्तंभों को आगे बढ़ाएं : उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र (पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व विकलांग जनों का कल्याण, कौशल विकास, एवं पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण) तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र (भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा व जलग्रहण विकास, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को जिले के स्वामित्व वाली ट्रस्ट व्यवस्था में समाहित करके राज्य ने एक संस्थागत मार्ग तैयार किया है जो खनिज राजस्व को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिणामों से जोड़ता है। हालांकि कई जिले की कार्य योजनाओं में समयबद्ध लक्ष्य एवं मापनीय प्रदर्शन संकेतकों का अभाव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में परिकल्पित उत्तरदायित्व ढांचे को कमजोर करता है।

<sup>17</sup> शासी परिषद् के सदस्य इस प्रकार हैं: उपायुक्त - अध्यक्ष, वन संरक्षक - सदस्य, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग - सदस्य, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग - सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र - सदस्य, भूवैज्ञानिक विंग के दो प्रतिनिधि - सदस्य, वन विभाग / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भूविज्ञान विभाग के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति - सदस्य, और खनन अधिकारी - सदस्य सचिव।

<sup>18</sup> प्रबंध समिति के सदस्य इस प्रकार हैं: उपायुक्त - अध्यक्ष, महाप्रबंधक (जिला उद्योग केंद्र) - सदस्य, अधीक्षण अभियंता (जल शक्ति विभाग) - सदस्य और खनन अधिकारी - सदस्य सचिव।



### 3.12.1 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट संग्रहण का मात्र 38.4 प्रतिशत ही परियोजनाओं हेतु स्वीकृत किया गया

लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारह जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों ने खनन-पट्टाधारकों से ₹ 279.53 करोड़ संग्रहित किए परन्तु विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों<sup>19</sup> को केवल ₹ 107.52 करोड़ स्वीकृत किए - कुल आवंटन दर 38.4 प्रतिशत रही, जैसाकि तालिका 3.10 में विवर्णित है।

तालिका 3.10: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संग्रहित निधियां एवं तत्पश्चात निष्पादन एजेंसियों को स्वीकृत निधियों का जिला-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला खनन कार्यालय का नाम	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट संग्रहण <sup>20</sup>	जिला खनिज ट्रस्ट से निष्पादन एजेंसी को स्वीकृत निधि
1	बिलासपुर	71.80	43.25
2	चंबा	0.58	0.13
3	हमीरपुर	3.62	0.72
4	कांगड़ा	6.26	5.11
5	किन्नौर	0.92	0
6	कुल्लू	0.92	0.04
7	लाहौल-स्पीति	0.46	0.23
8	मंडी	1.03	0.14
9	सोलन	152.98	38.23
10	सिरमौर	26.52	14.59
11	शिमला	1.71	0.21
12	ऊना	12.73	4.87
<b>योग</b>		<b>279.53</b>	<b>107.52</b>

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

विभिन्न जिलों में संसाधन जुटाना एवं उनका उपयोग अत्यंत असमान रहा। इसके अतिरिक्त शेष राशि को रोके रखने से खनन-प्रभावित समुदायों को मिलने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभों में विलम्ब होता है।

सोलन, जिसने अकेले ही राज्य-व्यापी कोष का 55 प्रतिशत (₹ 153 करोड़) जुटाया, उसके संग्रहण का केवल मात्र एक-चौथाई ही स्वीकृत किया और इस प्रकार ₹ 114.80 करोड़ की शेष राशि निष्क्रिय रोके रखी। बिलासपुर में भी यही स्थिति रही, जहां ₹ 28.55 करोड़ अव्ययित

<sup>19</sup> हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत।

<sup>20</sup> इसमें बैंक खातों में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है।

रखे रहे। कई ज़िलों, विशेषकर किन्नौर व कुल्लू ने संचित संसाधन होने के बावजूद नगण्य या कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की, जो परियोजना चिह्नित करने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की तकनीकी क्षमता एवं आंतरिक निगरानी में कमियों को परिलक्षित करता है।

### 3.12.2 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्राप्तियों का मात्र 20 प्रतिशत ही व्यय किया गया

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट परियोजनाओं के स्वीकृति आदेशों में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्य उसी वित्तीय वर्ष के भीतर या अधिक से अधिक अनुमोदन के बारह माह के भीतर पूर्ण हो जाए।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के प्रवाह की जांच, संसाधन जुटाने एवं वास्तविक सेवा वितरण के मध्य अंतर को उजागर करती है। चयनित ज़िलों की खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत राशि का विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान चयनित चार जिलों की ट्रस्ट की निधि में निधियों के प्रवाह का विवरण

क्र.सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	कुल प्राप्त <sup>21</sup> निधियां	कार्यों/परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल निधियां	कार्यान्वयन एजेंसी <sup>22</sup> को मार्च 2023 तक जारी निधियां	उपयोग का प्रतिशत
1	बिलासपुर	71.80	43.25	22.33	31
2	शिमला	1.70	0.21	0.21	12
3	सोलन	152.98	38.23	19.62	13
4	ऊना	12.73	4.87	4.87	38
योग		239.21	86.56	47.03	20

स्रोत: विभागीय अभिलेख

नमूना-जांचित चार ज़िलों में मात्र ₹ 47.03 करोड़ अर्थात् प्राप्त ₹ 239.21 करोड़ का 20 प्रतिशत ही वास्तविक ज़मीनी व्यय<sup>23</sup> में परिवर्तित हो सका। यह अल्प उपयोग एक समान नहीं था: ऊना में व्यय अनुपात सबसे अधिक 38 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि सोलन एवं शिमला में क्रमशः मात्र 12 प्रतिशत व 13 प्रतिशत व्यय किया गया तथा बिलासपुर में यह अनुपात मात्र 31 प्रतिशत रहा। यह गिरावट कार्यान्वयन से बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी; प्राप्तियों का बमुश्किल 36 प्रतिशत (₹ 86.56 करोड़) ही स्वीकृति चरण तक पहुंच पाया तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को इससे भी कम 20 प्रतिशत (₹ 47.03 करोड़) जारी किया गया।

<sup>21</sup> कुल निधियों में बचत बैंक खातों में प्राप्त ब्याज भी शामिल है।

<sup>22</sup> हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत।

<sup>23</sup> खनन कार्यालयों के खातों से जारी निधियों को उनके लेखाओं में व्यय के रूप में माना गया।

विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का उपयोग निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है।

### 3.12.3 खनन प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति चिह्नित न करना

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के नियम 8 के अनुसार प्रत्येक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों एवं जनता, दोनों का एक अद्यतन रजिस्टर संकलित एवं अनुरक्षित करना अनिवार्य है। ट्रस्ट के व्यय को प्राथमिकता देने एवं अनुमोदित करने के लिए यह रजिस्टर एक पूर्वापेक्षा है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में व्यापक अनुपालन-हीनता पाई गई। सोलन व ऊना में जुलाई 2024 तक न तो प्रभावित क्षेत्र और न ही प्रभावित व्यक्ति चिह्नित करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई। बिलासपुर व शिमला का प्रदर्शन केवल थोड़ा बेहतर रहा: उन्होंने क्रमशः 62 एवं 59 माह के विलम्ब के बाद वर्ष 2021-22 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण किया, फिर भी अभी तक प्रभावित व्यक्तियों की गणना नहीं की गई थी। इस बुनियादी जानकारी के अभाव के बावजूद सोलन व ऊना ने कुल ₹ 43.10 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जबकि बिलासपुर व शिमला ने ₹ 1.79 करोड़ का व्यय किया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा यह पुष्टि करने में असमर्थ रहा कि इन कार्यों से अभीष्ट लाभार्थियों को वास्तव में लाभ पहुंचा या नहीं।

विभाग ने शिमला में हुए विलम्ब का कारण कोविड-19 व्यवधानों को बताया तथा खनन अधिकारी, सोलन ने कर्मचारियों की भारी कमी का हवाला दिया। संवीक्षा में ये स्पष्टीकरण खरे नहीं उतरते: सभी चारों जिलों में व्यय निर्णय इस सांविधिक आधार के बिना लिए गए कि लाभार्थी कौन हैं और कहाँ हैं, जिससे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो गया।

मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक के दौरान सरकार ने इन कमियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.4 शासी परिषद् एवं प्रबंध समिति की बैठकों में अनियमितताएं

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 का नियम 10 यह निर्धारित करता है कि शासी परिषद्, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करते हैं और जिसमें अन्य सदस्य<sup>24</sup> भी शामिल होते हैं, को हर छः माह में कम से कम एक बार बैठक करनी अनिवार्य है, वहीं प्रबंधन

<sup>24</sup> वन संरक्षक, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाप्रबंधक (जिला उद्योग केंद्र), भूवैज्ञानिक स्कंध के दो प्रतिनिधि, वन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भूविज्ञान से दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य हैं व खनन अधिकारी सदस्य सचिव हैं।

समिति, जिसकी अध्यक्षता भी उपायुक्त करते हैं और जिसमें अन्य सदस्य<sup>25</sup> सम्मिलित होते हैं, को प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलाना अपेक्षित है। बिलासपुर, शिमला, सोलन व ऊना के वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के अभिलेखों की जांच में उजागर हुआ कि इन सांविधिक कमियों की लगातार अनुपालना-हीनता की गई। पांच वर्षीय समीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक ज़िले को शासी परिषद् की 12 बैठकें एवं प्रबंधन समिति की 24 बैठकें आयोजित करनी चाहिए थीं। अतः शासी परिषद् की बैठकों में कमी 17 से 75 प्रतिशत तक तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में कमी 58 से 87 प्रतिशत तक रही, जिससे नियमों में परिकल्पित प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ, जैसाकि विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान आयोजित शासी परिषद् एवं प्रबंधन समिति की बैठकों का विवरण

ज़िले का नाम	शासी परिषद् की बैठकें		प्रबंधन समिति की बैठकें	
	नियमानुसार अपेक्षित बैठकों की संख्या	वास्तव में आयोजित बैठकों की संख्या	नियमानुसार अपेक्षित बैठकों की संख्या	वास्तव में आयोजित बैठकों की संख्या
बिलासपुर	12	5 (42)	24	6 (25)
शिमला	12	3 (25)	24	3 (13)
सोलन	12	10 (83)	24	10 (42)
ऊना	12	4 (33)	24	7 (29)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

विभाग ने बताया कि कोविड-19 महामारी एवं नए सदस्यों को शामिल करने के कारण हुए विलम्ब के कारण निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

हालांकि महामारी से पहले के दो वर्षों में भी बैठकों की आवृत्ति कम थी और प्रतिबंध हटने के पश्चात् भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ; इसके अतिरिक्त नियम द्वारा अनिवार्य आवधिकता सदस्यता परिवर्तनों पर निर्भर नहीं है।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही शासी परिषद् व प्रबंधन समिति बैठकों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किए जाएंगे।

### 3.12.5 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के स्वीकृत कार्यों में से तीन-चौथाई का अपूर्ण होना

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने ₹ 86.56 करोड़ के सकल परिव्यय के 281 कार्य स्वीकृत किए, जैसाकि तालिका 3.13 में दर्शाया गया है। ट्रस्टों ने

<sup>25</sup> संबंधित जिले के महाप्रबंधक (जिला उद्योग केंद्र), अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग सदस्य के रूप में एवं संबंधित जिले के खनन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

प्रशासनिक अनुमोदन देते हुए निधियां जारी की, जबकि कार्य की निविदा, उसका आवंटन व क्षेत्रीय पर्यवेक्षण को संबंधित लाइन विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों<sup>26</sup> को सौंप दिया गया।

तालिका 3.13: स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की वर्ष-वार स्थिति: वित्तीय व निष्पादन अवलोकन

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	निरस्त किए कार्यों की कुल संख्या	आरंभ किए गए कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या	अपूर्ण <sup>27</sup> कार्यों की कुल संख्या (जुलाई 2024 तक)	अपूर्ण कार्यों का मूल्य (₹ करोड़ में)
2018-19	15	2.65	1	14	4	10	2.25
2019-20	27	5.40	4	23	13	10	2.77
2020-21	42	22.93	2	40	10	30	18.74
2021-22	37	1.75	0	37	16	21	0.56
2022-23	160	53.83	13	147	8	139	37.38
<b>योग</b>	<b>281</b>	<b>86.56</b>	<b>20</b>	<b>261</b>	<b>51</b>	<b>210</b>	<b>61.70</b>

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

नोट: जिलावार स्वीकृत, निरस्त व पूर्ण परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

स्वीकृत 281 कार्यों में से 20 कार्य बाद में निरस्त कर दिए गए, जिससे 261 परियोजनाएं ऐसी बचीं जिनका क्रियान्वयन होना चाहिए था। प्रगति हालांकि सीमित रही: जुलाई 2024 तक केवल 51 कार्य (आरंभ किए गए कार्यों का 20 प्रतिशत) पूर्ण हुए, जबकि 210 कार्य (मूल स्वीकृत कार्यों का 75 प्रतिशत एवं आरंभ किए गए कार्यों का 80 प्रतिशत) अपूर्ण रह गए।

स्वीकृतियों के वर्ष-वार वितरण से उजागर होता है कि वर्ष 2022-23 में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है, जब ₹ 53.83 करोड़ (पांच वर्षीय वित्तीय परिव्यय का 62 प्रतिशत) के 160 कार्यों को अनुमोदित किया गया। फिर भी जुलाई 2024 तक इनमें से केवल आठ परियोजनाएं ही पूर्ण हो पाईं, जबकि 139 अपूर्ण रह गईं, जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों की सीमित अवशोषण क्षमता रेखांकित होती है।

मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक के दौरान सरकार ने इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.6 सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर अपात्र कार्यों में राशि का पांच प्रतिशत स्वीकृत करना

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट परियोजनाओं के स्वीकृति आदेशों में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्य उसी वित्तीय वर्ष के भीतर या अधिक से अधिक अनुमोदन के बारह माह के भीतर पूर्ण

<sup>26</sup> हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत।

<sup>27</sup> ऐसे कार्य जिनमें कार्यान्वयन एजेंसियों ने अभी तक उपयोगिता-प्रमाणपत्र/पूर्णता- प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

हो जाए। हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 का नियम 15 ट्रस्ट के कोष के उपयोग को केवल खनन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान तक सीमित करता है। वर्ष 2020 के संशोधन में आगे यह निर्धारित किया गया कि विकास आवंटन का 60 प्रतिशत (जो स्वयं ट्रस्ट कोष के 80 प्रतिशत<sup>28</sup> तक सीमित है) उच्च प्राथमिकता<sup>29</sup> वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाए जबकि शेष 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता<sup>30</sup> वाले क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा जाए।

चार नमूना जिलों, बिलासपुर, शिमला, सोलन व ऊना की लेखापरीक्षा संवीक्षा में वर्ष 2018-19 व 2022-23 के मध्य इन निर्देशों से प्रणालीगत विचलन का पता चला। ₹ 86.56 करोड़ मूल्य के स्वीकृत 281 कार्यों में से केवल 51 कार्य पूर्ण हुए एवं 20 कार्य औपचारिक रूप से निरस्त<sup>31</sup> किए गए; 210 परियोजनाएं<sup>32</sup>, जो स्वीकृत पोर्टफोलियो का तीन-चौथाई<sup>33</sup> हिस्सा थी, निर्धारित समय-सीमा के काफी बाद भी अपूर्ण<sup>34</sup> रहीं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने इन कार्यों के लिए पहले ही ₹47.03 करोड़ जारी कर दिए थे, जिससे यह निधियां प्रभावी रूप से अचल हो गईं, जो खनन प्रभावित जनता के लिए समय पर लाभ में परिवर्तित होनी चाहिए थी।

स्वीकृत गतिविधियों में एक अतिरिक्त अनियमितता पाई गई। ₹ 4.59 करोड़ की लागत वाले चौदह<sup>35</sup> (पांच प्रतिशत) कार्य संशोधित नियमों के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता या अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणियों से बाहर थे। अतः इस व्यय में सांविधिक प्राधिकार का अभाव था तथा इसमें ट्रस्ट कोष के इच्छित लाभार्थियों से संसाधनों का विचलन किया गया था। कार्यों का वितरण एवं अपात्र खर्च **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है तथा **तालिका 3.14** में संक्षेपित किया गया है।

<sup>28</sup> जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों के अनुसार कुल निधि का 10 प्रतिशत भविष्य में उपयोग के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा एवं ट्रस्ट के प्रशासनिक व्यय के लिए 10 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

<sup>29</sup> पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता आदि।

<sup>30</sup> भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा व वाटरशेड प्रबंधन आदि।

<sup>31</sup> बिलासपुर-13 व सोलन-सात

<sup>32</sup> बिलासपुर-69, शिमला-10, सोलन-100 व ऊना-31

<sup>33</sup> बिलासपुर-₹ 25.03 करोड़, शिमला-₹ 0.21 करोड़, सोलन-₹ 35.50 करोड़ व ऊना-₹ 0.96 करोड़।

<sup>34</sup> कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का आकलन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खनन अधिकारी को प्रस्तुत उपयोगिता-प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया है।

<sup>35</sup> मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन कैमरे), पुलिस उप-मंडल में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, विभिन्न पंचायतों में ओपन एयर जिम, जंगली व आवारा जानवरों के नियंत्रण के लिए सहायक उपकरण के साथ टेलीडार्ट गन प्रदान करना आदि जो अनुमत श्रेणी में नहीं आते हैं।

तालिका 3.14: वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट कोष के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, जारी राशि व अपात्र कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का मूल्य	जारी राशि	अपात्र कार्यों की संख्या	अपात्र कार्यों हेतु स्वीकृत राशि
1	बिलासपुर	103	43.25	22.33	6	3.60
2	शिमला	10	0.21	0.21	0	0
3	सोलन	107	38.23	19.62	4	0.74
4	ऊना	61	4.87	4.87	4	0.25
	<b>योग</b>	<b>281</b>	<b>86.56</b>	<b>47.03</b>	<b>14</b>	<b>4.59</b>

विभाग ने इन गंभीर विलम्बों के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया, मात्र इतना बताया कि शासी परिषद् व प्रबंधन समिति ने सभी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। हालांकि ऐसी मंजूरी नियम 15 एवं इसके वर्ष 2020 के संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती; निर्धारित प्राथमिकता ढांचे से विचलित हुए व्यय अधिकार सीमा से बाहर माने जाते हैं, अतः अनियमित हैं।

मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक के दौरान सरकार ने इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.7 अन्य प्राथमिकता वाले खर्च का 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक होना


चार जिलों बिलासपुर, शिमला, सोलन व ऊना की लेखापरीक्षा संवीक्षा में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट संशोधन नियम, 2020 के नियम 15 का लगातार और महत्वपूर्ण उल्लंघन पाया गया। अक्टूबर 2020 में संशोधित नियमों के लागू होने से मार्च 2023 के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन ने कुल 218 कार्य स्वीकृत किए, जिनकी लागत ₹ 64.81 करोड़ थी। इस राशि में से केवल ₹ 26.48 करोड़ (संशोधनोत्तर व्यय का 41 प्रतिशत) मूल्य की केवल 59 परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्देशित किया गया, जबकि ₹ 38.33 करोड़ (59 प्रतिशत) मूल्य की 159 परियोजनाओं को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकृत किया गया। यह आंकड़ा 40 प्रतिशत की सांविधिक अधिकतम सीमा से काफी अधिक है, जिससे उच्च प्राथमिकता वाले निवेशों का हिस्सा निर्धारित न्यूनतम 60 प्रतिशत से काफी नीचे चला गया। इसका विवरण तालिका 3.15 में दिया गया है।

तालिका 3.15: उच्च एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों एवं व्यय का आवंटन (2020 संशोधनोपरांत)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	कार्यों की कुल संख्या	अक्टूबर 2020 के बाद स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	अक्टूबर 2020 के बाद स्वीकृत कार्यों का कुल मूल्य	उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या	उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कार्यों का कुल मूल्य	अन्य प्राथमिकता के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या	अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कार्यों का कुल मूल्य
1	बिलासपुर	103	89	41.46	18	20.86 (50)	71	20.60 (50)
2	शिमला	10	10	0.21	2	0.02 (10)	8	0.19 (90)
3	सोलन	107	74	21.09	22	4.60 (21)	52	16.49 (78)
4	ऊना	61	45	2.05	17	1.00 (49)	28	1.05 (51)
	योग	281	218	64.81	59	26.48	159	38.33

स्रोत: विभागीय अभिलेख। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।



अनुपालन-हीनता का पैटर्न सभी जिलों में एक जैसा था। शिमला में स्वीकृत मूल्य का दस में से नौवां भाग अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों में लगाया गया; सोलन ने उसके परित्यय का केवल पांचवा हिस्सा ही उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर खर्च किया; तथा हालांकि बिलासपुर व ऊना ने संख्या के आधार पर अधिक संतुलित वितरण किया, फिर भी उनका वित्तीय आवंटन निर्धारित 60:40 अनुपात को पूरा नहीं कर पाया। ये विचलन सामूहिक रूप से

नियम 15 व प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा-निर्देशों के केंद्रीय उद्देश्य को कमजोर करते हैं, जो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट संसाधनों के प्रमुख हिस्से को खनन प्रभावित समुदायों में उच्च प्रभाव हस्तक्षेपों के लिए निर्देशित करने का प्रयास करते हैं।

विभाग का यह स्पष्टीकरण कि अनुमोदन केवल कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्रतिबिंबित करता है, तर्क संगत नहीं है। अनुमोदन प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है कि वे सांविधिक मानदंडों को लागू करें और ऐसे प्रस्तावों को या तो अस्वीकार कर दें या उनके आकार को समायोजित करें जो व्यय की सीमा का उल्लंघन करते हों। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृति देने के निर्णय न केवल कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं अपितु उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए परिकल्पित विकासात्मक केंद्रबिंदु को भी कमजोर करते हैं।



मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक के दौरान सरकार ने इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.8 उच्च एवं अन्य प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को बिना किसी तर्क के अस्वीकार करना

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 में प्रावधान है कि ट्रस्ट के संसाधनों का उपयोग विशेष रूप से खनन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किया जाए। इसके पूरक रूप में नियम 9 (iii) शासी परिषद् को स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी देता है कि वह वित्तीय अनुशासन बनाए रखे एवं स्वीकृत कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे। ये दोनों प्रावधान निःसंदेह एक पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया की मांग करते हैं, जिसमें परियोजनाओं का खनन के प्रभाव की गंभीरता के अनुसार मूल्यांकन किया जाए तथा स्वीकृति उस खान के राजस्व योगदान के अनुपात में दी जाए।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए दो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (सोलन व शिमला) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन अपेक्षाओं से उल्लेखनीय विचलन हुआ। प्राप्त प्रस्तावों एवं उसके प्रति अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: बैठकों एवं प्रस्तावों के प्रबंधन का जिला-वार विश्लेषण: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि हेतु उच्च व अन्य प्राथमिकता वाले प्रस्ताव

क्र. सं.	जिले का नाम	बैठकों की कुल संख्या जिनमें परियोजनाएं स्वीकृत की गईं	प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या		स्वीकार किए गए प्रस्तावों की कुल संख्या		अस्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या	
			उच्च प्राथमिकता	अन्य प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता	अन्य प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता	अन्य प्राथमिकता
1	सोलन	7	107	241	36	71	71	170
2	शिमला	1	2	20	2	8	0	12
	योग	8	109	261	38	79	71	182

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

संबंधित शासी परिषद् के समक्ष रखे गए 370 प्रस्तावों में से केवल 117 को ही अनुमोदित किया गया; शेष 253, जो कुल प्रस्तावों का 68 प्रतिशत है, अस्वीकृत कर दिए गए। सोलन में 107 उच्च प्राथमिकता वाले प्रस्तावों में से 71 एवं 241 अन्य प्राथमिकता वाले प्रस्तावों में से 170 को अस्वीकार कर दिया गया। शिमला में यद्यपि कुल संख्या अपेक्षाकृत कम थी फिर भी अस्वीकृति दर अधिक रही, जहां 22 प्रस्तावों में से 12 को अलग हटा दिया गया। बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई भी शासी परिषद् मूल्यांकन टिप्पणियां, तुलनात्मक विश्लेषण या प्रत्येक अस्वीकृतियों के कारणों को स्पष्ट करने वाले कार्यवृत्त जैसे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे दस्तावेजीकरण की अनुपस्थिति किसी भी ऐसे स्वतंत्र सत्यापन को रोकती है कि

क्या निर्णय प्राथमिकता अधिदेश के अनुरूप थे या यह कि क्या प्रत्येक खान के योगदान के अनुपात में निधियां आवंटित की गई थी।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान सरकार ने इन कमियों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने की प्रतिबद्धता जताई।

### 3.12.9 कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 0.74 करोड़ के अग्रिम की वसूली न करना

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, सोलन के अभिलेखों की जांच से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 व 2022-23 के मध्य ट्रस्ट ने 107 परियोजनाओं पर अनुमोदन दिया तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को संचित ₹ 19.62 करोड़ जारी किए। इस कुल राशि में से ₹ 0.74 करोड़ सात परियोजनाओं हेतु अग्रिम रूप से दिए गए, जिन्हें अंततः दिसंबर 2020 में निरस्त<sup>36</sup> कर दिया गया। जुलाई 2024 अर्थात् लगभग चार वर्ष बाद तक यह संपूर्ण अग्रिम राशि एजेंसियों के पास ही बनी रही: न तो व्यय विवरण प्रस्तुत किए गए एवं न ही प्रतिदाय वाउचर जारी किए गए, तथा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सोलन ने वसूली के लिए कोई औपचारिक मांग भी नहीं की। इसका विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया कि एजेंसियों को अव्ययित शेष राशि का प्रेषण करने का निर्देश दिया जाएगा।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बकाया ₹ 0.74 करोड़ की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने एवं ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति दोनों को रोकने के लिए तंत्र के सुदृढीकरण हेतु तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई।

### 3.12.10 अनुसूचित जाति उप-योजना एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत समान परियोजना हेतु दोहरा वित्तपोषण

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सोलग जुरासी के लिए समान पाइप जल आपूर्ति योजना को दो अलग-अलग वित्तपोषण विंडो के अंतर्गत स्वीकृत किया। फरवरी 2022 में अनुसूचित जाति उप-योजना की मांग संख्या 32 के अंतर्गत ₹ 89.98 लाख की राशि स्वीकृत की गई। एक माह पूर्व जनवरी 2022 में लगभग उसी स्तर की लागत वाली उसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट शासी समिति ने ₹ 89.58 लाख में पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसे मई 2022 में प्रबंधन समिति द्वारा

<sup>36</sup> इन कार्यों को निरस्त कर दिया गया क्योंकि या तो इनके लिए किसी वैकल्पिक योजना से निधियां प्राप्त हो गई थी अथवा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियां जारी होने से पहले ही ये कार्य किसी अन्य एजेंसी द्वारा पूरे कर दिए गए थे।

औपचारिक स्वीकृति दी गई थी। परिणामस्वरूप सकल स्वीकृतियां ₹ 179.56 लाख तक पहुंच गईं। विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: पेयजल सुविधा परियोजना के लिए स्रोत-वार आवंटन, बजट एवं व्यय का विवरण

स्रोत	स्वीकृत राशि	कार्यान्वयन एजेंसी को जारी राशि	व्यय
मांग संख्या 32 (अनुसूचित जाति उप-योजना)	89.98	9.00	1.53
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट	89.58	89.58	7.71
<b>योग</b>		<b>98.58</b>	<b>9.24</b>

(₹ लाख में)

इसमें से कार्यान्वयन एजेंसी ने कुल ₹ 98.58 लाख आहरित किए : ₹ नौ लाख अनुसूचित जाति उप-योजना शीर्ष से एवं संपूर्ण ₹ 89.58 लाख जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से। फिर भी, मार्च 2024 तक दर्ज व्यय मात्र ₹ 9.24 लाख था, जिससे ₹ 89.34 लाख परियोजना के बैंक खातों में निष्क्रिय रहे। इस तरह का दोहरा वित्तपोषण हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 41 की अवहेलना करता है, जो बचत के अभ्यर्षण को अनिवार्य बनाता है तथा एक ही कार्य के लिए दोहरा वित्तपोषण रोकता है। विभाग ने तर्क दिया कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सहायता इसलिए मांगी गई थी क्योंकि अनुसूचित जाति उप-योजना निधियां अपर्याप्त थी; हालांकि यह स्पष्टीकरण खरा नहीं उतरता क्योंकि प्रारंभिक अनुसूचित जाति उप-योजना स्वीकृति पहले से ही संपूर्ण अनुमानित लागत को शामिल कर चुकी थी तथा अधिकांश राशि असंवितरित रह गई।

अंतिम बैठक (मई 2025) में राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अधिशेष निधियों की वसूली अथवा समायोजित करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.11 पारदर्शिता दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट वेबसाइट का न होना

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (संशोधन) नियम, 2020 के नियम 24 के तहत प्रत्येक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को एक समर्पित जिला स्तरीय वेबसाइट की स्थापना एवं उसके अनुरक्षण हेतु बाध्य किया गया है, जो सतत रूप से ट्रस्ट की संरचना, अधिसूचित खनन प्रभावित क्षेत्रों, प्राप्त योगदान की मात्रा, बैठकों के कार्यवृत्त, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं, परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति, लाभार्थियों की सूची एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जारी की गई सभी सामग्री का प्रकटीकरण करती हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में से किसी ने भी ऐसे वेब पोर्टल की शुरुआत तक नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप सभी सांविधिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन से बाहर रही। डिजिटल प्रकटीकरण का यह अभाव न केवल संशोधित नियमों के स्पष्ट

आदेश का उल्लंघन करता है, बल्कि इन ट्रस्टों के माध्यम से प्रवाहित निधियों की पारदर्शिता, सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही को भी कम करता है।

प्रत्युत्तर में विभाग ने बताया कि वेबसाइट का विकास कार्य प्रगति पर है।

मई 2025 में अंतिम बैठक के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के सार को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई में तेजी लाने का आश्वासन दिया।

### **3.12.12 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए मुख्य योजना (मास्टर प्लान) या दृष्टि (विजन) दस्तावेजों का अभाव**

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 12(iii) के अनुसार प्रत्येक प्रबंधन समिति को ट्रस्ट की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए जिला विशिष्ट मास्टर प्लान (विजन दस्तावेज) तैयार करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी चारों नमूना जिलों में मार्च 2023 तक ऐसा कोई मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप खनन प्रभावित क्षेत्रों या व्यक्तियों की आवश्यकताओं का कोई संगठित मूल्यांकन किए बिना, केवल उपलब्ध बजट एवं कार्यान्वयन एजेंसियों<sup>37</sup> से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यों को अनुमोदित कर दिया गया। इस अस्थायी दृष्टिकोण ने विकास गतिविधियों को योजना बद्ध एवं समन्वित तरीके से प्रारंभ होने से रोक दिया।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित खनन अधिकारियों (जनवरी-जुलाई 2024) ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए अपेक्षित मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करने का आश्वासन दिया। तथापि जुलाई 2024 तक न तो प्रबंधन समितियों ने दस्तावेज तैयार किए एवं न ही उन्होंने शासी परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समर्थन करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### **3.12.13 वार्षिक बजट, कार्य योजनाएं एवं रिपोर्ट तैयार न करना**

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 का नियम 9 (ii) शासी परिषद् को वार्षिक कार्य योजना व वार्षिक बजट तैयार करने और उसे स्वीकृत करने की ज़िम्मेदारी देता

<sup>37</sup> हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत।

है। नियम 12 (ix) इसके अतिरिक्त प्रबंधन समिति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर शासी परिषद् के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में से किसी ने भी वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षीय अवधि हेतु उसका वार्षिक बजट एवं कार्य योजनाएं तैयार नहीं कीं एवं न ही शासी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया, जो उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी भांति इसी अवधि की वार्षिक रिपोर्टें न तो तैयार की गईं एवं न ही शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक उपाय लागू करने का आश्वासन दिया।

### **3.12.14 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के वार्षिक लेखाओं को तैयार न करना या लेखापरीक्षा न करना**

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 16(3) व (4) में निर्धारित है कि ट्रस्ट को

- यथोचित लेखा बहियों व संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करना होगा;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय व व्यय लेखे एवं बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करनी होगी; तथा
- इन लेखाओं की महालेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा करवानी होगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2023) से पता चला कि चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में से किसी ने भी अपेक्षित वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए, न ही उन्होंने वर्ष 2016 से ट्रस्टों की स्थापना के बाद से उनके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए।

विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए चूक का समाधान करने का आश्वासन दिया; फिर भी संचालन के सात वर्षोपरांत भी न तो लेखे तैयार किए गए एवं न ही उनकी लेखापरीक्षा की गई।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### 3.12.15 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टेदार को खनिज की श्रेणी व पट्टा दिए जाने की तिथि के आधार पर जिला खनिज फाउंडेशन को रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा या प्रति टन उद्ग्रहण का अंशदान करना अपेक्षित है।

तीन जिलों<sup>38</sup> बिलासपुर, शिमला व ऊना में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्षीय अवधि के दौरान 70<sup>39</sup> सक्रिय पट्टों की जांच में इस दायित्व के पालन न करने के मामले सामने आए। ₹ 4.33 करोड़ की आंकलित देयता के सापेक्ष पट्टेदारों ने सामूहिक रूप से केवल ₹ 3.47 करोड़ जमा किए, जिससे ₹ 0.86 करोड़ बकाया रह गए। कम भुगतान सबसे अधिक ऊना जिले में देखने को मिला, जहां संवीक्षा किए गए 30 पट्टों में से 14 पट्टों में कुल कमी का लगभग तीन-चौथाई निहित था; इसके बाद शिमला में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर में तुलनात्मक रूप से मामूली बकाया पाया गया, जैसाकि तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान देय, संग्रहित एवं संग्रहण में हुई कमी सहित विलंबित संग्रहण के कारण अर्जित ब्याज राशि से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	संवीक्षा किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जहां कमी देखी गई	देय जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	वसूली की गई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	कमी
1	बिलासपुर	10	04	9.40	7.34	2.06
2	शिमला	30	20	85.53	65.87	19.66
3	ऊना	30	14	338.65	273.99	64.66
	<b>योग</b>	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>433.58</b>	<b>347.20</b>	<b>86.38</b>

यह कमी इसलिए हुई क्योंकि विभाग ने समय पर मांग-पत्र जारी नहीं किए, नियम 17 के तहत निर्धारित दंडात्मक व ब्याज संबंधी प्रावधानों को लागू नहीं किया तथा पट्टाधारकों को उनके विवेक से अंशदान प्रेषित करने की अनुमति दी। फलस्वरूप जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को न केवल मूल राजस्व की हानि हुई, अपितु नियमित भुगतान होने की स्थिति में प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित रहना पड़ा।

<sup>38</sup> खनन कार्यालय, सोलन ने खनिजों के पट्टा-वार मासिक उत्पादन डेटा वाले जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट कोष का रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया था।

<sup>39</sup> बिलासपुर-10, शिमला-30 व ऊना-30

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग ने बताया कि वह अभिलेखों की और जांच के करने बाद नोटिस जारी करेगा।

अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली करने तथा निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया।

### **3.13 लाभार्थियों की प्रतिक्रिया**

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत सृजित परिसंपत्तियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया। कुल स्वीकृत 281 परियोजनाओं में से 68 परियोजनाओं को सर्वेक्षण के लिए चुना गया। हालांकि इनमें से सात परियोजनाएं बाद में निरस्त कर दी गईं, जिससे 61 परियोजनाएं ही शेष रही, जिनके लिए सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक परियोजना के लिए 15 से 25 लाभार्थियों का चयन कर के उनकी प्रतिक्रियाएं दर्ज की गईं। इस सर्वेक्षण में चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों<sup>40</sup> के कुल मिलाकर 1,082 लाभार्थियों को समावेशित किया गया। विस्तृत प्रतिक्रियाएं **परिशिष्ट 3.5** में तालिकाबद्ध की गई हैं।

लाभार्थी सर्वेक्षण की टिप्पणियां **चार्ट 3.2** के दर्शाई गई हैं।

<sup>40</sup> बिलासपुर - 327, शिमला - 120, सोलन - 384 व ऊना - 251

### चार्ट 3.2: लाभार्थी सर्वेक्षण की अभ्युक्तियां

लाभार्थियों को यह जानकारी नहीं है कि उनका गांव इस योजना के अंतर्गत "प्रभावित गांव" और "प्रभावित व्यक्तियों" की सूची में है।

लाभार्थी इस योजना के विषय में अनभिज्ञ हैं तथा उन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के विषय में भी नहीं सुना है।

लाभार्थियों को उनके गांव में शुरू की गई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट परियोजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है।

लाभार्थियों ने सूचित किया कि गांव में बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता के लिए किसी भी प्रतिनिधि ने उनसे परामर्श नहीं किया।

लाभार्थियों ने सूचित किया कि लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई।

लाभार्थियों ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई।

लाभार्थी स्कूलों (15%), अस्पतालों (32%), जल आपूर्ति योजनाओं (37%), कौशल विकास सुविधाओं (25%), सड़क सुविधाओं (62%), व विद्युत (9%) की उपलब्धता से संतुष्ट नहीं हैं।

लाभार्थियों ने ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया है।

लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों से कोई लाभ नहीं मिला।

लाभार्थियों ने सूचित किया कि गांव में सृजित परिसंपत्तियों का सार्थक उपयोग नहीं किया जा रहा है।

टिप्पणी: 407 से 981 मामलों (38 से 91 प्रतिशत) में लोग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत स्थापित स्कूल, अस्पताल, जलापूर्ति, कौशल विकास, सड़क आदि से संतुष्ट पाए गए।

विभाग को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: (i) सूचना, शिक्षा और संचार तथा जनसंपर्क तंत्र की पर्याप्तता, (ii) ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यकताओं का पालन, (iii) परिसंपत्तियों के उपयोग की निगरानी, तथा (iv) अनुवर्ती प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र की प्रभावशीलता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों एवं अभीष्ट लाभ प्रदान करें।



अंतिम बैठक (मई 2025) में सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### 3.14 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा संवीक्षा में नियोजन की कमी उजागर हुई, जो वार्षिक कार्य योजना के अभाव, खनिज संपदा के अपर्याप्त मूल्यांकन एवं खनिज रियायत आवेदनों के विलंबित निपटान से स्पष्ट होती है। विभाग ने खनन स्थलों के आवंटन एवं अवैध खनन व परिवहन को रोकने में प्रचलित नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया। निरीक्षण गतिविधियों की कमी, रॉयल्टी व खनन बकाया से संबंधित मुद्दों तथा खनन पट्टा शर्तों का पालन न किए जाने सहित निगरानी एवं प्रवर्तन अपर्याप्त रहा। इसके अतिरिक्त विभाग का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था, जिसमें अपर्याप्त जांच-चौकियां एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स, केंद्रीय उड़न दस्ता व खनन निगरानी प्रणाली जैसे आवश्यक निकायों का अभाव था। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का उपयोग कमजोर रहा, जिसमें उपयोग की दरें कम थीं तथा कार्य अपूर्ण थे। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव पाया गया, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की जानकारी के लिए कोई वेबसाइट या पोर्टल उपलब्ध नहीं था तथा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए। शासी परिषद् एवं प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करने में भी उल्लेखनीय कमी पाई गई।

### 3.15 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार :

- (i) खनिज रियायत आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करें तथा एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित करें।
- (ii) उच्च जोखिम वाले सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यापक अध्ययन करें तथा हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2013 का पालन करें।
- (iii) नियमित निरीक्षण करें, अपराधों पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करें तथा अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की जब्ती व नीलामी के लिए एक मजबूत तंत्र लागू करें।
- (iv) बकाया खनन राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करें, बकाया निर्धारित किराए व ब्याज की वसूली में तेजी लाएं तथा समय बद्ध अनुपालन हेतु तंत्र को सुदृढ़ करें।

- (v) जिला-विशिष्ट जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट वेबसाइट स्थापित करें, सही निधि रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण करें तथा शासी परिषद् एवं प्रबंधन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।
- (vi) जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करें, खनन निगरानी प्रणाली को लागू करें तथा खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू करें।

## **अध्याय-IV**

**हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं  
का निष्पादन**



## अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं का निष्पादन

### जल शक्ति विभाग

#### 4.1 परिचय

कृषि विकास व कृषि आय में सुधार लाने में सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 68.65 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण कार्यबल में से लगभग 57 प्रतिशत<sup>1</sup> के पास कृषि के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य प्रेरक है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.67 लाख हेक्टेयर है; हालांकि केवल 5.83 लाख हेक्टेयर ही कृषि के लिए उपयुक्त है (कुल कृषि योग्य क्षेत्र) जिसमें से 3.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है (कृषि योग्य कमांड क्षेत्र/सीसीए)। सिंचाई योजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई। जिन योजनाओं का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें वृहद योजनाएं कहा जाता है, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से कम परंतु 2,000 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें मध्यम योजनाएं कहा जाता है तथा जिन सिंचाई योजनाओं का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम है, उन्हें लघु योजनाएं कहा जाता है।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना<sup>2</sup>, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक-ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से ऋण, राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई कमांड क्षेत्र विकास योजना (हिमकेड)(2017-18) और अन्य राज्य क्षेत्र योजनाओं के तहत सृजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) का शुभारंभ इस उद्देश्यार्थ किया गया था कि खेतों तक जल की भौतिक पहुंच बढ़ाई जाए और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाए, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार किया जाए तथा स्थायी जल संरक्षण पद्धतियां अपनाई जाए। केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में होगी। हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तपोषण पैटर्न 90 (केन्द्रीय): 10 (राज्य) है।

मार्च 2023 तक, एक वृहद (शाहनहर वृहद सिंचाई परियोजना), आठ मध्यम तथा 2,682 लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र सृजित किया गया है। लघु सिंचाई योजनाओं का सामाजिक प्रभाव अधिक है क्योंकि राज्य में कुल सृजित

<sup>1</sup> आर्थिक सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश 2022-23

<sup>2</sup> प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आरंभ की गई और 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' को इसके साथ मिला दिया गया।

3.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में से 2.63 लाख हेक्टेयर<sup>3</sup> (87 प्रतिशत) क्षेत्र पर इनका प्रभाव पड़ता है।

जल शक्ति विभाग राज्य की सिंचाई आवश्यकताओं सहित जल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, परिचालन व अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। विभाग राज्य में जलापूर्ति योजनाएं, बाढ़ सुरक्षा कार्य व सीवरेज योजनाएं भी क्रियान्वित करता है।

सचिव (जल शक्ति विभाग) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिए दो प्रमुख अभियंता<sup>4</sup>, चार क्षेत्रों<sup>5</sup> के मुख्य अभियंता और 14 सर्कलों<sup>6</sup> के अधीक्षण अभियंता हैं। योजनाओं का निष्पादन 61 मंडलों के अधिशाषी अभियंताओं द्वारा किया जाता है।

## 4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित व आकलन करना था कि क्या:

- योजनाओं/परियोजनाओं के तहत कार्यों का निष्पादन व रखरखाव/अनुरक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है
- योजनाओं की निगरानी व मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद हैं तथा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं
- योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

## 4.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 व हिमाचल प्रदेश जल नीति, 2013
- केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण नियमपुस्तिका
- हिमाचल प्रदेश कार्यालय प्रक्रिया नियमपुस्तिका

<sup>3</sup> जल शक्ति विभाग: 1.63 लाख हेक्टेयर व अन्य विभाग: 1.00 लाख हेक्टेयर

<sup>4</sup> प्रमुख अभियंता (जल शक्ति विभाग) व प्रमुख अभियंता (परियोजनाएं)

<sup>5</sup> धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी व शिमला

<sup>6</sup> बिलासपुर, चंबा, धर्मपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, नाहन, नूरपुर, रिकांग पियो, रोहड़ू, शिमला, सोलन, सुंदरनगर व ऊना

- लघु सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व कार्य अनुमान में निर्धारित नियम और शर्तें
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 व हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देश

#### 4.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

2019-23 की अवधि को समाविष्ट कर लघु सिंचाई योजनाओं की लेखापरीक्षा जल शक्ति विभाग में प्रमुख अभियंता, दो (चार में से) क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, चयनित क्षेत्रों से चार सर्कलों (सात में से) के अधीक्षण अभियंताओं और चयनित सर्कलों<sup>7</sup> से आठ (17 में से) मंडलों के अधिशाषी अभियंताओं के कार्यालयों में की गई। क्षेत्रों, सर्कल और मंडलों का चयन आईडीईए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की संवीक्षा, विभागीय उत्तरों का विश्लेषण तथा प्रत्येक चयनित मंडलों में तीन योजनाओं (दो पूर्ण व एक अपूर्ण) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण (व्यय की मात्रा के आधार पर चयनित कुल 24 योजनाएं) शामिल थीं। योजना कार्यान्वयन के फीडबैक का आकलन करने के लिए चयनित 24 योजनाओं में 408 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्य क्षेत्र, कार्यप्रणाली व नमूनों के चयन पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (जल शक्ति विभाग) व जल शक्ति विभाग (विभाग) के अधिकारियों के साथ अगस्त 2023 में एक प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव/एसीएस (जल शक्ति विभाग) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा यथाशीघ्र उनके अनुपालन का आश्वासन दिया। जहां भी उचित है, वहां सरकार के विचारों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

<sup>7</sup> मुख्य अभियंता: शिमला व मंडी, अधीक्षण अभियंता: कुल्लू, नाहन, रोहड़ू व सुंदरनगर, अधिशाषी अभियंता: जुब्बल, करसोग, कुल्लू-I व कुल्लू-II, नाहन, नोहराधार, रोहड़ू व सुंदरनगर

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 4.5 लघु सिंचाई योजनाओं की योजना, निष्पादन व रखरखाव

सिंचाई योजनाओं के निष्पादन प्रक्रिया में योजना, सर्वेक्षण और जांच, अवरोध मुक्त साइट की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध प्रबंधन, कार्यों का शीघ्र निष्पादन आदि शामिल हैं।

जिला सिंचाई योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की योजना और कार्यान्वयन की आधारशिला हैं और जिले के समग्र सिंचाई विकास परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करती हैं, जिसमें तीन घटकों अर्थात् जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और जल उपयोग एप्लीकेशनों को एकीकृत करते हुए मध्यम से दीर्घकालिक विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। राज्य सिंचाई योजनाएं जिला सिंचाई योजनाओं के समेकन के बाद तैयार की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015 के दौरान तैयार की गई राज्य सिंचाई योजना के अनुसार, 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सभी घटकों (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और वाटर शेड) के लिए कुल योजना परिव्यय ₹ 7,602.95 करोड़ निर्धारित किया था, जिसमें मनरेगा के साथ अभिसरण भी शामिल था। इसमें से ₹ 4,512.16 करोड़ (56.14 प्रतिशत) की राशि हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत 6,478 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियोजित की गई थी। वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2021-22 के दौरान ₹ 804.51 करोड़ की लागत वाली कुल 129 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हालांकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

#### 4.5.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

प्रत्येक लघु सिंचाई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के परामर्श से तैयार की जानी है। सिंचाई योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों की धारा 01 के बिंदु IV से X में स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान/मौसम विज्ञान सर्वेक्षण सहित विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच के संचालन का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित मंडलों में 24 चयनित योजनाओं के लिए:

- दो मंडलों<sup>8</sup> में केवल चार योजनाओं के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया गया था, किसी भी योजना के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा केवल दो

<sup>8</sup> नोहराधार तीन, रोहड़ू एक



मंडलों<sup>9</sup> में दो योजनाओं के लिए जल विज्ञान व मौसम विज्ञान संबंधी डाटा प्राप्त किया गया था।

- दो मंडलों<sup>10</sup> की पांच योजनाओं में वर्षा, तापमान, गेज व डिस्चार्ज संबंधी डाटा को ध्यान में रखा गया। चार मंडलों<sup>11</sup> की 12 योजनाओं में साप्ताहिक, पाक्षिक फसल जल आवश्यकता का आकलन किया गया।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2023 से नवंबर 2023 के दौरान) कि विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले सर्वेक्षण/जांच न किए जाने के कारण योजनाओं के अपूर्ण रहने, योजनाओं के कार्यों को हानि पहुंचने (आमतौर पर बाढ़ के कारण), पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के चालू न होने आदि के मामले लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, जैसा कि परिच्छेद 4.5.9 में इंगित किया गया है।

#### 4.5.2 लाभ लागत अनुपात

लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में लाभ-लागत अनुपात की गणना योजना के शुद्ध लाभ/मुनाफे और वार्षिक रखरखाव लागत के आधार पर की जाती है। लाभ-लागत अनुपात सिंचाई योजना की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने में सहायक है। सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदनार्थ न्यूनतम लाभ-लागत अनुपात एक या उससे अधिक होना चाहिए। यह आशा की गई थी कि योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् लाभार्थी परिकल्पित फसल पद्धति को अपना लेंगे तथा सिंचित भूमि के लाभ से फसल की पैदावार अधिक होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित आठ मंडलों में 24 चयनित योजनाओं के संबंध में संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में योजनाओं के लाभ लागत अनुपात को परिकल्पित किया था। हालांकि योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् मंडलों ने न तो फसल पद्धति में परिवर्तन का पता लगाया और न ही योजनाओं के तहत समाविष्ट किए गए क्षेत्र की उत्पादकता का मूल्यांकन किया था। कृषि व बागवानी विभागों से फसल पद्धति में परिवर्तन के संबंध में डाटा के गैर-संग्रहण/रखरखाव के कारण लाभ लागत अनुपात के अनुपात की उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सका तथा लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

<sup>9</sup> नोहराधार एक, रोहड़ू एक

<sup>10</sup> नोहराधार तीन, रोहड़ू दो

<sup>11</sup> कुल्लू-1 तीन, कुल्लू-11 तीन, रोहड़ू तीन व सुंदरनगर तीन

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया कि (जुलाई 2023-नवंबर 2023) लघु सिंचाई योजनाओं के चालू होने के पश्चात् फसल की उपज का मूल्यांकन करने के लिए जल शक्ति विभाग में कोई तंत्र नहीं था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि योजना के पूर्ण होने के पश्चात् अर्जित लाभों का मूल्यांकन नहीं करने के कारण योजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण में लाभ-लागत अनुपात का परिकलन करना व्यर्थ साबित हुआ।

मई 2025 में आयोजित अंतिम बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि वे सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने पर उनकी उत्पादकता का अध्ययन और मूल्यांकन करें।

#### 4.5.3 अन्य जल संरक्षण व प्रबंधन कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के परिच्छेद 19 के अनुसार विभाग को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे जल संरक्षण व प्रबंधन कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित सभी ग्रामीण परिसंपत्तियों/बुनियादी ढांचे आधारित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना था। अधिकांश मामलों में स्रोत सृजन के लिए भूमि कार्य जैसे श्रम-प्रधान कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा सकते हैं। तालाबों, नहरों, पुराने तालाबों, जल मंदिर, कुहल, टांका जैसे अवरुद्ध जल निकायों की डी-सिल्टिंग के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि भंडारण क्षमता में सुधार हो और सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल उपलब्धता के अवसर सृजित किए जा सकें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य सिंचाई योजना में 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अभिसरण के लिए ₹ 210.24 करोड़ का परिव्यय भी रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित सभी मंडलों में जल शक्ति विभाग द्वारा मनरेगा के साथ कोई अभिसरण नहीं किया गया था। विभाग द्वारा गैर-अभिसरण का कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अभिसरण के माध्यम से सतत विकास को सुविधाजनक बनाने की भारत सरकार की पहल प्रभावित हुई।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस तथ्य को स्वीकार किया तथा मुख्य अभियंता को अभिसरण कार्यों के माध्यम से पुनरुद्धार/पुनर्भरण व रखरखाव के लिए चेक डैम, तालाब, पानी के अन्य बारहमासी स्रोतों को चिन्हित करने के लिए सभी उप-मंडलों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

#### 4.5.4 जल उपयोगकर्ता संघ/किसान विकास संघ

हिमाचल प्रदेश की राज्य जल नीति, 2013 जल उपयोगकर्ता संघों या किसान विकास संघों के गठन द्वारा जल संबंधी योजनाओं की योजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण का प्रावधान करती है और उनकी राय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक अनिवार्य घटक होगी। सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् जल संरक्षण संघों/किसान विकास संघों को कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के भीतर जल प्रबंधन के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 14 योजनाओं (24 नमूना-जांचित योजनाओं में से) में जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों का गठन किया गया परंतु ये संघ केवल सात योजनाओं में ही कार्यात्मक थे। इसके अतिरिक्त इन जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों द्वारा जल प्रबंधन हेतु न तो कोई रूपरेखा निर्धारित की गई थी, जैसे लाभार्थियों को जल के कुशल और समान वितरण के लिए कार्यक्रम (वाराबंदी<sup>12</sup>) और न ही कार्य (जैसे जल वितरण पर रिपोर्ट, योजनाओं की स्थिति की आवधिक समीक्षा और मरम्मत व रखरखाव की आवश्यकता के लिए जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों और विभाग के बीच इंटरफेस) किए गए थे।
- नमूना-जांचित आठ मंडलों द्वारा सृजित परिसंपत्तियां/सुविधाएं प्रबंधन प्रयोजनार्थ जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों और पंचायती राज संस्थाओं या उपयोगकर्ता समूहों को नहीं सौंपी गईं।

इस प्रकार लघु सिंचाई योजनाओं की योजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन में सहभागी दृष्टिकोण का अभाव था, जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रति विभाग की उदासीनता को दर्शाता है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान प्रमुख अभियंता ने निष्कर्षों को स्वीकार किया और बताया कि यद्यपि अधिकांश मामलों में जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों का गठन किया गया था, परंतु वे बड़े पैमाने पर अकार्यात्मक थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघों को किसान उत्पादक संगठन से जोड़ने का निर्देश दिया।

<sup>12</sup> वाराबंदी - किसानों के बीच समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति की रोटेशन प्रणाली।

#### 4.5.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन में अंतर-जिला असमानताएं

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के परिच्छेद 11(ई) में प्रावधान है कि सिंचाई परियोजनाओं में वित्तीय पैटर्न/सब्सिडी सहायता के संबंध में अंतर-जिला असमानताएं नहीं होनी चाहिए, जिसे राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति<sup>13</sup> द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शेल्व<sup>14</sup> के तहत स्वीकृत योजनाओं (घटक - हर खेत को पानी के तहत) का जिलावार विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2017-22 के दौरान हर खेत को पानी के तहत स्वीकृत योजनाओं का जिलावार विवरण  
(₹ करोड़ में व कृषि योग्य कमांड क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	राज्य सिंचाई योजना के अनुसार रणनीतिक कार्य योजना		अनुमोदित योजनाएं			कुल योजनाबद्ध योजनाओं के सापेक्ष अनुमोदित योजनाओं का प्रतिशत		31 मार्च 2023 तक संचयी उपलब्धि	
		कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	लागत	संख्या	लागत	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	लागत	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	वित्तीय	भौतिक (कृषि योग्य कमांड क्षेत्र)
<b>शेल्व-I 2017-18</b>										
1	बिलासपुर	4,091	75.30	3	4.54	193.00	6.03	4.72	4.54	188.00
2	चंबा	11,190.94	478.56	1	1.74	70.00	0.36	0.63	1.69	59.00
3	हमीरपुर	344.02	13.84	2	1.23	88.87	8.89	25.83	1.23	88.87
4	कांगड़ा	57,136.52	1,201.93	40	75.07	4,711.52	6.25	8.25	72.56	4,329.31
5	किन्नौर	4,196.50	46.29	1	6.52	262.00	14.09	6.24	6.52	262.00
6	कुल्लू	14,321.45	229.65	13	48.75	2,164.90	21.23	15.12	33.24	1,346.50
7	लाहौल व स्पीति	8,050.50	151.75	2	1.16	65.00	0.76	0.81	1.16	65.00
8	मंडी	10,543.76	276.65	8	22.41	925.98	8.10	8.78	22.32	785.08
9	शिमला	21,725.27	486.83	28	154.84	8,413.70	31.81	38.73	145.29	6,836.21
10	सिरमौर	27,730.43	736.80	9	13.98	594.99	1.90	2.15	13.38	548.73
11	सोलन	14,050.95	328.87	2	0.86	38.90	0.26	0.28	0.86	38.90
12	ऊना	31,611.28	485.69	2	7.07	352	1.46	1.11	7.07	352
<b>योग</b>		<b>2,04,992.62</b>	<b>4,512.16</b>	<b>111</b>	<b>338.17</b>	<b>17,880.86</b>	<b>7.50</b>	<b>8.72</b>	<b>309.86</b>	<b>14,899.60</b>
<b>शेल्व-II 2018-19</b>										
1	मंडी	10,543.76	276.65	3	81.62	3,304.09	29.50	31.34	81.82	3,304.09
2	किन्नौर	4,196.50	46.29	1	5.73	230.00	12.38	5.48	3.37	0
<b>योग</b>				<b>4</b>	<b>87.35</b>	<b>3,534.09</b>	<b>27.05</b>	<b>23.98</b>	<b>85.19</b>	<b>3,304.09</b>

<sup>13</sup> यह समिति सिंचाई/जल स्रोतों/सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं पर तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए गठित की गई है।

<sup>14</sup> प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राधिकारियों से अनुमोदन के लिए प्रस्तावित योजनाओं की संख्या।

क्र. सं.	जिला	राज्य सिंचाई योजना के अनुसार रणनीतिक कार्य योजना		अनुमोदित योजनाएं			कुल योजनाबद्ध योजनाओं के सापेक्ष अनुमोदित योजनाओं का प्रतिशत		31 मार्च 2023 तक संचयी उपलब्धि	
		कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	लागत	संख्या	लागत	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	लागत	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	वित्तीय	भौतिक (कृषि योग्य कमांड क्षेत्र)
<b>शेल्फ-III 2021-22</b>										
1	मंडी	10,543.76	276.65	14	378.99	9,665.18	136.99	91.67	45.00	0
सकल योग (सभी जिलों की शेल्फ I+II+III)		129			804.51	31,080.13	17.83	15.16	439.84	18,203.69
मंडी (शेल्फ-I+II+III)		10,543.76	276.65	25	483.02	13,895.25	174.60	131.79	149.14	4,089.17

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि 2017-22 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक-हर खेत को पानी के तहत ₹ 804.51 करोड़ की लागत से 31,080.13 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के सृजन हेतु 129 योजनाओं की तीन शेल्वेज़ को जल शक्ति विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि जिलों में योजनाओं के अनुमोदन व निधियों के आवंटन में भारी अंतर-जिला असमानताएं थीं।

- हर खेत को पानी के तहत 2.05 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के सृजन के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान 12 जिलों में 0.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र सृजन के लिए ₹ 338.17 करोड़ की लागत से 111 योजनाओं का अनुमोदन किया गया। हालांकि योजनाओं को अनुमोदित करने में कोई एकरूपता नहीं थी। तीन जिलों अर्थात् हमीरपुर, कुल्लू एवं शिमला के लिए 2017-18 के दौरान अनुमोदित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र राज्य सिंचाई योजना में लक्षित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के 15.12 व 38.73 प्रतिशत के बीच था; जबकि शेष नौ जिलों में यह 0.28 व 8.78 प्रतिशत के बीच था।
- 2018-19 के दौरान, केवल दो जिलों (मंडी: तीन व किन्नौर: एक) के लिए ₹ 87.35 करोड़ की चार योजनाएं स्वीकृत की गईं।
- 2021-22 के दौरान केवल मंडी जिले के लिए ₹ 378.99 करोड़ की सभी 14 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार राज्य सिंचाई योजना के अनुसार मंडी जिले के लिए ₹ 276.65 करोड़ के अनुमानित वित्तीय परिव्यय पर 10543.76 हेक्टेयर की योजनाबद्ध कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के सापेक्ष ₹ 483.02 करोड़ (174.60 प्रतिशत) की कुल लागत पर

13895.25 हेक्टेयर (131.79 प्रतिशत) की कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के सृजन को अनुमोदित किया गया, जो 2017-22 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के तहत कुल आवंटित निधियों का 60.04 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) प्रमुख अभियंता ने बताया (जुलाई 2023) कि योजनाएं राज्य तकनीकी सलाहकार समिति<sup>15</sup> और राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के अनुसार शेल्व में शामिल की गई थीं। हालांकि प्रमुख अभियंता ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य में परियोजनाओं के अनुमोदन व निधियों की स्वीकृति में असमानताओं के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रमुख अभियंता को ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए सावधानी बरतने का निर्देश दिया।

#### 4.5.6 हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यों का निष्पादन न होना

जल शक्ति विभाग ने वृहद सिंचाई क्षमता सृजित की थी परंतु सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के मध्य अंतर था इसलिए राज्य सरकार ने किसानों के खेतों के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण व एकीकृत कृषि के लिए 2017-18 के दौरान एक नई योजना-हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास आरंभ की। इसके अतिरिक्त राज्य जल नीति, 2013 के परिच्छेद 6.2 में प्रावधान है कि सभी सिंचाई योजनाओं को बाढ़ सिंचाई और ओपन चैनल सिंचाई से सूक्ष्म सिंचाई<sup>16</sup> और पाइप आपूर्ति तक उत्तरोत्तर स्थानांतरित किया जाना है, सिवाय जहां संभव न हो। राज्य जल नीति के परिच्छेद 10.2 में आगे बताया गया है कि जहां भी संभव हो, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक (अगस्त 2017) के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिकतम सिंचाई क्षमता का कार्य क्षेत्र तैयार किया जाना था और उसके कार्यों को कृषि विभाग द्वारा निष्पादित किया जाना था।

2017-22 के दौरान हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत अनुमोदित ₹ 488.12 करोड़ की अनुमानित लागत की 723 योजनाओं की शेल्व का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

<sup>15</sup> यह समिति सिंचाई/जल स्रोतों/सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं पर तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की गई है।

<sup>16</sup> सूक्ष्म सिंचाई, जिसे माइक्रो-स्प्रे, स्थानीकृत, कम मात्रा, कम प्रवाह या ट्रिंकल सिंचाई भी कहा जाता है, एक सिंचाई पद्धति है जिसमें पारंपरिक स्प्रिंकलर प्रणाली की तुलना में कम पानी का दबाव व प्रवाह होता है।

तालिका 4.2: 2017-22 के दौरान हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में व कृषि योग्य कमांड क्षेत्र हेक्टेयर में)

शेल्फ विवरण	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	कुल कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	कुल अनुमानित लागत	जल शक्ति विभाग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य		कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कार्य निष्पादित किए जाएंगे	
				प्रस्तावित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	अनुमानित लागत	प्रस्तावित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	अनुमानित लागत
प्रथम शेल्फ (2017-18)	274	15,590.94	131.01	11,534.78	101.01	4,056.16	30.00
द्वितीय शेल्फ (2019-20)	379	25,285.10	310.52	19,038.59	253.53	6,246.51	56.99
तृतीय शेल्फ (2021-22)	70	3,796.54	46.59	3,082.60	37.76	713.94	8.83
<b>योग</b>	<b>723</b>	<b>44,672.58</b>	<b>488.12</b>	<b>33,655.97</b>	<b>392.3</b>	<b>11,016.61</b>	<b>95.82</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

राज्य जल नीति में परिकल्पित सूक्ष्म सिंचाई कार्यों हेतु कृषि विभाग को निधियां आवंटित नहीं की गईं। इसने इंगित किया कि जुलाई 2023 तक हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया।

अधिशायी अभियंता (निगरानी व योजना) ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास कार्यों को बजट आवंटन के अनुसार विभाग द्वारा निष्पादित किया गया। उत्तर में राज्य सिंचाई नीति/राज्य तकनीकी सलाहकार समिति अनुशंसाओं में प्रदान की गई सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को करने के लिए कृषि विभाग को निधियों का आवंटन न करने को स्पष्ट नहीं किया गया है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कृषि व बागवानी विभाग को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति बैठक में तय किए गए निर्णय के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई कार्यों को निष्पादित करने के लिए कहा जाएगा।

#### 4.5.7 योजनाओं के निष्पादन की स्थिति

प्रमुख अभियंता राज्य में जल शक्ति विभाग के प्रशासनिक और तकनीकी/व्यावसायिक प्रमुख के रूप में कुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं और समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार में विभागाध्यक्षों को सौंपी गई सभी प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य स्तर पर निष्पादन हेतु ली गई योजनाओं, पूर्ण हो चुकी योजनाओं तथा अपूर्ण रह गई योजनाओं के समेकित अभिलेख प्रमुख अभियंता स्तर पर अनुरक्षित/अद्यतित नहीं किए गए।

नमूना-जांचित मंडलों में 2019-23 के दौरान योजनाओं के निष्पादन का विवरण तालिका 4.3 व 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.3: नमूना-जांचित मंडलों में 2019-23 के दौरान योजनाओं के निष्पादन का विवरण  
(जुलाई-नवंबर 2023 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित योजना		योजना आरंभ नहीं हुई		योजना पूर्ण हो गई		योजना अपूर्ण/चल रही है	
	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
मार्च 2019 से पूर्व	65	200.82	1	0.10	47	116.39	17	70.47
2019-20	18	18.60	0	0	3	0.57	15	9.44
2020-21	44	26.85	1	0.47	16	2.77	27	11.13
2021-22	17	19.77	1	0.20	6	1.16	10	7.19
2022-23	19	37.98	2	6.17	0	0	17	3.46
<b>योग</b>	<b>163</b>	<b>304.02</b>	<b>5</b>	<b>6.94</b>	<b>72</b>	<b>120.89</b>	<b>86</b>	<b>101.69</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

तालिका 4.4: नमूना-जांचित मंडलों में 2019-23 के दौरान समय व लागत वृद्धि का विवरण  
(जनवरी 2024 तक)

योजनाएं	समय सीमा से अधिक मामलों की संख्या	समय सीमा से अधिक (माह में)	लागत वृद्धि के मामलों की संख्या	लागत में वृद्धि (लाख में)
पूर्ण योजनाएं	31	9 से 45 माह	18	882.82
अपूर्ण योजनाएं	10	3 से 46 माह	3	103.43
योजनाएं जो आरंभ नहीं हुईं	5	11 से 64 माह	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>योग</b>	<b>46</b>		<b>21</b>	<b>986.25</b>

- स्वीकृत 163 योजनाओं में से केवल 72 ही पूर्ण हो पाईं तथा इन पूर्ण हो चुकी योजनाओं में से 31 योजनाएं नौ से 45 माह के विलंब से पूर्ण हुईं। इसके अतिरिक्त 18 योजनाओं की लागत में ₹8.83 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 86 अपूर्ण/चल रही योजनाओं में से 10 योजनाएं तीन से 46 माह से अधिक के विलंब के बावजूद पूर्ण नहीं हुईं। ये योजनाएं भूमि विवाद (दो मामलों में), वन स्वीकृति प्राप्त करने में अवरोध (दो मामलों में) तथा बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता (एक मामले में) के कारण अपूर्ण रही। शेष पांच सिंचाई योजनाओं के लिए विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए। इसके अतिरिक्त तीन योजनाओं की लागत में ₹1.03 करोड़ की वृद्धि हुई।
- ₹ 6.94 करोड़ की लागत से स्वीकृत पांच योजनाओं का कार्य स्वीकृति के माह से 11 से 64 माह बीत जाने के बाद भी आरंभ नहीं किया गया।



#### 4.5.8 विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित योजनाओं के संबंध में कमियां

24 चयनित योजनाओं (प्रत्येक नमूना-जांचित मंडल में दो पूर्ण व एक अपूर्ण) के अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा (परिशिष्ट 4.1) में निम्नलिखित कमियां उजागर हुईं:

##### 4.5.8.1 कार्यों का छोटे-छोटे भागों में अनियमित विभाजन

विभागीय निर्देशों (अप्रैल 2012) के अनुसार, ई-निविदा से बचने या प्रेस के माध्यम से प्रकाशन से बचने या राशि को एक निश्चित राशि से कम रखने (प्रकाशन के बिना एक लाख और ई-निविदा के बिना पांच लाख) के लिए कार्यों को उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचाने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की अधिसूचना (सितंबर 2016) के अनुसार उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित आठ मंडलों में, ₹48.25 करोड़<sup>17</sup> की निविदा राशि वाली अठारह योजनाओं को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लिए बिना अनियमित रूप से 214 अनुबंधों में विभाजित कर दिया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में विवर्णित है। अधिकांश योजनाओं को केवल इसलिए विभाजित किया गया ताकि सीमा को पांच लाख रुपये से कम रखा जा सके और ई-निविदा या प्रतिस्पर्धी दरों से बचा जा सके।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई से नवंबर 2023) कि सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक विभाजित स्वीकृतियां शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाएंगी।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्य के निष्पादन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस तथ्य को स्वीकार किया और सभी अधिशाषी अभियंताओं को मामले की जांच करने तथा विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

##### 4.5.8.2 कार्यों के आवंटन में विलंब

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 3.2.1 और 3.2.2 के अनुसार सिंचाई योजनाओं को केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त जारी होने के वित्तीय वर्ष से आरंभ करके व प्रथम किश्त जारी होने के वर्ष को छोड़कर दो वर्षों में पूर्ण किया जाना है। यद्यपि दिशा-निर्देशों में कार्यों को आवंटित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है परंतु निहित शर्त यह है

<sup>17</sup> जुबबल ₹6.70 करोड़, करसोग ₹3.27 करोड़, कुल्लू-I ₹0.98 करोड़, कुल्लू-II ₹5.69 करोड़, नाहन ₹0.65 करोड़, नोहराधार 6.87 करोड़, रोहड़ू ₹18.51 करोड़, सुंदरनगर ₹5.58 करोड़।

कि कार्यों को अनुमोदन की तिथि से उचित समयावधि के भीतर आवंटित किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित समय के भीतर उनका पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छह नमूना-जांच मंडलों के संबंध में ₹ 92.85 करोड़<sup>18</sup> के स्वीकृत (दिसंबर 2014 और सितंबर 2021 के बीच) 13 नमूना-जांच योजनाओं (24 में से) के कार्यों को स्वीकृति की तिथि से 11 से 66 माह के बीच की समयावधि लेकर (फरवरी 2016 और जुलाई 2023 के बीच) आवंटित किया गया था (परिशिष्ट 4.3)। परिणामस्वरूप नमूना-जांचित पांच मंडलों<sup>19</sup> की 12 योजनाओं में 12 से 48 माह की समय सीमा बढ़ी तथा सात योजनाओं में ₹ 6.62 करोड़ की लागत बढ़ी।

#### 4.5.8.3 कार्यों के निष्पादन में विलंब होने पर ठेकेदारों से विलंब क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण न करना/वसूली न करना

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमपुस्तिका, 2014 (जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनाया गया) के परिच्छेद 33.1 व बोली दस्तावेज (अनुबंध) के खंड 2 में प्रावधान है कि कार्य के धीमे निष्पादन या पूर्ण होने में विलंब के लिए निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन क्षतिपूर्ति वसूल की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नमूना-जांचित चार मंडलों में ठेकेदारों द्वारा 11 योजनाओं के 18 कार्य निर्धारित समय से आठ से 69 माह अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किए गए। ठेकेदार ने न तो कार्य निष्पादन में किसी बाधा की सूचना दी, न ही समय विस्तार के लिए आवेदन किया। विभाग ने अनुबंध की धारा व नियमों (परिशिष्ट 4.4) के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 3.17 करोड़<sup>20</sup> की क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित नहीं की। क्षतिपूर्ति न दिए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण न होने से लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित होना पड़ा।
- नमूना जांचित तीन मंडलों में अनुबंध के खंड-2 (परिशिष्ट 4.4) के अनुसार ठेकेदारों पर लगाई गई ₹ 1.24 करोड़<sup>21</sup> की क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई थी, जो ठेकेदारों

<sup>18</sup> जुब्बल: ₹ 33.92 करोड़, करसोग: ₹ 0.83 करोड़, कुल्लू-I: ₹ 15.63 करोड़, लारजी स्थित कुल्लू-II: ₹ 11.99 करोड़, रोहड़ू: ₹ 23.15 करोड़ व सुंदरनगर: ₹ 7.33 करोड़।

<sup>19</sup> जुब्बल, करसोग, कुल्लू-I व लारजी स्थित कुल्लू-II एवं रोहड़ू।

<sup>20</sup> करसोग: ₹ 0.21 करोड़, कुल्लू-I: ₹ 1.17 करोड़, नाहन: ₹ 0.02 करोड़ और रोहड़ू: ₹ 1.77 करोड़।

<sup>21</sup> जुब्बल: ₹ 0.68 करोड़, कुल्लू-I: ₹ 0.12 करोड़ व लारजी स्थित कुल्लू-II: ₹ 0.44 करोड़।

को अनुचित लाभ पहुंचाने को परिलक्षित करता है।

दोनों मंडलों के अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (जुलाई-नवंबर 2023) कि ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी व वसूली जाएगी। अन्य मंडलों के अधिशाषी अभियंताओं ने बताया कि विलंब का कारण ठेकेदारों को नहीं माना गया, न ही ठेकेदारों ने समय विस्तार के लिए आवेदन किया था, लेकिन तथ्य यह रहा कि ठेकेदारों को समय विस्तार नहीं दिया गया।

उत्तर में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण न करने तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया तथा प्रमुख अभियंता को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

#### 4.5.9 संयुक्त भौतिक निरीक्षण व लाभार्थी सर्वेक्षण

नमूना-जांचित मंडलों में संचालित (जुलाई-नवंबर 2023) 24 लघु सिंचाई योजनाओं (16 पूर्ण व आठ अपूर्ण) (परिशिष्ट 4.1) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान नौ योजनाओं में पाई गई प्रमुख कमियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

##### (i) नाहन तहसील में नागल सुकेती लिफ्ट सिंचाई योजना

- यह योजना गैर-क्रियात्मक थी क्योंकि बूस्टर स्टेज का एक हिस्सा बाढ़ के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया और बह गया, क्योंकि इसका निर्माण उचित सर्वेक्षण व जांच के बिना किया गया था। लाभार्थियों ने पुष्टि की कि मुख्य स्थान तक पानी नहीं आ रहा था।

##### (ii) ग्राम पंचायत गोवालपुर, तहसील करसोग में चाखना तुम्मन लिफ्ट सिंचाई योजना

- पंप हाउस, पंपिंग मशीनरी, मुख्य चैनल व ग्रेविटी मेन, रिटेनिंग वॉल व ट्रांसफार्मर सहित निर्मित हिस्से अगस्त 2023 में बाढ़ के कारण बह गए/क्षतिग्रस्त हो गए क्योंकि पंप हाउस, सम्प वेल, ट्रांसफार्मर आदि के निर्माण के लिए स्थल का चयन भूवैज्ञानिक व स्थलाकृति सर्वेक्षण किए बिना किया गया था।

##### (iii) तहसील सुंदरनगर में चिरडी धार, बोधल, चंद्रू, चंबी, खातेरवारी और भराडी प्रवाह सिंचाई योजना

- ज्वाला खड्ड के साथ निर्मित चरण-II का ग्रेविटी मेन पाइप जुलाई 2023 के दौरान भारी बारिश के कारण बह गया, क्योंकि बिना किसी भूवैज्ञानिक व स्थलाकृति

सर्वेक्षण और जांच के, खड़ के साथ ग्रेविटी मेन बिछाया गया था। परिणामस्वरूप, योजना का दूसरा चरण कार्यात्मक नहीं था, जिससे संबंधित लाभार्थी अपेक्षित सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए।

**(iv) तहसील व जिला कुल्लू में ग्राम पंचायत भल्याणी, भूमतीर व ब्राह्मण के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना**

- साइट पर केवल संप वेल व पंप हाउस की नींव का निर्माण किया गया था और वन स्वीकृति की अनुपलब्धता और अन्य स्थानीय स्थल विवाद के कारण कार्य रोक दिया गया था (अगस्त 2021) क्योंकि मंडल ने योजना का कार्य सौंपने से पहले अवरोध मुक्त साइट सुनिश्चित नहीं की थी। मंडल ने वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित करने का मामला मंडल वनाधिकारी, कुल्लू को प्रस्तुत किया था (अप्रैल 2021), जो नवंबर 2023 तक प्रतीक्षित था।
- कुल ₹10.12 करोड़ व्यय होने के बाद कार्य को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2021), और नवंबर 2023 तक शेष कार्य को पुनः आवंटित नहीं किया गया।
  - ठेकेदार/फर्म ने दिसंबर 2021 में मध्यस्थता में मामला उठाया और मध्यस्थ ने जून 2023 में ठेकेदार के पक्ष में ₹1.64 करोड़ (ब्याज सहित) का दावा स्वीकृत किया।
  - दोनों चरणों के लिए ₹ 68.73 लाख की लागत से खरीदी गई पम्पिंग मशीन साइट पर नहीं पाई गई।
  - विभाग की अवरोध मुक्त साइट उपलब्ध कराने में असमर्थता के फलस्वरूप ₹ 10.12 करोड़ का निष्प्रयोजनीय व्यय हुआ तथा ₹ 1.64 करोड़ (ब्याज सहित) की अनावश्यक मध्यस्थता दायित्व का बोझ आ गया।

**(v) ग्राम पंचायत नराईश, हुरला, दियार, तहसील भुंतर (जिला कुल्लू) में भामी नाला लिफ्ट सिंचाई योजना**

- स्वीकृति की तिथि (अक्टूबर 2017) से छह साल की अवधि में ₹ 7.19 करोड़ के व्यय के बाद योजना का 50 प्रतिशत पूर्ण हो गया था। तीसरे चरण के जल ग्रहण संरचना, गाद निकासी टैंक और राइजिंग मेन के बिछाने के कार्य पूर्ण पाए गए, जबकि पहले और दूसरे चरण के पंप हाउस का केवल 40 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था। ₹ 95.61 लाख की लागत से खरीदी गई पम्पिंग मशीन बिना इंस्टाल किए रखी हुई थी। शेष कार्य नवंबर 2023 तक पुनः आवंटित नहीं किया गया था।

**(vi) चंगावटी खड्ड से ग्राम पंचायत कलबोग नागान तक लिफ्ट सिंचाई योजना**

- संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान योजना के तीनों चरणों में से एक पूर्ण हुआ संप वेल (दो में से) और तीन आंशिक रूप से पूर्ण पंप हाउस (तीनों चरणों में से एक-एक) तथा तीनों चरणों में आंशिक रूप से पूर्ण वितरण नेटवर्क पाया गया। मुख्य डिलीवरी टैंक के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। अक्टूबर 2022 तक ₹16.77 करोड़ व्यय करने के बाद लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण पाया गया।
- तीनों चरणों के लिए ₹ 45.48 लाख की लागत से खरीदी गई पम्पिंग मशीन साइट पर नहीं पाई गई।
- इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अवरोध मुक्त साइट की अनुपलब्धता के कारण अक्टूबर 2022 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया। अगस्त 2023 तक यह कार्य स्थगित अवस्था में रखा गया था।

**(vii) बागवानी क्षेत्र धामवानी से जमुती तक लिफ्ट सिंचाई योजना जिसमें खरोट व तहसील चिडगांव के गांवों का समूह समाविष्ट है,**

- सितम्बर 2017 में स्वीकृत इस योजना का निर्माण दो चरणों के पांच स्तरों पर किया जाना था।
- अभिलेखों की संवीक्षा व संयुक्त भौतिक निरीक्षण से उजागर हुआ कि पंप हाउस, संप वेल और सभी चरणों के राइजिंग मेन जैसे सिविल ढांचे ₹ 7.51 करोड़ की लागत से पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि यह योजना अपूर्ण थी क्योंकि कुछ भंडारण टैंकों का निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण था।
- सभी चरणों की पंपिंग मशीनरी इंस्टाल कर दी गई थी परंतु पांच में से चार चरणों में (जुलाई 2023 तक) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी, जबकि ₹1.07 करोड़ का अग्रिम भुगतान (अगस्त 2019) कर दिया गया था।
- चरण-I के प्रथम स्तर जिसमें विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, सितंबर 2022 से ट्रांसफार्मर की चोरी के कारण अकार्यात्मक पाई गई।
- इस प्रकार योजना अकार्यात्मक रही।

**(viii) पब्लर से कुलगांव एवं ग्राम पंचायत जांगला, तहसील चिडगांव के आसपास के क्षेत्र लिए बागवानी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना –**

- इस योजना को तीन चरणों में निर्माण के लिए सितंबर 2017 में स्वीकृति दी गई थी।
- मार्च 2023 को समाप्त तिमाही भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिसे विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, संबंधित योजना को पूर्ण दर्शाया गया था। हालांकि जुलाई 2023 तक ₹ 9.74 करोड़ का व्यय करने के बाद केवल सिविल कार्य पूर्ण किया गया था और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा दूसरे व तीसरे चरण के लिए बिजली कनेक्शन की आपूर्ति (जुलाई 2023) उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
- यह योजना केवल प्रथम चरण के लिए ही पूर्ण की गई थी, परंतु इस चरण के जलग्रहण कक्ष का निर्माण भी नहीं किया गया था तथा पानी को सीधे खड्ड से निकाला गया था।
- इस प्रकार योजना के अपूर्ण रहने के बावजूद विभाग द्वारा भारत सरकार को योजना का पूर्ण होना गलत रूप से प्रतिवेदित किया गया।

**(ix) खिलावन खड्ड पुजारली से बागवानी भूमि के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना**

- लिफ्ट सिंचाई योजना का सिविल कार्य जुलाई 2022 में ₹ 9.36 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया।
- भौतिक निरीक्षण के दौरान भारी क्षति (जुलाई 2023) के कारण योजना को अकार्यात्मक पाया गया। लॉगबुक के अनुसार यह योजना केवल एक माह (जून 2023) तक ही संचालित रही।
- लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला कि आसपास के विभिन्न भंडारण टैंकों में पानी नहीं आ रहा था।
- कुल मिलाकर, विभाग अपेक्षित/आवश्यकतानुसार आउटपुट (परिणाम) नहीं दे सका।

### लाभार्थियों का सर्वेक्षण

पुर्वोक्ति के अनुसार योजना कार्यान्वयन पर फीडबैक का आकलन करने के लिए नमूना-जांचित 24 योजनाओं में 408 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

सर्वेक्षण से उजागर हुआ कि

- केवल 45 प्रतिशत लाभार्थी सिंचाई के लिए आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा से संतुष्ट थे।
- 49 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि किसान विकास संघ का गठन किया गया है और केवल 12 प्रतिशत लाभार्थी किसान विकास संघ द्वारा जल वितरण प्रबंधन से संतुष्ट थे।
- सिंचाई योजना के पूर्ण होने के बाद किसी भी लाभार्थी ने आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं बताया।
- केवल आठ प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि गिरदावरी<sup>22</sup> खेतों में की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि विभाग ने खेतों में वास्तव में उगाई गई फसलों का आकलन करने का प्रयास नहीं किया।
- योजना पूर्ण होने के बाद केवल छह से सात प्रतिशत लाभार्थियों ने रबी व खरीफ फसलों के फसल पैटर्न में क्रमशः बदलाव की सूचना दी।

## निगरानी

### 4.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

#### 4.6.1 अंतर-विभागीय कार्य समूह की गतिविधियां संचालित नहीं की गईं

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को भारत सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति वाली बैठक में अंतर-विभागीय कार्य समूह द्वारा अनुशंसित विशिष्ट परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार होगा। अंतर-विभागीय कार्य समूह राज्य के भीतर योजना गतिविधियों के दैनिक समन्वय व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में अंतर-विभागीय कार्य समूह द्वारा उपरोक्त गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही थीं। प्रमुख अभियंता ने बताया (जुलाई 2023) कि अंतर-विभागीय कार्य समूह की नियमित बैठकें नहीं बुलाई गईं।

<sup>22</sup> राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि की खेती व फसलों के विवरण को दर्ज करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली एक फसल निरीक्षण (गिरदावरी)।

#### 4.6.2 सामाजिक लेखापरीक्षा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 11(जे) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान है, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि में। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 18 में यह भी प्रावधान है कि सृजित सभी परिसंपत्तियों के लेखाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित किसी भी मंडल में समुदाय-आधारित संगठनों (उपयोगकर्ता समूहों)/पंचायती राज संस्थाओं/लाभार्थियों आदि द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया। सभी सृजित परिसंपत्तियों के लेखाओं को भी सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ग्राम सभा के समक्ष नहीं रखा गया।

इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा न होने के कारण सृजित परिसंपत्तियों तथा उन पर किए गए व्यय का सत्यापन ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सका। यह योजनाओं व सृजित परिसंपत्तियों में अपर्याप्त जन जागरूकता तथा सीमित सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है।

#### 4.6.3 सूची प्रबंधन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 16 के अनुसार, व्यक्तिगत किसानों आदि के लिए बनाई गई परिसंपत्तियों को छोड़कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना परियोजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों का सूचीबद्धकरण सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा जाना चाहिए तथा जिन परिसंपत्तियों की अब आवश्यकता नहीं है, उन्हें, जहां तक संभव हो, उपयोग और पुनर्नियोजन के लिए नोडल विभाग (कृषि विभाग) को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित किसी भी मंडल में 2019-23 के दौरान सृजित परिसंपत्तियों की सूची नहीं रखी गई थी। संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त-नवंबर 2023) कि भविष्य में आवश्यक सूची/अभिलेखों को अनुरक्षित किया जाएगा।

#### 4.7 वित्तीय प्रबंधन

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए निधियां मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ऋण व अन्य राज्य योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है। किसानों के खेतों के अंतिम छोर तक सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करके एक नई



योजना हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास प्रारम्भ की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व अन्य राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाती है।

#### 4.7.1 बजट आवंटन व व्यय

वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए बजट एवं व्यय का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: 2019-23 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए बजट व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट			व्यय		
	भारत सरकार की हिस्सेदारी	राज्य की हिस्सेदारी	कुल	भारत सरकार	राज्य	कुल
2019-20	147.91	16.43	164.34	147.91	16.43	164.34
2020-21	59.80	6.64	66.44	59.80	6.64	66.44
2021-22	60.31	6.70	67.01	60.31	6.70	67.01
2022-23	40.50	4.50	45.00	40.50	4.50	45.00
योग	308.52	34.27	342.79	308.52	34.27	342.79

तालिका 4.6: 2019-23 के दौरान राज्य लघु सिंचाई योजनाओं के लिए बजट व व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट				व्यय			
	राज्य	नाबाई	हिमकैड	कुल	राज्य	नाबाई	हिमकैड	कुल
2019-20	22.66	113.94	34.28	170.88	22.83	109.28	33.81	165.92
2020-21	30.54	124.23	43.12	197.89	26.98	100.05	33.01	160.05
2021-22	32.78	137.69	81.03	251.50	32.13	125.41	41.43	198.97
2022-23	27.33	158.95	74.65	260.93	19.94	149.19	57.02	226.15
योग	113.31	534.81	233.08	881.20	101.88	483.93	165.27	751.09

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

#### 4.7.2 अन्य योजनाओं/कार्यों के लिए निधियों का व्यपवर्तन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 14 में प्रावधान है कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ मंडलों की 16 चयनित योजनाओं में अधिशाषी अभियंताओं ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और हिमाचल कमांड

क्षेत्र विकास के तहत ₹ 2.34 करोड़<sup>23</sup> की निधियों को कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर 38 योजनाओं/प्रयोजनाओं हेतु व्यपवर्तित कर दिया था, जैसा कि परिशिष्ट 4.5 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इन निधियों को कार्यालय उपकरण, वाहन किराए पर लेने, मरम्मत रखरखाव तथा अन्य योजनाओं के कार्यों के निष्पादन के लिए व्यपवर्तित किया गया।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त-नवंबर 2023) कि कार्यों की तात्कालिकता एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थलों पर निष्पादित किए गए थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निधियों को अन्य कार्यों हेतु व्यपवर्तित कर दिया गया तथा जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था, उसमें उसका उपयोग नहीं किया गया।

### 4.7.3 बिजली की शून्य खपत पर मांग शुल्क का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के टैरिफ की सामान्य शर्तों के अनुसार दो भाग टैरिफ के तहत उपभोक्ताओं, जिनकी ऊर्जा खपत रु/केवीएच (किलो वोल्ट एम्पियर घंटा) में बिल/प्रभारित की जाती है, उनसे केवीएच प्रभारों के अतिरिक्त भाग-III के अनुसार दरों पर 'मांग शुल्क' (रुपये/वीए/माह में) भी लिया जाएगा, जिसकी गणना माह के किसी भी लगातार 30 मिनट की ब्लॉक अवधि के दौरान ऊर्जा मीटर पर दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में) या अनुबंध मांग (केवीए में) के 90 प्रतिशत पर की जाएगी, जो भी अधिक हो लेकिन वर्तमान में लागू अनुबंध मांग की अधिकतम सीमा तक।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित पांच मंडलों में, संबंधित मंडलों द्वारा (अप्रैल 2019 व मार्च 2023 के बीच) 14 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के संबंध में मांग शुल्क हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹ 0.94 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जहां बिजली की खपत शून्य थी, जैसा कि परिशिष्ट 4.6 में विवर्णित है। योजना के तहत बिजली के बिलों का भुगतान केवल मांग शुल्क के आधार पर किया जा रहा था। बिल में उल्लिखित मीटर शुल्क इंगित करता है कि ये योजनाएं बिलिंग महीनों के दौरान चालू/कार्यशील नहीं थीं। संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने मामलों की समीक्षा नहीं की तथा अनुबंध मांग में परिवर्तन/अकार्यात्मक योजनाओं के मीटरों के कनेक्शन काटने के लिए समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के समक्ष मामला नहीं उठाया। परिणामस्वरूप, विभाग को शून्य ऊर्जा खपत के लिए मांग शुल्क वहन करने पड़े, जिन्हें टाला जा सकता था, यदि इन मामलों की समीक्षा की गई होती।

<sup>23</sup> जुबबल: ₹ 11.09 लाख, करसोग: ₹ 9.49 लाख, कुल्लू-I: ₹ 162.91 लाख, कुल्लू-II (लारजी में): ₹ 21.20 लाख, नाहन: ₹ 1.05 लाख, नोहराधार ₹ 10.27 लाख, रोहड़ू: ₹ 14.50 लाख, और सुंदरनगर: ₹ 3.13 लाख।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त-नवंबर 2023) कि मीटरों के कनेक्शन काटने के लिए मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के समक्ष उठाया जाएगा।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश जारी करें कि वे उन मामलों में अनुबंध मांग को संशोधित करें जहां योजनाएं अकार्यात्मक थीं।

#### 4.7.4 सामग्री की काल्पनिक बुकिंग व संदिग्ध चोरी

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के परिच्छेद संख्या 7.1.3 के अनुसार काल्पनिक स्टॉक समायोजन सख्ती से निषिद्ध हैं जैसे, (i) किसी कार्य में उन सामग्री लागतों को डेबिट करना जो आवश्यक नहीं हैं या वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक हैं, (ii) किसी विशेष कार्य जिसके लिए निधियां उपलब्ध हैं, को उन सामग्रियों का मूल्य डेबिट देना जिन्हें किसी अन्य कार्य में उपयोग करने का उद्देश्य है, जिसके लिए कोई आवंटन स्वीकृत नहीं हुआ है या (iii) किसी कार्य में उपयोग सामग्री के मूल्य को कार्य के लेखा-जोखा में वापिस लिखना ताकि स्वीकृत आवंटन से अधिक परिव्यय से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) जुब्बल मंडल में “दरकोटी व गारेओग की बागवानी भूमि को गिरट्टू नाला से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने” योजना के तहत:

- कनिष्ठ अभियंता ने स्टॉक से 251 सीमेंट बैग (₹79,316) जारी किए। हालांकि योजना के संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने साइट पर सामग्री रजिस्टर में केवल 240 सीमेंट बैग दर्शाए, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,476 मूल्य के 11 सीमेंट बैग का कम लेखा-जोखा हुआ।
- साइट पर सामग्री रजिस्टर 41 (पृष्ठ-99) के अनुसार कार्य के लिए इंडेंट एनकेएस-केके-दरकोटी-ए के अनुसार 950 सीमेंट बैग जारी दर्शाए गए जबकि मार्च 2019 के इंडेंट नंबर एनकेएस-केके-दरकोटी-ए की प्रति तथा संबंधित कनिष्ठ अभियंता के मेजरमेंट बुक 961 पी-20 के अनुसार केवल 550 सीमेंट बैग जारी व उपभोग किए गए। ₹ 316/- प्रति बैग की दर से ₹ 1,26,400/- मूल्य के 400 सीमेंट बैगों की दुर्विनियोजन/चोरी की आशंका थी।
- आठ मिमी व 10 मिमी स्टील (प्रत्येक 50 क्विंटल) जिसका मूल्य ₹5.00 लाख है, को जून 2019 के इंडेंट नंबर एनकेएस-केके-दरकोटी के माध्यम से स्टोर से संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को जारी किया गया था। हालांकि इसे न तो साइट पर सामग्री रजिस्टर में

ठेकेदार को जारी के रूप में दर्शाया गया, न ही मेजरमेंट बुक में सामग्री के उपभोग के रूप में दर्ज किया गया तथा संबंधित साइट पर सामग्री रजिस्टर में सामग्री की शेष मात्रा को शून्य या अपंजीकृत दर्शाया गया। संबंधित कनिष्ठ अभियंता सामग्री का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस प्रकार सामग्री के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

संबंधित अधिशाषी अभियंता ने बताया (अगस्त-नवंबर 2023) कि उपलब्ध बजट का उपयोग करने के लिए सामग्री बुक की गई थी तथा सामग्री का वास्तविक लेखा-जोखा जानने के लिए स्टोर/स्टॉक के साथ मिलान किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि संबंधित योजना के साइट पर सामग्री रजिस्टर में सामग्री का लेखा-जोखा कम था तथा दुर्विनियोजन/चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

#### 4.7.5 अबियाना शुल्क

हिमाचल प्रदेश राज्य जल नीति 2013 के दिशानिर्देश 6.5 में प्रावधान है कि अबियाना शुल्क (उपयोगकर्ता शुल्क) निर्धारित करने की सदियों पुरानी पद्धति को सृजित सिंचाई क्षमता पर अधिक वैज्ञानिक बिलिंग-आधारित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के दिशानिर्देशों 8.7 के अनुसार संग्रहित जल शुल्क के साथ बुनियादी ढांचे के विकास की लागत का एक उपयुक्त प्रतिशत मरम्मत व रखरखाव के लिए अलग रखा जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ प्रति फसल निर्धारित दर पर अलग-अलग लिफ्ट सिंचाई योजनाओं व प्रवाह सिंचाई योजनाओं के लिए अबियाना शुल्क अधिसूचित किए जाते हैं। इन दरों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाना था। राज्य ने मार्च 2018 में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए ₹ 53.79 प्रति एकड़ प्रति फसल व प्रवाह सिंचाई योजनाओं के लिए ₹ 26.90 प्रति एकड़ प्रति फसल की दर से अबियाना शुल्क की दरें अधिसूचित की थीं, परंतु 2018 के बाद इन्हें संशोधित नहीं किया गया।
- मार्च 2018 में अधिसूचित दरों के अनुसार सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र व वास्तव में वसूले गए अबियाना शुल्क का विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

तालिका 4.7: 2019-23 के दौरान राज्य में अबियाना शुल्क के संग्रहण का विवरण

(अबियाना शुल्क ₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ तक सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्ष के आरंभ तक सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (एकड़ में)*	वर्ष के दौरान सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अबियाना शुल्क के लिए वार्षिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (रबी व खरीफ के लिए)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित अबियाना शुल्क**	विभाग द्वारा वसूले गए अबियाना शुल्क	कम वसूले गए
ए	बी	सी	डी	ई=सी*2	एफ=ई*₹26.90	जी	एच
2019-20	1,75,722	4,34,226	4,640	8,68,452	2.34	0.12	2.22
2020-21	1,80,362	4,45,692	5,441	8,91,384	2.40	0.06	2.34
2021-22	1,85,803	4,59,137	8,031	9,18,274	2.47	0.07	2.40
2022-23	1,93,834	4,78,983	6,040	9,57,966	2.58	0.12	2.46
<b>कुल</b>					<b>9.79</b>	<b>0.37</b>	<b>9.42</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी। \*1 हेक्टेयर = 2.4711 एकड़ \*\* प्रवाह सिंचाई योजनाओं के लिए ₹26.90 प्रति एकड़ की निम्न दर पर

विभाग राज्य में सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के अनुसार अबियाना शुल्क वसूलने में सफल नहीं रहा।

- वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य में योजनाओं की मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के सापेक्ष वसूल व संग्रहित किए गए अबियाना शुल्क की स्थिति तालिका 4.8 में दी गई है।

तालिका 4.8: 2019-23 के दौरान राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय के संबंध में अबियाना शुल्क की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वसूल व संग्रहित अबियाना शुल्क की स्थिति				मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय	मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के लिए संग्रहित अबियाना शुल्क का प्रतिशत
	प्रारंभिक शेष	वसूल किए गए अबियाना शुल्क	संग्रहित अबियाना शुल्क	अदत्त अबियाना शुल्क		
2019-20	1.64	0.12	0.08	1.68	23.05	0.34
2020-21	1.68	0.06	0.06	1.68	22.56	0.26
2021-22	1.68	0.07	0.07	1.68	29.56	0.24
2022-23	1.68	0.12	0.07	1.73	15.20	0.46
<b>कुल</b>		<b>0.37</b>	<b>0.28</b>		<b>90.37</b>	<b>0.31</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

मार्च 2023 तक लाभार्थियों के पास अदत्त अबियाना शुल्क ₹ 1.73 करोड़ था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वसूल व संग्रहित अबियाना शुल्क के बीच अंतर था जो 2019-23 के दौरान वर्ष के अंत में अदत्त शेष में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राज्य द्वारा संग्रहित अबियाना शुल्क बहुत कम (0.31 प्रतिशत) है तथा यह लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय के अनुरूप नहीं है।

अंतिम बैठक (मई 2025) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अदत्त अबियाना शुल्क वसूलने के लिए सभी मंडलों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

### नमूना-जांचित मंडलों में अबियाना शुल्कों की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नमूना-जांचित मंडलों में सृजित कुल सिंचाई क्षमता 10,938.27 हेक्टेयर (27,017.52 एकड़) थी। हालांकि लेखापरीक्षा के परिकलन के अनुसार नमूना-जांचित मंडलों में 2019-23 के दौरान संग्रहित किए जाने वाले 14.53 लाख<sup>24</sup> के अबियाना शुल्क के सापेक्ष केवल ₹ 6.39 लाख ही संग्रहित किए गए।
- संबंधित मंडलों में तैनात पटवारी द्वारा कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में फसलों का आंकलन करने के बाद अबियाना शुल्क संग्रहित किया गया है। हालांकि अधिकांश मंडलों ने स्टाफ (पटवारियों) की कमी/तैनाती नहीं होने के कारण 2019-23 की अवधि के दौरान न तो शुल्क वसूल और न ही संग्रहित किया या बहुत कम शुल्क संग्रहित किया।
- वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित मंडलों में योजनाओं की मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के सापेक्ष वसूल व संग्रहित किए गए अबियाना शुल्क की स्थिति तालिका 4.9 में दी गई है।

तालिका 4.9: वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित मंडलों में अबियाना शुल्क के संग्रहण का विवरण

(₹ लाख में)

मंडल	वसूल व संग्रहित अबियाना शुल्क				मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय	मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के लिए संग्रहित अबियाना शुल्क का प्रतिशत
	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष 2019	2019-23 के दौरान वसूल किए गए अबियाना शुल्क	2019-23 के दौरान संग्रहित अबियाना शुल्क	31-03-2023 तक अदत्त अबियाना शुल्क		
रोहड़ू	0.43	0.57	0.87	0.13	112.65	0.77
जुब्बल	0.07	0	0	0.07	124.19	0
नाहन	2.72	0	0	2.72	120.98	0
नोहराधार	0	0	0	0	135.37	0
करसोग	0.06	0.36	0.03	0.40	151.73	0.24

<sup>24</sup> परिकलित अबियाना शुल्क = कुल सृजित कृषि योग्य कमांड क्षेत्र \*2 (रबी व खरीफ) x ₹26.90 (न्यूनतम दर, अबियाना शुल्क के लिए प्रवाह सिंचाई योजना दर को ध्यान में रखते हुए)

मंडल	वसूल व संग्रहित अबियाना शुल्क				मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय	मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के लिए संग्रहित अबियाना शुल्क का प्रतिशत
	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष 2019	2019-23 के दौरान वसूल किए गए अबियाना शुल्क	2019-23 के दौरान संग्रहित अबियाना शुल्क	31-03-2023 तक अदत्त अबियाना शुल्क		
सुंदरनगर	1.73	0	0	1.73	285.96	0
कुल्लू-I	1.25	2.61*	3.05	0.81	154.62	1.69
कुल्लू-II लारजी	4.96	2.40*	2.44	4.92	147.79	1.62
<b>कुल</b>		<b>5.94</b>	<b>6.39</b>	<b>10.78</b>	<b>1,233.29</b>	<b>0.52</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।

\* शमशी उप-मंडल को लारजी से कुल्लू में विलय के कारण अदत्त अबियाना शुल्क को कुल्लू मंडल में स्थानांतरित किया गया।

नमूना-जांचित मंडलों में वर्ष 2019-23 के दौरान प्राप्त कुल अबियाना शुल्क मात्र ₹ 6.39 लाख था, जबकि इसी अवधि के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं पर मरम्मत व अनुरक्षण व्यय ₹ 12.33 करोड़ था।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त-नवंबर 2023) कि स्टाफ (पटवारियों) की कमी/तैनाती न होने के कारण अबियाना वसूल नहीं किया गया।

उत्तर इस मुद्दे को हल नहीं करता कि विभाग द्वारा लगाए/वसूल किए गए शुल्क सिंचाई योजनाओं की मरम्मत व अनुरक्षण पर किए गए व्यय से काफी कम थे।

#### 4.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से उजागर हुआ कि कई योजनाएं पर्याप्त तैयारी कार्य के बिना ही प्रारंभ कर दी गईं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक व जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किए गए। ऐसे आधारभूत अध्ययनों के अभाव से परियोजना कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रह गये, बाढ़ से संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं तथा अनुपयुक्त स्थानों पर निर्माण कार्य हुआ।

वर्ष 2019-23 के दौरान जांच की गई 163 योजनाओं में से आधी से भी कम पूर्ण हुईं। पूर्ण हुई योजनाओं में 45 माह तक का विलंब हुआ तथा 18 पर ₹8.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आया। शेष 86 योजनाओं का अभी तक पूर्ण रूप से निष्पादन नहीं हुआ है। कई मामलों में अनुबंध प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि के पांच वर्ष से भी अधिक विलंब के बाद आवंटित किए गए। अधिक विलंब के बावजूद 18 मामलों में संविदागत शास्ति नहीं लगाए गए (₹ 3.17 करोड़)

तथा लगाए गए शास्ति में से ₹ 1.24 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई जो कमजोर संविदा प्रबंधन व प्रवर्तन को इंगित करता है।

यहां तक कि जहां निष्पादन में प्रगति हुई, वहां भी गुणवत्ता व कार्यक्षमता से संबंधित मुद्दे देखे गए। संयुक्त निरीक्षणों ने इंगित किया कि बिजली आपूर्ति की कमी, उपकरणों की कमी या प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के कारण कई योजनाएं अकार्यात्मक रहीं, जिससे संबंधित निवेश काफ़ी हद तक अनुत्पादक साबित हुए। लाभार्थियों के फीडबैक से उजागर हुआ कि केवल 45 प्रतिशत किसानों ने ही जल उपलब्धता पर संतुष्टि व्यक्त की और फसल सघनता या कृषि आय में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखे गए। स्थानीय जल-उपयोगकर्ता संघ जिन्हें जल वितरण के लिए प्रमुख संस्था माना गया था, व्यापक रूप से निष्क्रिय थे।

निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र अपर्याप्त थे। अंतर-विभागीय कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गईं तथा प्रमुख अभियंता ने योजना-वार प्रगति के समेकित अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया, जिससे नीति निर्माताओं की कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा समय पर मुद्दों का समाधान करने की क्षमता सीमित हो गई।

निधि आवंटन व अभिसरण के प्रयास अप्रभावी रहे। आवंटन कुछ ही जिलों में केन्द्रित रहा, जो योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित समता सिद्धांतों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को निधियां जारी न किए जाने के कारण हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास (हिमकैड) घटक का संचालन नहीं हो सका।

राज्य द्वारा एकत्रित अबियाना शुल्क एक प्रतिशत से भी कम है तथा यह लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय के अनुरूप नहीं है।

#### 4.9 अनुशासन

राज्य सरकार यह कर सकती है:

- (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा स्वीकृत करने से पूर्व भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक व जल विज्ञान संबंधी जांच सहित व्यापक पूर्व-परियोजना सर्वेक्षण के संचालन को अनिवार्य करे तथा तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण व अव्यवहार्य परियोजनाओं से बचने के लिए प्रमुख अभियंता द्वारा ऐसे तकनीकी मापदंडों का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करवाएं।
- (ii) माइलस्टोन से जुड़े भुगतानों के माध्यम से अनुबंध अनुशासन को कड़ा करके योजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे।



- (iii) लगाए गई परन्तु वसूल न की गई क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए तंत्र बनाना तथा भुगतान किस्तों को प्रबंधन सूचना प्रणाली-सत्यापित लक्ष्यों के साथ जोड़कर समय पर प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन के माध्यम से लागत में वृद्धि को रोकना ताकि जब किसी परियोजना की समाप्ति तिथि का उल्लंघन हो तो परिसमाप्त क्षतिपूर्ति को चालू बिल से सीधे काट लिया जाए।
- (iv) गुणवत्ता आश्वासन उपाय करे तथा परियोजनाओं को पूर्ण घोषित करने से पूर्व लंबित बिजली कनेक्शन, पंपों की स्थापना तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त घटकों की मरम्मत जैसे मुद्दों का समाधान करके योजनाओं का कार्यात्मक समापन सुनिश्चित करे।
- (v) जल-उपयोगकर्ता संघों को प्राथमिक अनुरक्षण शाखा में परिवर्तित करना व अंतिम भुगतान से पूर्व वाराबंदी अनुसूचियों के साथ योजनाओं को पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों/किसान विकास संघ को सौंपना अनिवार्य करे।
- (vi) पाक्षिक वित्तीय व भौतिक प्रगति को अधिकृत करके निगरानी व निरीक्षण तंत्र को मजबूत करे। इसे अंतर विभागीय कार्य समूह के द्वारा आवधिक समीक्षा आयोजित करके तथा सूचित निर्णय लेने व समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख अभियंता के स्तर पर समेकित योजना-स्तरीय अभिलेखों को अनुरक्षित करके समर्थित किया जाना चाहिए।
- (vii) हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास के तहत सूक्ष्म सिंचाई कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कृषि व ग्रामीण विकास विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए जिले-वार निधि आवंटन मानदंडों की समीक्षा करे।



## **अध्याय-V**

**राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय  
आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग**



## अध्याय V: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग

### राजस्व विभाग

#### 5.1 परिचय

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अधिसूचित आपदाओं के प्रति राज्य सरकार की प्रतिक्रिया हेतु उपलब्ध प्राथमिक कोष है, जो जनवरी 2011 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(ए) के तहत गठित किया गया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने वाले व्यय की पूर्ति हेतु किया जाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष भारत सरकार द्वारा सितंबर 2010 में अधिनियम की धारा 46 के तहत गठित एक कोष है, जो गंभीर प्रकृति की आपदाओं की दशा में तत्काल राहत की सुविधा प्रदान के लिए राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अतिरिक्त पूरक निधियों की पूर्ति करता है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील है, जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, जंगल की आग, सड़क दुर्घटनाएं, भगदड़, भवनों की संवेदनशीलता और सूखा, इत्यादि।

#### 5.2 संगठनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करने, विभागों द्वारा तैयार राज्य योजना व आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करने, राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करने, शमन और तैयारी के उपायों आदि हेतु कोष के प्रावधानों की संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य कार्यकारी समिति का गठन हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं तथा इसमें चार अन्य सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु होते हैं। राज्य कार्यकारी समिति राज्य योजना तैयार करती है, राज्य योजना, राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करती है और राज्य में आपदाओं के प्रबंधन के लिए समन्वय व निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है, विभागों व जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है साथ ही उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती है, संकट की स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया का समन्वय करती है, आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देती है।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के अंतर्गत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ भी कार्य करता है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत ज़िलों, विभागों व अन्य कार्यकारी एजेंसियों को निधियों के संवितरण में सहायता करता है। यह राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत प्राप्तियों व संवितरणों के लेखाओं का अनुरक्षण भी करता है।

उपायुक्त जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्य लाइन विभागों के समन्वय में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

### 5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मर्दों एवं मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय किया गया था तथा मानदंडों के अनुसार क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे पर त्वरित प्रतिक्रिया, राहत और शीघ्र जीर्णोद्धार हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत समय पर सहायता प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि को सम्मिलित किया गया और इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, शिमला के कार्यालय एवं राज्य के 12 जिलों में से तीन जिलों - बिलासपुर, कांगड़ा व कुल्लू के उपायुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

इसके अतिरिक्त, चयनित तीन जिलों में से प्रत्येक के दो खंडों<sup>1</sup> के खंड विकास अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधीन उप-मंडलाधिकारियों (सिविल)<sup>2</sup>, चयनित खंडों के अंतर्गत आने वाले हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंडल<sup>3</sup> व हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के मंडल<sup>4</sup>, और प्रत्येक चयनित खंड से तीन ग्राम पंचायतों<sup>5</sup> की भी नमूना-जांच की गई। जिलों एवं खण्डों का चयन आईडीईए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर

<sup>1</sup> बिलासपुर: घुमारवीं व झंडूता; कांगड़ा: कांगड़ा व देहरा; तथा कुल्लू: निरमंड व बंजार।

<sup>2</sup> बिलासपुर: घुमारवीं व झंडूता; कांगड़ा: कांगड़ा व देहरा; एवं कुल्लू: निरमंड/आनी (उप-मंडलाधिकारी, सिविल आनी के अभिलेखों की भी जांच की गई क्योंकि उप-मंडलाधिकारी, सिविल निरमंड का कार्यालय सितंबर 2021 के दौरान बनाया गया था) तथा बंजार।

<sup>3</sup> बिलासपुर: घुमारवीं व झंडूता; कांगड़ा: कांगड़ा व देहरा; तथा कुल्लू: निरमंड व बंजार।

<sup>4</sup> बिलासपुर: घुमारवीं व झंडूता; कांगड़ा: शाहपुर व देहरा; तथा कुल्लू: आनी व लारजी।

<sup>5</sup> घुमारवीं: औहर, पनोह व गाहर; झंडूता: दामली, समोह व विजयपुर; कांगड़ा: हलेर कलां, झिकली इच्छी व तियारा; देहरा: कल्लर, मोहाल व रजोल; निरमंड: शिली, नोर व चायल; बंजार: शैनशेर, सुचैहान व शांघड़ा।

किया गया था तथा ग्राम पंचायतों का चयन संबंधित उपायुक्त द्वारा स्वीकृत कार्यों/निधियों की उच्चतम संख्या के आधार पर किया गया था।

25 अगस्त 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व) के साथ प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 02 मई 2025 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के साथ अंतिम बैठक का आयोजन किया गया।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 5.4 निधियों का आवंटन, उन्हें जारी करना एवं उनका उपयोग

हिमाचल प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना जनवरी 2011 में की गई थी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात 90:10 है। भारत सरकार द्वारा निरूपित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा के बाद राहत सहायता के वित्तपोषण हेतु वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वार्षिक केंद्रांश दो समान किस्तों में जारी किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को भारत सरकार के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8235 - 'सामान्य व अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिन राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में पर्याप्त राशि नहीं होती, उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राहत सहायता गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों एवं सहायता की अनुमोदित मदों व मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है तथा यह सहायता राज्य के अनुरोध पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के आकलन तथा उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन पर आधारित होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से निधियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार इसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में केंद्रांश/राज्यांश की प्राप्तियों में प्राप्ति के रूप में मानते हुए यथोचित बजटीय प्रावधान करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में केंद्रांश व राज्यांश, निवेश पर प्रतिफल एवं निवेश के प्रतिदान के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त सहायता की प्राप्तियां राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष लेखा में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) की पूर्व स्वीकृति लेने के पश्चात् सभी उपायुक्तों एवं विभिन्न विभागों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की निधियां जारी करता है।

वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सहायता, वित्त आयोग की अनुशंसाओं के सापेक्ष प्राप्त सहायता (केंद्रीय व राज्य) तथा राज्य

में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत उनका आगे संवितरण, तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1: 2019-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत प्राप्तियाँ व संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग की राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अनुशंसाएं			अथ शेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ			राहत कार्यों के लिए जारी निधियाँ (कोषागार द्वारा)			कोषागार में अनाहरित शेष	
	केंद्रांश	राज्यांश	कुल	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (राज्यांश सहित)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	कुल (4+5+6+7)	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	कुल (9+10)	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (4+6-9)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (5+6-10)
2019-20 <sup>6</sup>	258.3	28.7	287	1	0.92	225.93	518.06	745.91	225.93	518.06	743.99	1	0.92
2020-21	409	45	454	1	0.92	454	0	455.92	447.12	0	447.12	7.88	0.92
2021-22	327.20	35.80	363	7.88	0.92	363	0	370.88	321.09	0.6	321.69	49.79	0.32
2022-23	342.40	38.40	380.80	49.79	0.32	380.8	214.26	645.17	375.04	198.62	573.66	55.55	15.96
	योग					1423.73	732.32		1369.18	717.28	2086.46		

स्रोत: आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

#### 5.4.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्रीय सहायता की हानि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत अनुशंसित ₹ 258.30 करोड़ के केंद्रांश के सापेक्ष ₹ 197.23 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का दुरुपयोग किए जाने के कारण केंद्र सरकार ने ₹ 61.07 करोड़ की राशि रोक ली। हालांकि राज्य सरकार ने अनुशंसित ₹ 287 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 258.30 करोड़ + राज्यांश: ₹ 28.70 करोड़) में से ₹ 28.70 करोड़ का उसका पूर्ण अंश जारी कर दिया।

केंद्र सरकार द्वारा सहायता रोके जाने को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का दुरुपयोग करने का मुद्दा मार्च 2016 से मार्च 2019 तक समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के

<sup>6</sup> राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹518.06 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹225.93 करोड़ (₹28.7 करोड़ राज्यांश सहित) की राहत सहायता, अथ शेष राशि सहित, अपेक्षित बिल/वाउचर व अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने के कारण, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा व्यय के रूप में दर्ज नहीं की गई और वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों में वस्तु उचंत (कुल ₹743.99 करोड़) के अंतर्गत रखी गई। इसे अंततः वर्ष 2021-22 के लेखाओं में समायोजित कर दिया गया।



विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों<sup>7</sup> में लगातार रेखांकित किया गया था। हालांकि वर्ष 2019-23 के दौरान भी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की निधियों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बनी रही, जैसाकि परिच्छेद 5.4.6 व 5.4.7 में उल्लेख किया गया है, जो इस तथ्य का परिचायक है कि राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की निधियों के दुरुपयोग के कारण ₹ 61.07 करोड़ की केंद्रीय सहायता की हानि के बाद भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए।

राज्य सरकार ने उसके प्रत्युत्तर (मई 2025) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ) ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से रोकी गई निधियां जारी करने का बार-बार अनुरोध किया था। प्रतिक्रिया स्वरूप गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने परामर्श दिया कि मामले को सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/परिच्छेदों का निपटान हो जाने के बाद ही आगे बढ़ाया जाए, तथा उन्हें सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों के समायोजन के बाद ही मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की निधियों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा निधियां रोक ली गई थी, वर्तमान लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात् वर्ष 2019-23 के दौरान भी बनी रही।

#### 5.4.2 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्रीय सहायता की हानि

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन एवं प्रशासन से संबंधित दिशा-निर्देशों (जुलाई 2015) के परिच्छेद 7.1 (v) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाने वाली सहायता राशि, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में उपलब्ध शेष राशि के 50 प्रतिशत तक ही समायोजित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-22 के दौरान भारत सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत ₹ 254.73 करोड़<sup>8</sup> की सहायता स्वीकृत की थी। परन्तु राज्य के वित्त लेखाओं के अनुसार 01 अप्रैल 2020 व 2021 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में क्रमशः ₹ 745.91 करोड़ व ₹ 752.79 करोड़ की अथ शेष राशि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत निधियां राज्य को जारी नहीं की गईं। उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से स्वीकृत राशि से अधिक होने के दृष्टिगत वर्ष

<sup>7</sup> मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 2.4.7.3 (₹ 18.96 करोड़), मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 3.22 (₹ 26.12 करोड़), मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 3.17 (₹ 2.19 करोड़) और मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 3.12 (₹ 14.63 करोड़)।

<sup>8</sup> मार्च 2021: ₹ 121.17 करोड़ व मार्च 2022: ₹ 133.56 करोड़।

2020-21 व 2021-22 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से निवल रूप में कोई राशि निर्गत नहीं की गई। लेखाओं में दर्शाया गया ये बड़ा अथ शेष उचंत खाते शीर्ष के तहत बकाया शेष का निपटान न किए जाने का परिणाम था, जो कि राज्य के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश को अपेक्षित बिल/वाउचर समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहने के चलते हुई। अथ शेष अंततः वर्ष 2021-22 के दौरान समायोजित किया गया। तत्पश्चात गृह मंत्रालय ने अगस्त 2023 में ₹ 189.27 करोड़ की निधियां जारी की। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की राहत सहायता एक से दो वर्षों के विलम्ब से प्राप्त हुई।

उपरोक्त के अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लेखे में गलत अनुमानित शेष राशियों पर विचार किया तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹ 61.02 करोड़ की अधिक कटौती करते हुए केवल ₹ 189.27 करोड़ की सहायता जारी की (अगस्त 2023), जैसाकि तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्रीय सहायता की हानि के विवरण

(₹ करोड़ में)

स्वीकृति वर्ष	गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सहायता	गृह मंत्रालय द्वारा माना गया राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का 50 प्रतिशत अनुमानित शेष	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी निवल सहायता	प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश की विवरणी के अनुसार 50 प्रतिशत अनुमानित शेष (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का शेष)	प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अनुमानित शेष के अनुसार अनुमत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया सहायता	गृह मंत्रालय द्वारा की गई अधिक कटौती
2020-21	121.17	0.96	120.21	0.50 (1.00)	120.67	0.46
2021-22	112.19	64.50	58.01	3.94 (7.88)	108.88	50.87
	21.37		11.05		20.74	9.69
योग	254.73	65.46	189.27	4.44	250.29	61.02

तालिका 5.2 से स्पष्ट है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश की विवरणी के अनुसार 1 अप्रैल 2020 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अनुमानित शेष ₹ 1.00 करोड़ था एवं 1 अप्रैल 2021 तक ₹ 7.88 करोड़ था। परन्तु गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 व 1 अप्रैल 2021 तक क्रमशः ₹ 1.92 करोड़ व ₹ 129.00 करोड़ के अनुमानित शेष पर विचार किया तथा तदनुसार इन अनुमानित शेष का 50 प्रतिशत घटाने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹ 250.29 करोड़ की अनुमत सहायता के सापेक्ष ₹ 189.27 करोड़ की सहायता जारी की, जो ₹ 61.02 करोड़ राशि कम जारी होने के रूप में परिणत हुई। राज्य प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुमानित शेष को ध्यान में रखते हुए राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹ 61.02 करोड़ की शेष सहायता जारी

करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मामला उठाना आवश्यक था। हालांकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की शेष निधियां जारी करने के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई पत्राचार नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024 व मई 2025) कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश ने बिल/वाउचर जमा न करने के कारण अथ शेष राशि समायोजित नहीं की इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सहायता जारी नहीं की। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से कम सहायता राशि जारी करने का मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया तथा मंत्रालय ने ₹ 60.10 करोड़ (अगस्त 2024) जारी कर दिए हैं। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि विभाग सम्बंधित वर्षों के दौरान आवंटित निधियां प्राप्त करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश से बकाया अथ शेष राशि समय पर समायोजित नहीं करा सका।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया गया तथा राज्य ने मंत्रालय से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत शेष राशि का आवंटन प्राप्त कर लिया है।

#### 5.4.3 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के शेष का निवेश न करना

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशानिर्देशों (अप्रैल 2015) के परिच्छेद 20 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को एक या एक से अधिक वित्तीय साधनों जैसे कि केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए कोषागार बिलों एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सब्याज निक्षेपों व निक्षेप प्रमाणपत्रों में निवेश करने की परिकल्पना की गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष संशोधित दिशानिर्देश (जनवरी 2022) के परिच्छेद 29.2 में यह भी निर्धारित है कि राज्य सरकार निवेश न करने के कारण हुई हानि के बराबर राशि को उसके स्वयं के स्रोतों से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार से आहरित कुल ₹ 2,086.46 करोड़ (तालिका 5.1) में से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत सहायता के लघु शीर्षों से सम्बंधित ₹ 122.27 करोड़ की राशि आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा बचत बैंक खाते में रखी गई, जो दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जैसाकि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: वर्ष 2019-23 के दौरान आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा बैंक खाते में रखी गई राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बैंक में अथ शेष	कोषागार से आहरित एवं बैंक में जमा की गई राशि	बैंक द्वारा जमा किया गया व निष्पादन एजेंसियों द्वारा वापस किया गया ब्याज	बैंक में उपलब्ध कुल निधियां	किया गया व्यय/बैंक से जारी निधियां	अंत शेष
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	16.09	2.57	8.26	26.92	18.29	8.64
2020-21	8.64	45.4	5.68	59.72	12.06	47.66
2021-22	47.66	22.72	8.08	78.46	69.33	9.13
2022-23	9.13	51.58	16.33	77.04	41.56	35.48
<b>योग</b>		<b>122.27</b>	<b>38.35</b>		<b>141.24</b>	

स्रोत: आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

बैंक में जमा की गई राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की कुल ₹ 176.71 करोड़ राशि (वर्ष 2019-20 का अथ शेष एवं कुल ब्याज सहित) में से ₹ 141.24 करोड़ की राशि वर्ष 2019-23 के दौरान क्षमता निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं से राहत एवं क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के जीर्णोद्धार हेतु उपायुक्तों/अन्य विभागों को जारी की गई। हालांकि जारी सम्पूर्ण निधियां उन्हीं विशेष वर्षों के दौरान पूर्णतः खर्च नहीं की गई तथा वर्ष 2019-23 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में नमूना-जांचित जिलों/ब्लॉकों के पास निधियां अव्ययित रही, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेद 5.4.4 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अप्रयुक्त शेष राशि जो 1 अप्रैल 2019 को ₹ 17.09 करोड़ (कोषागार से अनाहरित निधि ₹ एक करोड़ + बैंक में निधि ₹ 16.09 करोड़) से लेकर 1 अप्रैल 2022 को ₹ 58.92 करोड़<sup>9</sup> (कोषागार से अनाहरित निधि ₹ 49.79 करोड़ + बैंक में निधि ₹ 9.13 करोड़) तक थीं (तालिका 5.1 व तालिका 5.3), राज्य द्वारा किसी भी अनुमत वित्तीय साधन में निवेशित नहीं की गई, जो ब्याज की हानि में परिणत हुई।

इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का निवेश न करने पर राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में कोई भी ब्याज राशि पुनः जमा नहीं की।

<sup>9</sup> 01 अप्रैल 2019 को अथ शेष: ₹ 17.09 करोड़, 01 अप्रैल 2020 को: ₹ 9.64 करोड़, 01 अप्रैल 2021 को: ₹ 55.54 करोड़, व 01 अप्रैल 2022 को: ₹ 58.92 करोड़।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2023 व मई 2025) कि निधियों के निवेश का मामला प्रक्रियाधीन है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की शेष राशि का निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए था।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि निधियों के निवेश के लिए खाता खोलने का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष उठाया गया है।

#### 5.4.4 नमूना-जांचित जिलों एवं खंडों में निधि की प्रास्थिति

वर्ष 2019-23 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत आवंटित एवं नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा आहरित तथा संबंधित खंडों/मंडलों/उप-मंडलों को आगे जारी की गई निधियों का विवरण तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में निधियों की उपलब्धता एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता			राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को प्रतिदाय किया ब्याज	व्यय (जारी निधियां)	अंत शेष (5-6-7)	
	अथ शेष	प्राप्त/आवंटित निधियां	विविध प्राप्तियां				कुल (2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-20	10.16	76.26	2.22	88.64	0.32	60.91 (69)	27.41
2020-21	27.41	58.26	1.26	86.93	0.55	68.10 (78)	18.28
2021-22	18.28	72.72	0.35	91.35	2.02	84.00 (92)	5.33
2022-23	5.33	82.13	1.16	88.62	0.11	71.07 (80)	17.44
<b>योग</b>		<b>289.37</b>	<b>4.99</b>			<b>284.08</b>	

स्रोत: नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उपलब्ध निधियों के सापेक्ष किए गए व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में उपलब्ध निधियों का उपयोग 69 से 92 प्रतिशत के मध्य रहा।

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित खंडों में निधियों की उपलब्धता तालिका 5.5 में विवर्णित है।

तालिका 5.5: 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित खंडों (खंड विकास कार्यालयों) में निधियों की उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता				उपायुक्तों को प्रतिदाय किया ब्याज	व्यय	अंत शेष (5-6-7)
	अथ शेष	प्राप्तियां	विविध प्राप्तियां	कुल (2+3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-20	4.86	5.96	0.18	11	0.02	3.7 (34)	7.28
2020-21	7.29	3.44	0.24	10.97	0.02	4.34 (40)	6.61
2021-22	6.62	5.68	0.25	12.55	0	4.88 (39)	7.67
2022-23	7.68	6.15	0.17	14	0.14	6.02 (43)	7.84
<b>योग</b>		<b>21.23</b>	<b>0.84</b>			<b>18.94</b>	

स्रोत: नमूना-जांचित खंडों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उपलब्ध निधियों के सापेक्ष किए गए व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

खंड विकास कार्यालयों द्वारा निधियां आगे ग्राम पंचायतों को जारी की गई। वर्ष 2019-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष नमूना-जांचित खंडों में निधियों का उपयोग 34 से 43 प्रतिशत के मध्य रहा।

राज्य सरकार ने (मई 2025 में) बताया कि क्षमता निर्माण शीर्ष के अंतर्गत उपयोग की गई निधियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गंभीरता, जन-जागरूकता गतिविधियों, जिला आपात संचालन केंद्र की स्थापना, कार्य योजनाओं आदि के आधार पर की गई थीं तथा इन्हीं के अनुरूप व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त जिला निधियां संबंधित खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों द्वारा खंड विकास कार्यालयों के माध्यम से की गई/अग्रेषित मांग के आधार पर जारी की जाती हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिया जा रहा है कि वे स्वीकृत निधियों का तत्काल उपयोग करें तथा पूर्ण हो चुके कार्यों के उपयोगिता-प्रमाणपत्र एसएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अतिरिक्त जिन कार्यों को अपरिहार्य कारणों से प्रारंभ नहीं किया जा सका, उनकी निधियों को भी संबंधित खंड विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिदाय किया जा रहा है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संबंधित उपायुक्तों एवं खंड विकास अधिकारियों के बैंक खातों में रखी अव्ययित शेष राशियां योजना एवं निगरानी की कमी को परिलक्षित करती हैं।

#### 5.4.5 आकस्मिक प्रभारों की अनियमित कटौती

नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष कार्यों के लिए जारी स्वीकृति आदेशों के बिंदु 5 के अनुसार, प्रस्तावित कार्यों के अनुमानों में विभागीय शुल्क शामिल नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित चार (छः में से) खंडों में, खंड विकास अधिकारियों ने स्वीकृति आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 5.12 लाख<sup>10</sup> (स्वीकृत राशि का अधिकतम दो प्रतिशत) के आकस्मिक प्रभार की कटौती की थी।

संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने बताया (सितंबर 2023 से जनवरी 2024) कि आकस्मिक प्रभार कार्यालय व्ययों एवं आकस्मिक खर्चों की पूर्ति हेतु काटे गए थे तथा भविष्य में इसकी कटौती नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि संबंधित प्राधिकारियों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष स्वीकृतियों से आकस्मिक व्यय की कटौती नहीं करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 5.4.6 अनुमोदित मदों एवं शर्तों से अधिक निधियों की स्वीकृति

भारत सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता के लिए अनुमोदित मदों एवं मानदंडों की सूची (अप्रैल 2015 व अक्टूबर 2022) अनुमोदित की, जिसमें सड़क एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसंपत्तियां आदि जैसे क्षेत्रों के लिए सहायता मदों का प्रावधान हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की गई कोई भी राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से नहीं अपितु राज्य सरकार के संसाधनों से वहन की जाएगी।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार एवं पेयजल आपूर्ति व लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य मदों में वर्षा जनित क्षति के जीर्णोद्धार हेतु अनुमोदित मानदंडों से अधिक निधियों की स्वीकृति के निम्नलिखित दृष्टांत देखे गए:

##### (i) सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष मानदंडों के अनुसार अनुमत ₹ 2.75 करोड़ के प्रति क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के 340 कार्यों के निष्पादनार्थ लोक निर्माण विभाग मंडलों को ₹ 8.07 करोड़ स्वीकृत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.32 करोड़ की राशि अधिक स्वीकृत/जारी हुई।

<sup>10</sup> घुमारवीं: ₹ 2.27 लाख, झंडूता: ₹ 0.53 लाख, कांगड़ा: ₹ 0.32 लाख व देहरा: ₹ 2.01 लाख।

45 कार्यों के मामले में अनुमानों में सड़क की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया। तथापि इन कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.12 करोड़ स्वीकृत किए गए, जो अनुमानों की उचित जांच के अभाव को परिलक्षित करता है।

- लोक निर्माण विभाग के नमूना-जांचित मंडलों को प्रमुख अभियंता से सीधे प्राप्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों में से अधिशाषी अभियंताओं ने वर्ष 2019-23 के दौरान सड़कों की जीर्णोद्धार से संबंधित 232 कार्यों पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के स्वीकार्य मर्दों एवं मानदंडों के अनुसार अनुमत ₹ 1.62 करोड़ की राशि के प्रति ₹ 7.96 करोड़ का व्यय किया, जो इन कार्यों पर ₹ 6.34 करोड़ के व्यय आधिक्य के रूप में परिणत हुआ। यह आधिक्य राशि ऐसे अन्य क्षतिग्रस्त कार्यों में आवंटित की जा सकती थी, जहां तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2023-जनवरी 2024) कि स्वीकार्य मर्दों व मानदंडों में निर्दिष्ट राशि पहाड़ी क्षेत्रों में जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा निधियां कार्यों के अनुमान के अनुसार स्वीकृत की गई थी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की गंभीरता को देखते हुए आम जनजीवन को तत्काल पुनर्स्थापित करने हेतु जिला प्रशासन के लिए यह एक अकाट्य परिस्थिति बन गई थी कि वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत निर्धारित सीमा/मानदंडों से अधिक निधियां स्वीकृत करे। इसके अतिरिक्त निधियों का आवंटन व उपयोग जमीनी स्तर पर उसकी तात्कालिकता, क्षति की सीमा एवं तत्काल आवश्यकताओं के समुचित मूल्यांकन एवं सावधानीपूर्वक विचार के पश्चात् किया गया। उस अवस्था में वित्तीय सहायता में किसी भी प्रकार के विलम्ब या रोक से क्षति और बढ़ जाती, भविष्य में जीर्णोद्धार की लागत में वृद्धि होती तथा सामान्य जन-जीवन और उससे संबंधित गतिविधियां लम्बे समय तक बाधित रहतीं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि मानदंडों से अधिक स्वीकृत राशि राज्य सरकार के संसाधनों से खर्च की जानी चाहिए थी।

#### (ii) पेयजल आपूर्ति एवं लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार:

क्षतिग्रस्त जलापूर्ति/लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत हेतु सहायता के स्वीकृत मानदंड प्रति योजना ₹ 1.50 लाख की दर से सहायता का प्रावधान था (वर्ष 2021-22 तक), जिसे वर्ष 2022-23 से संशोधित कर ₹ 2.00 लाख कर दिया गया।



- वर्ष 2022-23 के दौरान नमूना-जांचित दो जिलों के उपायुक्तों ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष मानदंडानुसार अनुमत ₹ 10.00 लाख के प्रति पेयजल आपूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के पांच कार्यों के निष्पादनार्थ ₹ 29.50 लाख स्वीकृत किए, जो ₹ 19.50 लाख के अधिक स्वीकृत/जारी करने के रूप में परिणत हुआ।

संबंधित उपायुक्तों ने बताया (सितंबर 2023 व जनवरी 2024) कि सामान्य जीवन की बहाली के लिए जीर्णोद्धार कार्यों की आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए निधियां स्वीकृत की गईं तथा स्वीकृत मदों एवं मानदंडों में निर्दिष्ट राशि पहाड़ी क्षेत्रों में जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

- नमूना-जांचित जल शक्ति विभाग मंडलों में अधिशाषी अभियंताओं ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के स्वीकृत मदों व मानदंडों के अनुसार अनुमत ₹ 0.61 करोड़ राशि के सापेक्ष राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत ₹ 1.16 करोड़ में 36 कार्य निष्पादित किए, जो ₹ 0.55 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ। उपरोक्त कार्यों पर खर्च की गई आधिक्य राशि प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अन्य जीर्णोद्धार कार्यों के लिए आवंटित की जा सकती थी। जल शक्ति विभाग मंडल के संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2023-जनवरी 2024) कि स्वीकृत मदों व मानदंडों में निर्दिष्ट राशि पहाड़ी राज्य में जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलों, पेयजल एवं आपूर्ति, सिंचाई, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसंपत्तियों आदि के जीर्णोद्धार, मरम्मत व रखरखाव हेतु निधियां स्वीकृत की गईं क्योंकि राज्य सरकार ने इन कार्यों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए संबंधित विभागों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं कराई थी तथा क्षतिग्रस्त कार्यों को पूरा करने के लिए निधियां आधिक्य में स्वीकृत की गईं। इन निधियों को संबंधित विभागों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत एवं जारी किया गया था।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा पेयजल आपूर्ति व लघु सिंचाई योजनाओं के मानदंडों को संशोधित करने का मामला गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंडानुसार निधियां स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

(iii) विविध सहायता/भुगतान:

भारत सरकार के मानदंडों (अप्रैल 2015) में प्रावधान है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष सहायता प्रति घर (पूर्णतः क्षतिग्रस्त) ₹ 1,01,900/- की दर से, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹ 5,200/- की दर से एवं क्षतिग्रस्त पशुशाला के लिए ₹ 2,100/- प्रति शालिका की दर से प्रदान की जाती है। इस सहायता को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित कर (अक्टूबर 2022) पूर्णतः क्षतिग्रस्त घर के लिए ₹ 1,30,000/-, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त के लिए ₹ 6,500/- तथा प्रति पशुशाला ₹ 3,000/- कर दिया गया। अप्रैल 2015 के मानदंडों के अनुसार कपड़ों की हानि के लिए प्रति परिवार ₹ 1,800/- एवं बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए प्रति परिवार ₹ 2,000/- की राहत भी स्वीकार्य है, जिसे अक्टूबर 2022 के मानदंडानुसार ₹ 2,500/- व ₹ 2,500/- तक संशोधित किया गया था। इन मानदंडों में छोटे दुधारू पशुओं<sup>11</sup> की हानि के लिए सहायता और निर्धारित दरों<sup>12</sup> पर अनुग्रह राहत के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इन मानदंडों में दुकानों के सामान हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता का प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित जिलों के उप-मंडलाधिकारियों (सिविल) ने 558 मामलों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के स्वीकृत मदों व मानदंडों से ₹ 39.20 लाख की आधिक्य राशि स्वीकृत की, जैसाकि तालिका 5.6 में विवर्णित है।

तालिका 5.6: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के स्वीकृत मदों व मानदंडों से अधिक स्वीकृत राशि का विवरण

(₹ लाख में)					
क्र.सं.	मद	मामलों की संख्या	स्वीकृत राशि	अनुमत राशि	स्वीकृत अधिक राशि
1	पूर्णतः/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर	209 <sup>13</sup>	37.75	21.81	15.94
2	क्षतिग्रस्त पशुशाला	227	16.42	4.89	11.53
3	क्षतिग्रस्त दुकानें व उनका सामान	59	10.04	0	10.04
4	छोटे दुधारू पशु	1	1.44	0.90	0.54
5	गंभीर चोट के लिए अनुग्रह भुगतान	62	7.60	6.45	1.15
<b>योग</b>		<b>558</b>	<b>73.25</b>	<b>34.05</b>	<b>39.20</b>

<sup>11</sup> ₹ 3,000/- प्रति पशु (भेड़/बकरी/सूअर) की दर से यह सहायता केवल वास्तविक आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की हानि तक सीमित होगी और प्रत्येक परिवार के लिए 30 छोटे दुधारू पशुओं की अधिकतम सीमा पर लागू होगी।

<sup>12</sup> एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता वाले गंभीर चोट वाले व्यक्ति के लिए ₹ 12,700/- की दर से तथा एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए ₹ 4,300/- की दर से।

<sup>13</sup> पूर्णतः क्षतिग्रस्त 12 घर और उनके सामान सहित।

संबंधित उप-मंडलाधिकारियों (सिविल) ने बताया (अगस्त 2023-जनवरी 2024) कि सहायता राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर स्वीकृत की गई थी क्योंकि कुछ मदों में राज्य द्वारा दरें बढ़ा दी गई थीं। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि यद्यपि राज्य सरकार ने कुछ मदों की दरें बढ़ा दी थीं तथापि भारत सरकार के मानदंडों से अधिक स्वीकृत आधिक्य राशि राज्य सरकार के संसाधनों से खर्च की जानी थी न कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कुछ मदें यथा दुकानों के सामानों की हानि, व्यावसायिक परिसरों की हानि/क्षति आदि जोड़ दी, जो कि भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मानदंडों के तहत स्वीकृत नहीं थीं, अतः इन अस्वीकार्य मदों पर व्यय राज्य के संसाधनों से किया जाना चाहिए था। परन्तु यह व्यय राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि भविष्य में स्वीकार्य सहायता हिमाचल प्रदेश राहत नियम-पुस्तिका 2012 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जारी की जाएगी।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहमति व्यक्त की कि क्षतिग्रस्त घरों/पशुशालाओं के लिए सहायता राज्य सरकार के मानदंडानुसार होनी चाहिए तथा कोई आधिक्य भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

#### 5.4.7 अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादनार्थ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का दुरुपयोग

भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के स्वीकृत मदों एवं मानदंडों (अप्रैल 2015 व अक्टूबर 2022) के अनुसार राज्य सरकार के भवन जैसे आवासीय क्वार्टर, शैक्षणिक संस्थानों के भवन (उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, आदि), दीर्घकालिक/स्थायी जीर्णोद्धार कार्य आदि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों का उपयोग क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की तत्काल मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए किया जाना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

##### (i) उपायुक्तों द्वारा अस्वीकार्य कार्यों की स्वीकृति

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने नियमित प्रकृति के कार्यों की साधारण मरम्मत के लिए 229 कार्यों के निष्पादनार्थ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹ 4.54 करोड़ स्वीकृत किए, जो मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थे। जहां अस्वीकार्य कार्यों

पर निधियों का दुरुपयोग किया गया, वहीं आपदा प्रभावित लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान नहीं की गई, जैसाकि **परिच्छेद 5.4.8** में दर्शाया गया है।

कुल्लू जिले में इस तरह के कार्यों के आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग मंडल, मनाली द्वारा प्रस्तुत 15 अलग-अलग अनुमानों (प्रत्येक ₹1.25 लाख) के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से ₹ 18.75 लाख एक ही कार्य अर्थात् “सर्किट हाउस से शान ऑर्चर्ड रोड 0.0 से 2.0 किमी की विशेष मरम्मत के लिए 1.300 से 1.990 किमी तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाना,” (कुल सड़क लंबाई: 0.690 किमी) के लिए स्वीकृत किए (मार्च 2023)। यह कार्य न केवल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मानदंडों के अनुसार अस्वीकार्य था अपितु एक किलोमीटर (सड़क के 450 मीटर हिस्से) से कम की मरम्मत से संबंधित कार्य को अधिक निधियां प्राप्त करने के लिए 30-30 मीटर के 15 कार्यों में विभाजित किया गया था, जो ₹ 18.75 लाख की राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों के दुरुपयोग में परिणत हुआ।

संबंधित उपायुक्तों ने बताया (सितंबर 2023-मार्च 2024) कि जीर्णोद्धार कार्यों की आकस्मिक प्रकृति के कारण निधियां स्वीकृत की गईं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने (मई 2025 में) संबंधित उपायुक्तों के उत्तर अग्रेषित किए, जिनमें बताया गया कि इन कार्यों पर व्यय केवल उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों, प्रकृति एवं आवश्यकता के कारण उक्त शीर्षों के अंतर्गत आवंटित बजट के अनुक्रम में किया गया था और यह नियमित प्रकृति का व्यय नहीं था। हालांकि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस निधि का उपयोग केवल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्धारित नियमों व निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।

## (ii) लोक निर्माण विभाग मंडलों द्वारा अस्वीकार्य कार्यों का निष्पादन

वर्ष 2020-23 के दौरान नमूना-जांचित लोक निर्माण विभाग मंडलों में अधिशाषी अभियंताओं ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशा-निर्देशों/स्वीकृत मानदंडों में शामिल न होने वाले 167 कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 4.43 करोड़ की निधियां स्वीकृत की, जो नए कार्यों, सड़कों की नियमित आवधिक मरम्मत एवं रखरखाव, सड़क के प्लास्टिक स्टड कैट आई, रिफ्लेक्टर/स्पीड ब्रेकर को ठीक करना, न्यायालयीन शुल्क, उच्च वोल्टेज लाइन के स्थानांतरण, पैच कार्य, बिटुमिनस कार्य, स्टेशनरी की खरीद आदि से संबंधित थे।

ऐसे ही एक कार्य के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि लोक निर्माण विभाग, बंजार मंडल में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से “बालागढ़ से भरतीधार मार्ग पर कि.मी. 0.0 से 4.500 तक

मेटलिंग एवं टारिंग” कार्य के अंतर्गत कि.मी. 2.800 से 4.200 में ग्रेन्युलर सब-बेस उपलब्ध कराने एवं बिछाने हेतु ₹ 11.99 लाख (मार्च 2021) का व्यय किया गया, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुमन्य नहीं था।

संबंधित अधिशाषी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2023-जनवरी 2024) कि जीर्णोद्धार कार्य आकस्मिक प्रकृति का था एवं तत्काल जीर्णोद्धार करना आवश्यक था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों के अग्रेषित उत्तरों (मई 2025) में बताया गया कि व्यय वर्षा ऋतु के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई मौजूदा अधोसंरचना का जीर्णोद्धार/सुरक्षित करने के लिए किया गया था। हालांकि इस बिंदु को भविष्य में अनुपालन हेतु ध्यान में रखा गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों से व्यय करने के संबंध में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष दिशा-निर्देशों व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन नियम-पुस्तिका के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अस्वीकार्य कार्यों हेतु स्वीकृत राशि राज्य सरकार के संसाधनों से खर्च की जा सकती थी।

### (iii) जल शक्ति विभाग मंडलों द्वारा अस्वीकार्य कार्यों का निष्पादन

- वर्ष 2019-23 के दौरान जल शक्ति विभाग के नमूना-जांचित मंडलों में अधिशाषी अभियंताओं ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा पूर्वोक्त स्वीकृत मदों व मानदंडों में शामिल न होने वाली गतिविधियों से संबंधित 168 कार्यों के निष्पादनार्थ ₹ 2.79 करोड़ स्वीकृत किए। विभाग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों का उपयोग करने के लिए इन कार्यों का नामकरण बदल दिया, जो ₹ 2.79 करोड़ के दुरुपयोग में परिणत हुआ।
- इसके अतिरिक्त अधिशाषी अभियंताओं ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव से संबंधित 146 कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 2.08 करोड़ की स्वीकृति दी, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकार्य नहीं थे।
- जल शक्ति विभाग मंडल, देहरा में एक नए कार्य (उठाऊ जल आपूर्ति योजना, गुलेर व हरिपुर खारियां का सुधार एवं आवर्धन) के लिए ₹ 19.63 लाख का व्यय किया गया, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत स्वीकार्य नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.63 लाख का दुरुपयोग हुआ।

अधिशायी अभियंताओं ने बताया (अगस्त 2023-जुलाई 2024) कि किया गया व्यय विभिन्न जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के सुचारु संचालन, मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निधियों के अभाव, जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं की खराब स्थिति, कार्यों की आकस्मिक प्रकृति आदि के लिए आवश्यक था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा संबंधित जल शक्ति विभाग मंडलों के अग्रेषित (मई 2025 में) उत्तरों में बताया गया कि विचाराधीन कार्यों को हुई क्षति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के लिए यह आवश्यक था कि वह परिवहन गतिविधियों का त्वरित जीर्णोद्धार एवं विभिन्न जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं का सुचारु संचालन पुनःस्थापित करने हेतु आवश्यक सीमा तक निधियां जारी करे।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अस्वीकार्य कार्यों के लिए स्वीकृत राशि राज्य सरकार के संसाधनों से खर्च की जा सकती थी।

#### **5.4.8 राहत सहायता उपलब्ध कराने में विलम्ब**

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के दिशानिर्देशों में जिलों के उपायुक्तों द्वारा राहत हेतु निधियां स्वीकृत करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि यह अपेक्षित है कि आपदा राहत यथासंभव शीघ्रता से संवितरित की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- नमूना-जांचित तीन जिलों में ₹ 35.15 लाख के 34 कार्यों की स्वीकृति में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर राजस्व अधिकारियों द्वारा आपदा घटित होने सम्बन्धी प्रथम सूचना की तिथि से आपदा रिपोर्ट जारी करने तक के विभिन्न स्तरों पर 12 से 26 माह का समय लगा, जो इस तथ्य का परिचायक है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष निधियों की स्वीकृति एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् दी गई।
- नमूना-जांचित दो उप-मंडलों के उप-मंडलाधिकारियों (सिविल) ने 56 मामलों में अनुग्रह राहत, क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता एवं पशुओं की हानि के लिए सहायता के रूप में ₹ 56.68 लाख की स्वीकृति, पीड़ितों/लाभार्थियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से 11 से 33 माह तक के उल्लेखनीय समय के बाद दी (रोजनामचा/प्रथम सूचना की प्रविष्टि के अनुसार) जो इस तथ्य का परिचायक था कि विभाग समय पर निधियां स्वीकृत करने में विफल रहा।

नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने बताया (सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक) कि स्वीकृति में विलम्ब निधियों की अनुपलब्धता एवं अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण हुआ। उप-मंडलाधिकारियों (सिविल) ने बताया (दिसंबर 2023-जनवरी 2024) कि निधियों के अभाव के कारण समय पर निधियां स्वीकृत नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से निधियों की स्वीकृति हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों का जिला स्तर पर बिना किसी विलम्ब के निपटान किया जाता है। वर्तमान मामलों में वास्तविक क्षति की तिथि से काफी समय बाद क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा निधियों की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ। भविष्य में ऐसी विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए दस्तावेजीकरण के सुव्यवस्थीकरण, निधि आवंटन तंत्र में सुधार एवं समग्र प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उपाय लागू किए जा रहे हैं। जहां संभव हो, तत्काल राहत पहलों को प्राथमिकता दी जा रही है और लंबित कार्यों की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है कि निर्धारित लाभ संबंधित हितधारकों तक यथाशीघ्र पहुंचे।

उत्तर संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित निधियों की स्थिति, जो कि परिच्छेद 5.4.4 में परिलक्षित होती है, स्पष्ट करती है कि वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित शेष राशि थी।

## 5.5 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत आयोजना, तैयारी एवं क्षमता निर्माण

### 5.5.1 राज्य आपदा प्रबंधन योजना/जिला आपदा प्रबंधन योजना, सामुदायिक योजना एवं ग्राम आपदा प्रबंधन दलों की समीक्षा/अद्यतन न करना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 23 व 31 के अंतर्गत राज्य कार्यकारी समिति द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, उसकी समीक्षा करने तथा उसे वार्षिक रूप से अद्यतन करने का प्रावधान है, साथ ही राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रबंधन नीति, 2011 के परिच्छेद 6.14.1 में स्वैच्छिक सेवा एवं आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए क्षति की रोकथाम और उसे न्यूनतम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ सामुदायिक योजना तैयार करने का प्रावधान है। नीति के परिच्छेद 8.7.1 में स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के नेतृत्व में ग्राम आपदा प्रबंधन दल की स्थापना का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- राज्य आपदा प्रबंधन योजना प्रारंभिक रूप से वर्ष 2012 में तैयार की गई थी तथा इसके बाद वर्ष 2017 व वर्ष 2020 में अद्यतित की गई। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन योजना की वार्षिक समीक्षा एवं उसे अद्यतित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को राज्य कार्यकारी समिति के साथ साझा नहीं किया गया।
- नमूना-जांचित किसी भी जिले/खंड में उपायुक्तों अथवा खंड विकास अधिकारियों ने राज्य में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए समुदायिक योजनाएं तैयार नहीं की थीं।
- नमूना-जांचित तीन खंडों<sup>14</sup> (छ: में से) में खंड विकास अधिकारियों ने किसी भी गांव में ग्राम आपदा प्रबंधन दल का गठन नहीं किया, जो परिलक्षित करता है कि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। आपदा के दौरान रोकथाम के उपाय प्रदान करने में सामुदायिक भागीदारी सहायक सिद्ध हो सकती थी, क्योंकि यह आपदा प्रतिक्रिया प्रक्रिया की मूल आधारशिला होती है।

संयुक्त सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) ने बताया (जनवरी 2024) कि तकनीकी विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य आपदा प्रबंधन योजना को वार्षिक अद्यतित एवं समीक्षा नहीं की जा सकी, वहीं नमूना-जांचित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने उत्तर दिया (जुलाई-दिसंबर 2023) कि जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं वार्षिक रूप से अद्यतित तो की जा रही हैं परन्तु राज्य कार्यकारी समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रावधानों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना की वार्षिक समीक्षा/अद्यतन नहीं की। इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को प्रावधानों के अनुसार उनकी अद्यतित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं हेतु राज्य कार्यकारी समिति से अनुमोदन लेना चाहिए था।

सामुदायिक योजनाओं को तैयार करने के संबंध में नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने बताया (जुलाई-दिसंबर 2023) कि वे प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संबंधित उपायुक्तों ने सामुदायिक योजनाओं को पंचायत, खंड एवं जिला योजनाओं में शामिल नहीं किया।

---

<sup>14</sup> बंजार, देहरा व निरमंड।



संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने बताया (नवंबर 2023-जनवरी 2024) कि सभी ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही ग्राम आपदा प्रबंधन दल गठित करने के प्रयास किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि जिला आपदा प्रबंधन योजना, 2025 का अद्यतन/समीक्षा प्रक्रियाधीन है तथा इसे राज्य कार्यकारी समिति को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा।

### 5.5.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन नीति, 2011 की धारा 4.8.1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुरूप राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन को अधिसूचित (जनवरी 2020) किया। यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एक विशेष बल है जो उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता के साथ आपदा परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त अधिसूचना (जनवरी 2020) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में विभिन्न रैंकों/श्रेणियों में 326 पद एवं तकनीकी कर्मचारियों (डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन व पैरामेडिकल) के 33 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे परन्तु मात्र 193 कर्मियों को तैनात किया गया तथा कोई भी तकनीकी कर्मी तैनात नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (जनवरी 2024) कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष विभिन्न रैंक/श्रेणियों में पदस्थ कर्मी पर्याप्त माने गए तथा विभिन्न विभागों से तकनीकी स्टाफ को प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात करने की प्रक्रिया जारी है ताकि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम आपदा प्रबंधन दल का गठन शीघ्र किया जा सके।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए यथाशीघ्र तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लगातार मामले पर कार्य कर रहा है तथा तकनीकी कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।

### 5.5.3 नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में निधि की प्राप्ति

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा निधियों की उपलब्धता व व्यय का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है।

तालिका 5.7: 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में निधियों की उपलब्धता (क्षमता निर्माण निधि)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता			व्यय	अप्रयुक्त निधियां
	अथ शेष	प्राप्त निधियां	कुल		
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5
2019-20	1.44	2.47	3.91	1.20 (31)	2.71
2020-21	2.71	0.94	3.65	1.28 (35)	2.37
2021-22	2.37	6.25	8.62	4.83 (56)	3.79
2022-23	3.79	23.15	26.94	3.41(13)	23.53
<b>योग</b>		<b>32.81</b>	<b>-</b>	<b>10.72</b>	<b>-</b>

स्रोत: नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बजट के सापेक्ष किए गए व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

अतः, उपलब्ध निधियों का उपयोग 13 से 56 प्रतिशत तक किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि क्षमता निर्माण शीर्ष के तहत प्रयुक्त निधियों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों, जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों की स्थापना, कार्य योजना आदि की गंभीरता के अनुसार किया गया एवं तदनुसार व्यय किया गया।

### 5.5.3.1 जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों की मौजूदा क्षमता का सुदृढीकरण न करना

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन नीति, 2011 के परिच्छेद 6.12.1 में निर्धारित है कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के पास अंतर्निहित अनेक स्तर की आंतरिक पुनरावृत्ति सहित विफलता-सुरक्षित संचार नेटवर्क होना चाहिए ताकि वॉइस, डेटा व वीडियो का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके। आपातकालीन संचालन केंद्र नियम-पुस्तिका (2011) के अनुलग्नक 1 में आपातकालीन संचालन केंद्रों में 15\*20 = 300 वर्ग फुट का कार्पेट क्षेत्र निर्धारित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नमूना-जांचित तीन जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपातकालीन संचालन केंद्रों की मौजूदा क्षमता के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों<sup>15</sup> की खरीद के लिए ₹ 35.68 लाख<sup>16</sup> निधियों का आवंटन (जून 2021 व अगस्त 2022) इस निर्देश के साथ किया गया कि वे उपयोगिता-प्रमाणपत्र भेजें तथा अव्ययित राशि, यदि कोई हो, तो विभाग

<sup>15</sup> वॉयस लॉगर (16 पोर्ट), जीपीएस-हैंडहेल्ड, अग्निशामक यंत्र-ए एंड सी क्लास, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, रेडियो सेट (सामान्य आवृत्ति), सर्च लाइट, एलईडी फ्लैशलाइट, केमिकल फ्लैशलाइट स्टिक, वीएचएफ हैंडसेट, कंप्यूटर सिस्टम, यूपीएस बैटरी और ऑफिस चेयर, ईओसी में तेज इंटरनेट सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना आदि।

<sup>16</sup> बिलासपुर: ₹ 6.58 लाख (जून 2021), कांगड़ा: ₹ 25.21 लाख (जून 2021) व कुल्लू: ₹ 3.89 लाख (अगस्त 2022)।

को वापस कर दें। यद्यपि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, कांगड़ा व बिलासपुर ने सूचीबद्ध उपकरणों<sup>17</sup> में से केवल ₹17.50 लाख के कुछ उपकरण कार्यालयीन उपयोग के लिए खरीदे परन्तु आपदा संबंधी शेष उपकरणों की खरीद नहीं की गई। शेष निधियों का न तो उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया गया एवं न ही विभाग को वापस की गई। अतः आपातकालीन संचालन केंद्रों की मौजूदा क्षमता को सुदृढ़ करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

- नमूना-जांचित जिला बिलासपुर (चयनित तीन जिलों में से) में भंडारण स्थान की कमी के कारण निर्धारित सूची के शेष उपकरणों की खरीद नहीं की गई क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन संचालन केंद्र को 300 वर्ग फीट के निर्धारित कार्पेट क्षेत्र के प्रति 96 वर्ग फीट (12\*8) के कार्पेट क्षेत्र में स्थापित किया था, जो कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करने के बाद सभी उपकरण स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर ने बताया (जुलाई 2023) कि भंडारण स्थान की कमी के कारण अनिवार्य उपकरण नहीं खरीदे जा सके। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा ने बताया (मार्च 2024) कि शेष उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुल्लू ने बताया (जनवरी 2024) कि वर्ष 2023 की बाढ़ के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के कारण उपकरणों की खरीद शुरू नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि आवश्यक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है तथा उनमें से कुछ की खरीद कर के उन्हें आपातकालीन संचालन केंद्र में रख दिया गया है।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि आपातकालीन संचालन केंद्रों की मौजूदा क्षमता सुदृढ़ करने के लिए शेष निधियों का उपयोग किया जाएगा तथा आपातकालीन संचालन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु एएफडी (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है।

### 5.5.3.2 युवा स्वयंसेवकों का कार्य बल (टास्क फोर्स) न बनाना एवं कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण न देना

राज्य सरकार ने आपदा जोखिम को प्रभावी रूप से कम करने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10-20 युवा स्वयंसेवकों का एक कैंडर बनाने एवं युवा स्वयंसेवकों को चिकित्सा सहायता, खोज और बचाव के जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से “युवा स्वयंसेवकों के टास्क फोर्स का निर्माण” योजना अधिसूचित की (सितंबर 2018)। उसने इस

<sup>17</sup> बिलासपुर: ₹ 2.43 लाख (कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, बैटरी व ऑफिस कुर्सी) कांगड़ा: ₹ 15.07 लाख (ऑफिस कुर्सी, फर्नीचर व विद्युत फिटिंग्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंटर)

क्षेत्र में सुरक्षित सन्निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशिक्षित मिस्त्री (हर पंचायत में कम से कम पांच), बढ़ई व बार बेंडर (कुशल श्रमिक) तैयार करने के लिए “हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित सन्निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर मिस्त्री, बढ़ई व बार बेंडर्स की क्षमता निर्माण” नामक योजना भी अधिसूचित की (सितंबर 2018)।

- नमूना-जांचित तीन जिलों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-23 की अवधि के दौरान युवा स्वयंसेवकों के टास्क फ़ोर्स के गठन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को प्राप्त ₹ 4.11 करोड़ की निधियों में से ₹ 2.33 करोड़ का व्यय हुआ। अक्टूबर 2023 तक 16,545 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के सापेक्ष सकल 7,979 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया, जो 8,566 स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की कमी में परिणत हुआ तथा ₹ 1.78 करोड़ की शेष निधियां अप्रयुक्त रही, जैसाकि तालिका 5.8 में विवर्णित है।

तालिका 5.8: 2019-23 की अवधि के दौरान नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवकों व किए गए व्यय का विवरण

(राशि ₹ में)

जिला	प्राप्त निधियां	व्यय	शेष निधियां	टास्क फ़ोर्स के प्रशिक्षण लक्ष्य	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	कमी
बिलासपुर	30,00,000	6,54,319	23,45,681	2,265	414	1,851
कांगड़ा	3,60,76,000	2,16,03,758	1,44,72,242	11,220	6,840	4,380
कुल्लू	19,90,000	10,57,730	9,32,270	3,060	725	2,335
<b>योग</b>	<b>4,10,66,000</b>	<b>2,33,15,807</b>	<b>1,77,50,193</b>	<b>16,545</b>	<b>7,979</b>	<b>8,566</b>

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2019-20 में नमूना-जांचित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को ₹ 0.66 करोड़ की निधियों के साथ 5,515 कुशल श्रमिकों (मिस्त्री) को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के प्रति अक्टूबर 2023 तक ₹ 0.07 करोड़ के व्ययोपरांत मात्र 208 मिस्त्री प्रशिक्षित किए गए, जो 5,307 मिस्त्रियों के प्रशिक्षण में कमी एवं ₹ 0.59 करोड़ की अप्रयुक्ति के रूप में परिणत हुआ। यह परिचायक है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने अपेक्षित प्रशिक्षण त्वरितता से उपलब्ध नहीं कराया/व्यवस्था नहीं की तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए समय पर आवंटित निधियां उपयोग करने में विफल रहे, जैसाकि तालिका 5.9 में विवर्णित है।

तालिका 5.9: 2019-23 की अवधि के दौरान नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित मिस्त्रियों एवं किए गए व्यय का विवरण

(राशि ₹ में)

जिला	प्राप्त निधियां	व्यय	शेष निधियां	मिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	कमी
बिलासपुर	9,00,000	54,397	8,45,603	755	22	733
कांगड़ा	44,80,000	3,92,400	40,87,600	3,740	140	3,600
कुल्लू	12,20,000	2,58,738	9,61,262	1,020	46	974
<b>योग</b>	<b>66,00,000</b>	<b>7,05,535</b>	<b>58,94,465</b>	<b>5,515</b>	<b>208</b>	<b>5,307</b>

- यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितंबर 2018) में बढ़ई व बार बेंडर्स के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया था तथापि बढ़ई व बार बेंडर्स के प्रशिक्षणार्थ कोई निधियां प्रदान नहीं की गई।

संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने बताया (जुलाई 2023-जनवरी 2024) कि कोविड-19 महामारी के कारण स्वयंसेवकों एवं मिस्त्रियों, बढ़ईयों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सका, परन्तु आगामी वर्ष के दौरान टास्क फोर्स के निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने कोविड अवधि समाप्त होने के बाद भी सरकारी नीति के अनुसार न तो स्वयंसेवकों और न ही कुशल श्रमिकों (मिस्त्रियों) के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया, जो योजनाओं का कार्यान्वयन न होने के रूप में परिणत हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि 23 अप्रैल 2025 तक इन पहलों के अंतर्गत कुल 26,979 युवा स्वयंसेवकों एवं 3,866 मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उनके विवरणों को आपदा की स्थिति में सहज उपलब्धता एवं तैनाती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के ऑनलाइन डाटाबेस पर अपलोड किया गया है।

### 5.5.3.3 आपदा तैयारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित न करना एवं उपकरणों की खरीद न करना

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार विकास सहायता कर्मियों को संबंधित लाइन विभागों के लिए प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल चिह्नित करने होंगे। सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सलाह दी गई कि वे वर्ष 2023-24 में अपने-अपने क्षेत्राधिकार में निर्धारित 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

जिला एवं उप-मंडल स्तर के उपकरण बैंक की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक खोज और बचाव उपकरण, वाहन, राहत सामग्री आदि को जिला मुख्यालय, प्रशिक्षण कमांड केंद्र एवं होमगार्ड कार्यालयों में संग्रहित किया जाना चाहिए। इन उपकरणों की खरीदारी सरकार के ई-मार्केट (जेम) पोर्टल के माध्यम से की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को प्रशिक्षण आयोजित करने एवं उपकरणों की खरीद हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से ₹ 6.07 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई (मार्च 2023), जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- आपदा तैयारी एवं क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 2.46 करोड़ प्राप्त किए गए। परन्तु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने अक्टूबर 2023 तक अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया तथा बैंक खातों में ₹ 2.46 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।
- इसके अतिरिक्त जिला एवं उप-मंडल स्तर पर खोज और बचाव कार्यों के लिए उपकरण खरीदने हेतु ₹ 3.28 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने अक्टूबर 2023 तक खोज और बचाव उपकरणों की खरीद नहीं की तथा ₹ 3.28 करोड़ की निधियां बैंक खातों में अप्रयुक्त रही।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने (जनवरी-मार्च 2024) बताया कि कार्यान्वयन एजेंसियों व प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त खोज और बचाव उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जारी थी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि एजेंसियों एवं विशेषज्ञ व्यक्ति चिह्नित किए जाने सम्बन्धी कुछ प्रतिबंधों के कारण प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो पाए। हालांकि अब प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है।

#### **5.5.4 एसएमआईएस पोर्टल अपडेट न करना**

उपायुक्तों द्वारा दिए गए स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार कार्य उसी वित्तीय वर्ष के भीतर या स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में अक्टूबर 2023 तक स्वीकृत कार्यों की स्थिति तथा एसएमआईएस पोर्टल के अनुसार उनकी स्थिति तालिका 5.10 में दी गई है।

तालिका 5.10: 2019-23 की अवधि हेतु एसएमआईएस पोर्टल के अनुसार नमूना-जांचित जिलों में कार्यों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जिला	कार्य की स्थिति	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		कुल		2019* से पूर्व	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
बिलासपुर	स्वीकृत	354	5.83	225	2.79	237	2.75	455	6.24	1271	17.61	365	2.97
	पूर्ण	206	3.27	59	0.83	14	0.17	0	0	279	4.27	0	0
	प्रक्रियाधीन	148	2.56	166	1.97	223	2.57	455	6.24	992	13.34	365	2.97
कांगड़ा	स्वीकृत	729	13.9	781	17.3	1146	24.76	1469	29.98	4125	85.94	1693	31.46
	पूर्ण	319	5.39	278	5.61	387	7.57	235	4.42	1219	22.99	0	0
	प्रक्रियाधीन	410	8.51	503	11.69	759	17.19	1234	25.56	2906	62.95	1693	31.46
कुल्लू	स्वीकृत	1537	19.03	410	10	814	16.84	1292	23.05	4053	68.92	101	1.39
	पूर्ण	1361	16.59	362	6.13	612	4.46	776	6.45	3111	33.63	0	0
	प्रक्रियाधीन	176	2.44	48	3.87	202	12.38	516	16.6	942	35.29	101	1.39
योग	स्वीकृत	2620	38.76	1416	30.09	2197	44.35	3216	59.27	9449	172.47	2159	35.82
	पूर्ण	1886	25.25	699	12.57	1013	12.2	1011	10.87	4609	60.89	0	0
	प्रक्रियाधीन	734	13.51	717	17.53	1184	32.14	2205	48.4	4840	111.58	2159	35.82

स्रोत: एसएमआईएस डेटा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

\* अप्रैल 2019 से पहले के कार्यों के लिए केवल चल रहे कार्यों को ही शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने ₹ 172.47 करोड़ के स्वीकृत 9,449 कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के वास्तविक समय डेटा को एसएमआईएस में अपडेट नहीं किया। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2019 से पूर्व स्वीकृत ₹ 35.82 करोड़ की लागत वाले 2,159 कार्यों की स्थिति भी अपडेट नहीं की गई। पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए उपयोगिता-प्रमाणपत्र एसएमआईएस पोर्टल पर कार्यों की वास्तविक स्थिति दर्शाने हेतु समय पर प्राप्त नहीं किए गए।

उपायुक्तों ने बताया (नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक) कि एसएमआईएस में अपूर्ण दर्शाए अधिकांश कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण थे।

राज्य सरकार ने (मई 2025) में बताया कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने एवं उन्हें एसएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करवाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किए गए अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा उनके उपयोगिता-प्रमाणपत्र एसएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन कार्यों को निष्पादित नहीं किया जा सका उनके लिए आवंटित निधियों का कार्यान्वयन एजेंसियों (खंड विकास कार्यालयों) द्वारा प्रतिदाय किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि संबंधित उपायुक्तों ने न तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए उनके अद्यतनीकरण की निगरानी की एवं न ही एसएमआईएस पोर्टल को अपडेट किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समय पर पूर्ण हो चुके कार्यों के उपयोगिता-प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किए।

### 5.5.5 ग्राम पंचायत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का निष्पादन

वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में उपायुक्तों ने ₹ 6.60 करोड़ के सकल 710 कार्य संस्वीकृत किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) वर्ष 2019-23 के दौरान ₹ 5.49 करोड़ की लागत से खंड विकास कार्यालयों/संबंधित ग्राम पंचायतों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग व हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त) के माध्यम से निष्पादित किए जाने हेतु स्वीकृत 654 कार्यों में से 539 कार्य ₹ 3.90 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किए जा चुके थे, जबकि ₹ 0.21 करोड़ की लागत के स्वीकृत 20 कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए। सोलह कार्य (स्वीकृत लागत: ₹ 0.29 करोड़) लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण पाए गए। शेष 79 अपूर्ण/प्रारंभ न किए गए कार्यों की पूर्णता तिथि लेखापरीक्षा की तिथि तक देय नहीं थी।

(ii) वर्ष 2019-23 के दौरान नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में ₹ 1.11 करोड़ की लागत से स्वीकृत एवं निष्पादन एजेंसियों, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग व हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले 56 कार्यों में से 46 कार्य (स्वीकृत लागत: ₹ 0.92 करोड़) पूर्ण किए जा चुके थे तथा तीन कार्य (स्वीकृत लागत: ₹ 0.11 करोड़) लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण थे। शेष सात अपूर्ण/प्रारंभ नहीं हुए कार्यों की पूर्णता तिथि लेखापरीक्षा की तिथि तक देय नहीं थी।

अतः प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की पुनर्स्थापना हेतु निधि प्रदान करने का मूल उद्देश्य अप्राप्त रह गया, साथ ही जनता पुनर्स्थापित अधोसंरचना की सुविधा से वंचित रह गई।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि वर्तमान में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें एवं उनके उपयोगिता-प्रमाणपत्र स्वयं के स्तर पर एसएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करें, साथ ही उपयोगिता-प्रमाणपत्र की नियमित निगरानी जिला स्तर पर भी की जा रही है।



### 5.5.6 कार्यों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

अगस्त 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में 36 (710 में से) कार्यों की विस्तृत संवीक्षा के साथ-साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसके संक्षिप्त विवरण तालिका 5.11 में दिए गए हैं।

तालिका 5.11: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के विवरण

(कार्य संख्या में एवं ₹ लाख में)

1	कार्यों के निरीक्षण के विवरण			कार्यों की स्थिति						कॉलम 7 व 9 में से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब व प्रारंभ न किए गए कार्य (अक्टूबर 2023 तक)	
	नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों से योजनाओं की संख्या	स्वीकृतियों की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण		अपूर्ण/प्रक्रियाधीन		प्रारंभ न किए गए कार्य		संख्या	सीमा (माह में)
				संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	स्वीकृत राशि		
बिलासपुर	12	13	27.19	6	13.61	5	8.08	1	1.75	5	1-32
कांगड़ा	12	23	71.75	8	50.31	2	2.41	2	4.25	4	3-34
कुल्लू	12	13	16.50	11	15.41	1	0.34	0	0	1	3
<b>योग</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>115.44</b>	<b>25</b>	<b>79.33</b>	<b>8</b>	<b>10.83</b>	<b>3</b>	<b>6.0</b>	<b>10</b>	

स्रोत: ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

- अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल 36 योजनाओं/कार्यों (स्वीकृत राशि ₹ 1.15 करोड़) का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिनमें से 25 योजनाएं/कार्य ₹ 0.79 करोड़ के व्ययोपरांत पूर्ण किए गए; आठ कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण थे तथा तीन कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे। सात कार्यों (11 अपूर्ण/प्रारंभ नहीं किए गए कार्यों में से) में एक से 12 माह का विलम्ब हुआ एवं तीन कार्यों (11 अपूर्ण/प्रारंभ नहीं किए गए कार्यों में से) में उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 13 से 34 माह का विलम्ब रहा। शेष एक अपूर्ण कार्य एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर था।
- इसके अतिरिक्त निरीक्षित अधिकांश कार्य मरम्मत व रखरखाव की नियमित प्रकृति के थे। भौतिक रूप से निरीक्षित 36 कार्यों में से मात्र छः कार्य (स्वीकृत राशि ₹ 0.11 करोड़) स्वीकृत मानदंडों के अनुसार अनुमत थे, 14 कार्य अनुमत नहीं थे (स्वीकृत राशि ₹ 0.69 करोड़) तथा 16 कार्यों (स्वीकृत राशि ₹ 0.36 करोड़) में निर्धारित मानदंडों से ₹ 0.24 करोड़ अधिक स्वीकृत किए गए।

- नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत इन 36 कार्यों का चार आयामों- स्वीकार्यता, स्वीकृतियों/कार्यों का विभाजन, अधिक स्वीकृतियां व क्षति रिपोर्ट के आधार पर लेखापरीक्षा में निरीक्षण किया गया। स्थिति तालिका 5.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: उन चार आयामों का विवरण जिनके आधार पर भौतिक निरीक्षण किया गया

क्र. सं.	मानदंड	हां	नहीं
1	सहायता के मानदंडों के अनुसार स्वीकार्यता	22	14
2	कार्यों का विभाजन	8	28
3	निधियों की अधिक स्वीकृति	16	20
4	क्षति रिपोर्ट की उपलब्धता	24	12

यह इस तथ्य का परिचायक है कि स्वीकृति से पूर्व राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से कार्यों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए यथोचित संवीक्षा व जांच का अभाव था।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2025) कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों को स्वीकृत करने में सावधानी व नियंत्रण बरता जा रहा है। कार्यों का विभाजन एवं निर्धारित सीमा से अधिक निधियां स्वीकृत करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।

अंतिम बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को इस मामले को गंभीरता से लेने, कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने तथा मानदंडानुसार निधियां स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

## 5.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि राज्य सरकार को राज्य व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोषों के संसाधनों को समय पर नियम-अनुरूप राहत में परिवर्तित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती दुरुपयोग के समायोजित न हुए मामलों के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के केंद्रांश का एक अंश रोकना पड़ा एवं बाद में राज्य के बढ़े हुए अथ शेष के कारण कम सहायता जारी करनी पड़ी। इन कटौतियों के बाद भी बड़ी मात्रा में अधिशेष राशि स्वीकृत सब्याज वित्तीय साधनों के बजाय बचत बैंक खातों में रखी गई, जिससे कोष की आय में नापनीय हानि हुई। साथ ही जिला व लाइन एजेंसियों ने केंद्रीय मानकों से इतर नियमित मरम्मत, नए निर्माण व अन्य मदों पर उल्लेखनीय राशि आवंटित और खर्च की, जबकि कई मामलों में आपदाओं के घटित होने के एक से लगभग तीन वर्ष बाद वास्तविक राहत स्वीकृत की गई। निगरानी कमजोर बनी हुई है: राज्य की प्रबंधन सूचना प्रणाली अभी भी हजारों कार्यों को "शून्य प्रगति" के रूप

में सूचीबद्ध करती है तथा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का एक बड़ा बैकलॉग वास्तविक समय में निधि के उपयोग को ट्रैक करने की क्षमता को सीमित करता है। आयोजना, तैयारी व क्षमता निर्माण में उल्लेखनीय कमी दिखाई देती है—राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं व सामुदायिक योजनाएं अद्यतित नहीं की गई, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल तकनीकी कर्मियों से युक्त नहीं था तथा नमूना-जांचित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने न तो निर्धारित खोज और बचाव उपकरण खरीदे एवं न ही आपदा तैयारी पर अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राजस्व विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला प्राधिकारियों को समन्वित हो कर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक सरकार निष्क्रिय शेष राशियों का नियमित रूप से निवेश नहीं करती, अपात्र बिलों को अस्वीकार नहीं करती, निगरानी के बैकलॉग का निपटान नहीं करती तथा कड़े “आपदा से संवितरण” कार्यक्रम का पालन नहीं करती, तब तक कमियां बनी रहेंगी, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित होगा एवं समय पर सहायता मिलने में बाधा आएगी। राज्य के पास अपेक्षित आवश्यक संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं; अब ध्यान अनुशासित निष्पादन एवं पारदर्शी ट्रैकिंग की ओर होना चाहिए ताकि आपदाओं के लिए अलग रखी गई राहत निधियां अभीष्ट लाभार्थियों तक प्रभावी और कुशल तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके।

## 5.7 अनुशासन

राज्य सरकार :

- (i) अधिशेष राशि के नियमित एवं समयबद्ध निवेश हेतु अपने बैंकर को स्थायी निर्देश जारी करके शेष निधियों का कुशल व प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।
- (ii) अस्वीकार्य कार्यों पर निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र विकसित करें। इसमें यह निर्देश भी शामिल किया जा सकता है कि कोषागार में प्रस्तुत प्रत्येक बिल के साथ एक पृष्ठ का वचन-पत्र संलग्न किया जाए, जिसे आहरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, और जिसमें प्रत्येक प्रभार या व्यय का संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के प्रावधानों व प्रयोज्य सीमाओं से मिलान किया गया हो।
- (iii) आपदा रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर राहत सुनिश्चित करें। मौजूदा एसएमआईएस (या उसके सुव्यवस्थित होने तक एक साझा स्प्रेडशीट) का उपयोग उन मामलों को चिह्नित करने के लिए, जो 30 दिन की सीमा से अधिक हो रहे हो तथा

उपायुक्त व राजस्व सचिव को स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाए। किसी भी विलम्ब की स्थिति में जवाबदारी निर्धारित की जाए।

- (iv) आपदा की तैयारी के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को चिह्नित करके प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण तथा खरीद प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए खोज और बचाव उपकरणों की खरीद एवं वितरण को केंद्रीकृत करें।
- (v) एसएमआईएस को सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान करके अपडेट करें। इसके लिए समर्पित जनशक्ति की तैनाती की जा सकती है जो लंबित उपयोगिता-प्रमाणपत्र अपलोड करे तथा कार्यों के स्टेटस को अपडेट करे।
- (vi) केंद्र के साथ आंकड़ों का नियमित मिलान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें। यह तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि अथ शेष, जारी निधियों व व्यय की आवधिक समीक्षा गृह मंत्रालय के साथ आपसी सहमति से की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति तथा भविष्य में निधियों का आवंटन रोकने की स्थिति से बचा जा सके।

**अध्याय-VI**  
**स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी**



## अध्याय VI: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

### हिमाचल प्रदेश वन विभाग

#### 6.1 प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधियों की अल्प वसूली

विभाग द्वारा निवल वर्तमान मूल्य का अव निर्धारण प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधियों की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जब भी वन भूमि को वनेतर प्रयोजनार्थ - जैसे कि अधोसंरचना या औद्योगिक परियोजनाओं - हेतु अपवर्तित किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी को निवल वर्तमान मूल्य नामक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है। यह राशि वन द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं की क्षति की क्षतिपूर्ति करती है तथा सरकार इसका उपयोग वन सुरक्षा, संरक्षण एवं संबंधित गतिविधियों के लिए करती है।

निवल वर्तमान मूल्य दरें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित एवं अधिसूचित की जाती हैं। मार्च 2008 में अधिसूचित दरें जनवरी 2022 तक प्रभावी रहीं।

पारिस्थितिक विविधता को ध्यान में रखते हुए निवल वर्तमान मूल्य दरों को छः पारिस्थितिक वर्गों (I से VI) में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वर्ग I सबसे कम दरों का और वर्ग VI सबसे अधिक दरों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी-वर्ग के भीतर वन क्षेत्रों को छत्र घनत्व के आधार पर तीन और श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अति सघन वन, मध्यम सघन वन व खुले वन। निवल वर्तमान मूल्य दरें पारिस्थितिकी-वर्ग के स्तर एवं वन घनत्व दोनों के साथ बढ़ती हैं।

वर्ष 2019 में जारी वन (संरक्षण) अधिनियम की पुस्तिका के परिच्छेद 3.2 के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य उन सभी मामलों में वसूलनीय है, जहां 29 अक्टूबर 2002 को या उसके पश्चात् अपवर्तन की मंजूरी दी गई तथा उन मामलों में भी जिनके लिए 29 अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी तथा उसके बाद अंतिम मंजूरी दी गई। पुस्तिका (2019 में जारी) के परिच्छेद 1.21 के साथ-साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की पुस्तिका (2004 में जारी) के परिच्छेद 4.3 में निर्धारित है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति मांगने वाले प्रस्तावों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार अधिनियम के तहत कार्योत्तर स्वीकृति तब तक नहीं देगी जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां न हों जो माफी को उचित ठहराती हों। माफी के ऐसे मामलों में केंद्र सरकार उपयोगकर्ता एजेंसियों/राज्य से शास्ति सुनिश्चित करेगी, जिसे आमतौर पर दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में जाना जाता है।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि का वित्तपोषण उन संस्थाओं के उद्ग्रहणों एवं प्रतिपूरक प्रभारों से होता है, जो वन भूमि को वनेतर उपयोगार्थ अपवर्तित करती हैं। यह निधि पर्यावरणीय क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु वनीकरण एवं वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सृजित की गई है।

नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम), शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि जनवरी 2015 व मार्च 2021 के मध्य प्रस्तुत 314 मामलों पर दिसंबर 2021 तक क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक एवं अंतिम मंजूरी मिल गई थी। हालांकि चम्बा सर्कल के अधीन तीन मामलों (चुराह मंडल में दो व भरमौर मंडल में एक) में विभाग द्वारा उल्लिखित वन के पारिस्थितिक वर्गीकरण और लागू की गई निवल वर्तमान मूल्य दरों के मध्य असंगतियां पाई गईं। वनों के विवरण में पारिस्थितिकी वर्ग VI दर्शाया गया था, जिसमें निवल वर्तमान मूल्य दरें अधिक हैं, जबकि निवल वर्तमान मूल्य की वास्तविक गणना में पारिस्थितिकी वर्ग IV व V का उपयोग किया गया था, जिनकी दरें कम हैं। पाई गई असंगति के दृष्टिगत, ₹ 80.99 लाख के प्रतिपूरक वनीकरण कोष एवं योजना प्राधिकरण निधि के अव निर्धारण तथा उसके परिणामस्वरूप अल्प वसूली की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

इसी भांति, बिलासपुर मंडल के एक मामले की लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि वन भूमि में मौजूद पौधों को वन घनत्व की गणना में शामिल नहीं किया गया तथापि उपयोगकर्ता एजेंसी से वृक्षों की लागत की वसूली करने के लिए पौधों को वृक्षों के रूप में माना गया। यह मध्यम सघन वन के बजाय खुले वन के रूप में वन घनत्व के अव निर्धारण के रूप में परिणत हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.95 लाख के निवल वर्तमान मूल्य की निधियों का अल्प संग्रहण हुआ, क्योंकि खुले वन के लिए निवल वर्तमान मूल्य दरें कम हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उपरोक्त 314 मामलों में से 158 मामले सड़कों के निर्माण से संबंधित थे। इनमें से 56 मामलों<sup>1</sup> में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना सड़कों का निर्माण किया, अतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। ऐसे 53 मामलों में दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के पश्चात् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गई तथा ₹ 5.01 करोड़ की दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण/निवल वर्तमान मूल्य राशि की वसूली की गई। हालांकि, शेष तीन मामलों में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना/दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

<sup>1</sup> इन मामलों को वन विभाग व हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले संयुक्त निरीक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विनियमितीकरण के लिए एक बार की छूट दी गई थी।




विभाग ने उसके प्रत्युत्तर (मार्च 2024) में बताया कि वह उपयोगकर्ता एजेंसियों पर शास्ति अधिरोपित नहीं कर सका, क्योंकि चरण-1 स्वीकृति प्रदान करते समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (मई 2024) कि वह संबंधित मंडल द्वारा दायर इन मामलों में अधिनियम/दिशानिर्देशों के उल्लंघन को देखने में चूक गया। यह भी बताया कि प्रावधानानुसार दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार को वर्तमान प्रचलित मानदंडों के अनुसार दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण की वसूली करने की अनुशंसा भी की (अप्रैल 2025)।

अतः विभाग ने वास्तविक निवल वर्तमान मूल्य राशि का निर्धारण एवं संग्रहण नहीं किया, जिससे वनों की सुरक्षा/संरक्षण के उपाय सीमित हो गए। विभाग वन के गलत वर्गीकरण के कारण उपयोगकर्ता एजेंसियों से देय अतिरिक्त निवल वर्तमान मूल्य/प्रतिपूरक वनीकरण की वसूली कर सकता है तथा दंडात्मक प्रावधानों को लागू कर सकता है।

यह मामला अप्रैल 2025 में राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2025)।

शिमला

दिनांक: 16 जनवरी 2026

  
(पुरुषोत्तम तिवारी)


प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 02 फरवरी 2026

  
(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट

### परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.2)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सुओ-मोटो उत्तरों का विवरण (31 मार्च 2023 तक)

प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	उत्तरों के प्राप्ति की देय तिथि	विभाग/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	31 मार्च 2023 तक प्राप्त नहीं हुए उत्तर	
					निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2012-13	21.02.2014	20.05.2014	जनजातीय विकास	0	1
	2013-14	10.04.2015	09.07.2015	जनजातीय विकास	0	1 (विषयगत लेखापरीक्षा)
	2014-15	07.04.2016	06.07.2016	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले	0	1 (विषयगत लेखापरीक्षा)
	2015-16	31.03.2017	30.06.2017	गृह	0	2 (विषयगत लेखापरीक्षा)
	2016-17	05.04.2018	04.07.2018	सूचना प्रौद्योगिकी	1	0
				बागवानी (आंशिक रूप से)	0	1 (विषयगत लेखापरीक्षा)*
	2018-19	13.08.2021	12.11.2021	श्रम एवं रोजगार	0	1
				योजना	0	2
				लोक निर्माण विभाग	0	1
	योग					1
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2017-18	14.12.2019	13.03.2020	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	0	1
				हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	0	1
				हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम	0	1

प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	उत्तरों के प्राप्ति की देय तिथि	विभाग/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	31 मार्च 2023 तक प्राप्त नहीं हुए उत्तर	
					निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
	2018-19	13.08.2021	12.11.2021	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम	0	1
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड				0	1	
<b>योग</b>					<b>0</b>	<b>5</b>
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2019-20	15.03.2022	14.06.2022	शिक्षा	0	1 (विषयगत लेखापरीक्षा)
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	1
				लोक निर्माण विभाग	0	1
				भाषा, कला व संस्कृति	0	1 (विषयगत लेखापरीक्षा)
				हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम	0	1
				हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	1
				हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	0	2
				हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	0	1
<b>योग</b>					<b>0</b>	<b>7 (प्रारूप परिच्छेद)+ 2 (विषयगत लेखापरीक्षा)</b>

\* कृषि फसल बीमा योजनाओं पर एक विषयगत लेखापरीक्षा कृषि व बागवानी विभागों से संबंधित है।

हालांकि, बागवानी विभाग के संबंध में सुओ-मोटो उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

## परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.3)

2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा की गई लेखापरीक्षा  
अभ्युक्तियों का विवरण

समिति: प्रतिवेदन का नाम	विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	2022-23 के दौरान चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
			निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	शहरी विकास	2013-14	1	1
		2016-17	0	1
		2017-18	1	0
	योग		2	2
सार्वजनिक उपक्रम समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	2016-17	0	7
		2017-18	0	3
	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	0	1
	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	0	1
	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2017-18	0	1
	योग		0	13

**परिशिष्ट-1.3**

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.3)

**31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा के लिए लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्षवार विवरण**

समिति: प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		31 मार्च 2023 तक लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2008-09 तक	14	114	0	1
	2009-10	2	26	0	5
	2010-11	2	20	0	1
	2011-12	1	19	0	5
	2012-13	3	13	1	5
	2013-14	4	23	0	5
	2014-15	4	28	1	6
	2015-16	5	13	2	4
	2016-17	4	26	2	7
	2017-18	2	21	1	8
	2018-19	2	14	2	11
	2019-20	0	5	0	5
<b>योग</b>		<b>43</b>	<b>322</b>	<b>9</b>	<b>63</b>
सार्वजनिक उपक्रम समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2016-17	1	13	1	1
	2017-18	1	11	1	4
	2018-19	0	10	0	10
	2019-20	0	5	0	5
	<b>योग</b>		<b>2</b>	<b>39</b>	<b>2</b>



## परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4)

विभागों की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन नोट्स की लंबितता का विधानसभा की कार्यावधि-वार विवरण (31 मार्च 2023 तक)

क्र. सं.	विभाग का नाम	लंबित एक्शन टेकन नोट्स							कुल लंबित प्रतिक्रिया
		विधानसभा VII	विधानसभा VIII	विधानसभा IX	विधानसभा X	विधानसभा XI	विधानसभा XII	विधानसभा XIII	
1.	परिवहन	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	दंत चिकित्सा	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	चिकित्सा शिक्षा	0	0	0	0	0	0	1	1
4.	बहुउद्देशीय परियोजनाएं और विद्युत	0	0	0	0	0	0	7	7
5.	अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन	0	0	0	0	0	0	1	1
6.	लोक निर्माण विभाग	0	1	4	2	5	2	16	30
7.	राजस्व	0	1	9	5	9	3	11	38
8.	वन	0	2	2	3	6	4	13	30
9.	जल शक्ति	0	0	0	2	1	1	6	10
10.	कृषि	0	0	0	1	1	0	10	12
11.	उद्योग	1	3	2	3	2	2	6	19
12.	शहरी विकास	0	1	1	0	0	0	4	6
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	2	0	2
14.	उच्च शिक्षा	0	0	0	0	3	0	7	10
15.	तकनीकी शिक्षा	0	0	0	0	1	1	0	2
16.	बागवानी	0	0	1	0	5	3	1	10
17.	ग्रामीण विकास	0	0	0	2	0	0	0	2
18.	आयुष	0	0	0	0	0	0	2	2
19.	मत्स्यपालन	0	0	0	0	0	0	2	2
20.	वित्त	0	0	0	0	2	0	1	3
21.	आबकारी व कराधान	0	0	0	0	4	2	0	6
22.	गृह	0	0	0	0	4	0	0	4
23.	श्रम व रोजगार	0	0	0	0	0	2	0	2
24.	युवा सेवाएं व खेल	0	0	0	0	0	0	2	2
25.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	2	2
26.	सामान्य प्रशासन	0	0	0	2	0	0	0	2
योग		1	8	19	20	43	22	94	207

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सार्वजनिक उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर एकशन टेकन नोट्स की लंबितता का विधानसभा की कार्यावधि-वार विवरण (31 मार्च 2023 तक)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	लंबित एकशन टेकन नोट्स	विधानसभा की कार्यावधि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम	2	XII विधानसभा
2	हिमाचल प्रदेश एगो उद्योग निगम लिमिटेड	1	
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	1	
<b>योग</b>		<b>4</b>	
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	11	XIII विधानसभा
2	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम	1	
3	हिमाचल प्रदेश एगो उद्योग निगम लिमिटेड	1	
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2	
5	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	
6	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	
7	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1	
8	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2	
9	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम	1	
10	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	
<b>योग</b>		<b>28</b>	
1	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1	XIV विधानसभा
2	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम	1	
<b>योग</b>		<b>2</b>	

## परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6)

## विज्ञान दस्तावेज 2020 व 2030 के तहत दोहराए गए लक्ष्य/गतिविधियों के परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	लक्ष्य	विज्ञान दस्तावेज की लक्ष्य संख्या		अनुमानित लक्ष्य/गतिविधियाँ	
		2020	2030	विज्ञान दस्तावेज 2020	विज्ञान दस्तावेज 2030
1				विकलांगता/दिव्यांगता अध्ययन केंद्र	उन्नत विकलांगता/दिव्यांगता अध्ययन केंद्र
2				उन्नत विज्ञान अध्ययन केंद्र	उन्नत विज्ञान अध्ययन केंद्र
3				नैतिकता व मानवीय मूल्य केंद्र	नैतिकता व मानवीय मूल्य केंद्र
4				मानवाधिकार केंद्र	मानवाधिकार केंद्र
5				बहु-विषयक अनुसंधान संस्थान	उन्नत बहु-विषयक अनुसंधान केंद्र
6				दक्षिण-एशिया अध्ययन केंद्र	दक्षिण-एशिया अध्ययन केंद्र
7				अनुवाद केंद्र	अनुवाद अध्ययन केंद्र
8				मनोविज्ञान केंद्र	मनोविज्ञान केंद्र
9				नीति अध्ययन केंद्र	नीति अध्ययन केंद्र
10	शैक्षणिक	1	2	पहाड़ी भाषा व संस्कृति केंद्र/विभाग	पहाड़ी भाषा व संस्कृति केंद्र/विभाग
11				सामाजिक विशिष्ट व समावेशी अध्ययन केंद्र	सामाजिक विशिष्ट व समावेशी अध्ययन केंद्र
12				पारंपरिक ज्ञान प्रणाली केंद्र	पारंपरिक ज्ञान प्रणाली केंद्र
13				विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अभिलेखीय डाटा केंद्र	अभिलेखीय डाटा केंद्र
14				विषय केंद्रित क्लब	2020 के 4 क्लबों का विलय
15				प्राणायाम व ध्यान केंद्र	प्राणायाम व ध्यान केंद्र
16				सभी स्नातकोत्तर व स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली	सभी स्नातकोत्तर व स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली
17				ई-लर्निंग आरंभ	डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग व ऑफ-कैम्पस शिक्षा
1				अत्याधुनिक भौतिकी प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी भौतिकी प्रयोगशाला
2	अनुसंधान	2	3	अत्याधुनिक जैव विज्ञान प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी जैव विज्ञान प्रयोगशाला
3				अत्याधुनिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी मनोविज्ञान प्रयोगशाला

क्र. सं.	लक्ष्य	विज्ञान दस्तावेज की लक्ष्य संख्या		अनुमानित लक्ष्य/गतिविधियाँ	
		2020	2030	विज्ञान दस्तावेज 2020	विज्ञान दस्तावेज 2030
4				उन्नत होटल प्रबंधन प्रयोगशाला	अत्याधुनिक होटल प्रबंधन प्रयोगशाला
5				उन्नत शारीरिक शिक्षा प्रयोगशाला	अत्याधुनिक शारीरिक शिक्षा प्रयोगशाला
6				अत्याधुनिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला
7				अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
8				अत्याधुनिक पत्रकारिता प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी पत्रकारिता प्रयोगशाला
9				अत्याधुनिक दृश्य कला प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी दृश्य कला प्रयोगशाला
10				अत्याधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली	उन्नत तकनीकी प्रबंधन सूचना प्रणाली
11				अत्याधुनिक भूगोल प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी भूगोल प्रयोगशाला
12				अत्याधुनिक भाषा विज्ञान प्रयोगशाला	उन्नत तकनीकी भाषा विज्ञान प्रयोगशाला
1				अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कार्यक्रम का आरंभ	अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नया शैक्षणिक कार्यक्रम
2	संबंधों व गठबंधनों के			विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देना	विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
3	माध्यम से क्षितिज का	3	4	विदेशी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना	विदेशी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करना
4	विस्तार			सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं आरंभ करना	सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं
5				विदेशी छात्रों के लिए आवासीय सुविधा	विदेशी छात्रों के लिए आवासीय सुविधा
1				परिसर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण	परिसर विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण
2				नया शीत शुष्क क्षेत्रीय केंद्र	शीत शुष्क क्षेत्रीय केंद्र
3				मध्य पहाड़ी क्षेत्र में नया क्षेत्रीय केंद्र	मध्य पहाड़ी क्षेत्रीय केंद्र
4				शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में नया क्षेत्रीय केंद्र	शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रीय केंद्र
5	अवसंरचना विकास	4	5	अंतर-राज्य व अंतर-राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र	अंतर-राज्य व अंतर-राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र
6				शोधार्थियों के लिए छात्रावास	शोधार्थियों के लिए छात्रावास
7				विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास	अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रावास
8				आधुनिक इनडोर जिमनाजियम व स्विमिंग पूल	आधुनिक इनडोर जिमनाजियम व स्विमिंग पूल

क्र. सं.	लक्ष्य	विज्ञान दस्तावेज की लक्ष्य संख्या		अनुमानित लक्ष्य/गतिविधियां	
		2020	2030	विज्ञान दस्तावेज 2020	विज्ञान दस्तावेज 2030
9				सम्मेलन कक्ष	नए सम्मेलन कक्ष
10				शिक्षा हेतु अधिक समूह व्याख्यान थिएटर	शिक्षा हेतु समूह व्याख्यान थिएटर
11				प्रकाशन मंडल/मुद्रणालय	विश्वविद्यालय की डिजिटल मुद्रण इकाई
12				उन्नत पार्किंग सुविधाएं व सुरक्षा प्रबंध	आधुनिक पार्किंग सुविधाएं व सुरक्षा प्रबंध
13				सौर ऊर्जा से स्वयं संचालित विद्युत उत्पादन	सौर ऊर्जा से स्वयं संचालित विद्युत उत्पादन
14				वर्षा जल संचयन प्रणाली	वर्षा जल संचयन प्रणाली
15				ऑनलाइन पत्रिकाओं व पुस्तकों के लिए इंटरनेट एक्सेस में वृद्धि	ऑनलाइन पत्रिकाओं व पुस्तकों के लिए इंटरनेट एक्सेस में वृद्धि
16				आयोजन प्रबंधन इकाई	आयोजन प्रबंधन इकाई
17				गैलरी-सह-प्रदर्शनी कक्ष	हिमालयन आर्ट गैलरी-सह-प्रदर्शनी कक्ष
18				वेब-सक्षम विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली	वेब-सक्षम विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली
1				वर्तमान शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाना	वर्तमान शुल्क संरचना का अद्यतन
2				स्व-वित्तपोषण योजना के तहत सीटों में वृद्धि	स्व-वित्तपोषण योजना के तहत सीटों में वृद्धि
3				वर्तमान बस किराए में संशोधन करना	वर्तमान बस किराए में संशोधन करना
4	वित्त व संसाधन	5	6	अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र में नए आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम आरम्भ करना	अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम केंद्र में नए आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम आरम्भ करना
5	सृजन			स्व-वित्तपोषण योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करना	स्व-वित्तपोषण योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करना
6				संसाधन जुटाना	बाहरी वित्तपोषित परियोजनाओं व क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से संसाधन जुटाना
1	ई-गवर्नंस व गुणवत्ता	7	8	प्रशासनिक, वित्तीय व शैक्षणिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण	प्रशासनिक, वित्तीय व शैक्षणिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण
2	आश्वासन			प्रशासनिक व्यावसायिकता को प्रोत्साहन	प्रशासनिक व्यावसायिकता को प्रोत्साहन
3				पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण	पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.9.2)

सीमा क्षेत्र में आवंटित पट्टे का विवरण

क्र. सं.	पट्टेदार का नाम (एस/श्री)	अवधि	खनन साइट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आरक्षित मूल्य की राशि	एल1 की राशि	मांग पत्र जारी करने की तिथि	अनुदान आदेश की तिथि	पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि	पट्टा विलेख रद्द करने की तिथि	समपहरण की गई राशि
1	देवेंद्र सिंह	22/3/2018 से 21/3/2028	5.15.34 नदी तल	33,00,000	40,00,000	3/8/2017	17/2/2018	22/3/2018	17/8/2022	समपहरण नहीं की गई प्रतिभूति
2	गुरजंत सिंह पुत्र लाल सिंह	4/1/2018 से 3/1/2028	10.28.80 नदी तल	67,00,000	70,00,000	1/8/2017	12/10/2017	4/1/2018	17/8/2022	22,06,832
3	किशोरी लाल पुत्र खुशी राम	21/3/2018 से 20/3/2028	5.61.74 नदी तल	36,00,000	43,00,000	2/8/2017	16/2/2018	2/3/2018	17/8/2022	17,37,594
4	रमन कुमार पुत्र श्री धर्म पाल	4/1/2018 से 3/1/2028	7.23.42 नदी तल की खुली नीलामी	47,00,000	52,00,000	3/8/2017	12/10/2017	4/1/2018	17/8/2022	13,80,514
<b>योग</b>				<b>1,83,00,000</b>	<b>205,00,000</b>					<b>53,24,940</b>

## परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.12.5)

## चयनित जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निष्पादित कार्यों की वर्षवार स्थिति

जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	रद्द किए गए कार्यों की कुल संख्या	आरंभ किए गए कुल कार्यों की संख्या	मार्च 2023 तक कुल अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
बिलासपुर	2018-19	0	0	0	0	0	0
	2019-20	11	1.23	0	11	0	0
	2020-21	3	0.56	0	3	0	0
	2021-22	0	0	0	0	0	0
	2022-23	89	41.46	13	76	69	25.03
<b>योग</b>		<b>103</b>	<b>43.25</b>	<b>13</b>	<b>90</b>	<b>69</b>	<b>25.03</b>
शिमला	2018-19	0	0	0	0	0	0
	2019-20	0	0	0	0	0	0
	2020-21	0	0	0	0	0	0
	2021-22	0	0	0	0	0	0
	2022-23	10	0.21	0	10	10	0.21
<b>योग</b>		<b>10</b>	<b>0.21</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0.21</b>
सोलन	2018-19	11	2.27	1	10	10	2.25
	2019-20	14	4.13	4	10	10	2.77
	2020-21	32	20.09	2	30	30	18.74
	2021-22	0	0	0	0	0	0
	2022-23	50	11.74	0	50	50	11.74
<b>योग</b>		<b>107</b>	<b>38.23</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35.50</b>

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	रद्द किए गए कार्यों की कुल संख्या	आरंभ किए गए कुल कार्यों की संख्या	मार्च 2023 तक कुल अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
ऊना	2018-19	4	0.38	0	4	0	0
	2019-20	2	0.04	0	2	0	0
	2020-21	7	2.28	0	7	0	0
	2021-22	37	1.75	0	37	21	0.56
	2022-23	11	0.42	0	11	10	0.4
	<b>योग</b>	<b>61</b>	<b>4.87</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>0.96</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>281</b>	<b>86.56</b>	<b>20</b>	<b>261</b>	<b>210</b>	<b>61.70</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी।



## परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.12.6)

## चयनित जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट में स्वीकृत अपात्र कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	ट्रस्ट द्वारा अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन एजेंसी
1.	मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन कैमरे)	10.00	10.00	09.12.2020	पुलिस अधीक्षक, सोलन
2.	मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन कैमरे)	10.00	10.00	09.12.2020	पुलिस अधीक्षक, बददी, जिला सोलन
3.	पुलिस उपमंडल दाइलाघाट में सीसीटीवी कैमरों को इनस्टॉल करना	29.58	29.58	05.03.2021	पुलिस अधीक्षक, सोलन
4.	विभिन्न पंचायतों मंगल, बग्गा करोग, कोटलू, कश्लोग, सेवरा चंडी, संधोई, मंगू व जियाना में ओपन एयर जिम	24.00	24.00	09.05.2022	खंड विकास अधिकारी, कुनिहार
5.	जंगली व आवारा जानवरों के नियंत्रण हेतु सहायक उपकरणों के साथ टेलीडार्ट गन उपलब्ध कराना तथा पशु ट्रॉमा केंद्र की पूर्णता	6.00	6.00	20.11.2019	उप निदेशक, पशुपालन, बिलासपुर
6.	स्वास्थ्य अवसंरचना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पार्किंग का निर्माण	300	300	28.05.2022	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल
7.	जल शक्ति उपमंडल बिलासपुर के अंतर्गत वर्षा से हुई हानि की बहाली (एसएच: लिफ्ट जल आपूर्ति योजना बध्यात के ऊपरी हिस्से में स्थानीय नाले का तटीकरण)	25.66	25.66	28.05.2022	अधिशायी अभियंता, जल शक्ति विभाग मंडल, बिलासपुर
8.	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना जुखाला के स्रोत के निकट अली खड्ड पर डाइक का निर्माण	10.93	10.93	20.11.2019	अधिशायी अभियंता, जल शक्ति विभाग मंडल, बिलासपुर
9.	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना भोली पहलवां के स्रोत के निकट अली खड्ड पर डाइक का निर्माण	11.40	11.40	20.11.2019	अधिशायी अभियंता, जल शक्ति विभाग मंडल, बिलासपुर
10.	जिला बिलासपुर के लुहणु क्षेत्र में मिट्टी भराई सहित गोविंद सागर झील तक जेट्टी का निर्माण कार्य	6.1	6.1	28.05.2022	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल
11.	उच्च-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की खरीद	10.00	10.00	11.01.2019	पुलिस अधीक्षक, ऊना
12.	जिला पुलिस ऊना द्वारा ड्रोन कैमरा इनस्टॉल करना	4.00	4.00	22.05.2020	पुलिस अधीक्षक, ऊना
13.	अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से एक ड्रोन कैमरा व तीन नाइट विज़न दूरबीनों की खरीदारी	8.00	8.00	23.07.2021	पुलिस अधीक्षक, ऊना
14.	स्वान नदी क्षेत्र में खनन/गश्त कार्य हेतु दो वाहन किराए पर लेने हेतु शुल्क	3.39	3.39	28.04.2022	पुलिस अधीक्षक, ऊना
योग		459.06	459.06		

**परिशिष्ट-3.4**

(संदर्भ: परिच्छेद 3.12.9)

**कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रद्द की गई परियोजनाओं का विवरण**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	सोलन	आरडी 6/000 पर गिआना विद्यालय के पास वर्षा शालिका का निर्माण	1.08	1.08	अधिकांश अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अर्की।
2		बम्बीरा में मंगू बम्बीरा सड़क पर 3/000 किलोमीटर में वर्षा शालिका का निर्माण	1.17	1.17	
3		भलाग शालिका में भलाग नाला की खरसी मंगल सड़क पर 12/255 किलोमीटर में वर्षा आश्रय का निर्माण।	1.17	1.17	
4		सितिघाट देवरघाट से देवीधर टेंडर बग्गा उपर सूड़न लोअर सूड़न तक 0/000 से 9/750 किलोमीटर सड़क का निर्माण (एसएच: 0/000 से 9/750 किलोमीटर में फॉर्मेशन कटिंग)	113.47	20.00	
5		सितिघाट देवरघाट से देवीधर टेंडर बग्गा अपर सूड़न लोअर सूड़न तक 0/000 से 9/750 किलोमीटर सड़क तक का निर्माण (एसएच: विभिन्न आरडी पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण)	20.50	20.50	
6		ग्राम गिआना, तहसील अर्की, जिला सोलन में कार पार्किंग के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण	53.33	10.00	
7		हवानी से मुंडखर तक 0/000 से 1/200 किलोमीटर की लिंक सड़क का निर्माण (एसएच: 5/7 मीटर फॉर्मेशन कटिंग, रिटेनिंग वॉल्स, सी.डी. कार्य पी/एल सोलिंग जी-I, II, III, पी/एल मेटलिंग व टेरिंग, वी-सरफेस ड्रेन व पैरापेट 0/000 से 1/200 किलोमीटर में)	81.91	20.00	
<b>योग</b>			<b>272.63</b>	<b>73.92</b>	

## परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.13)

## चयनित जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट में सर्वेक्षण प्रश्नों पर लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं

क्र. सं.	प्रश्न	चयनित जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया								योग	
		बिलासपुर		शिमला		सोलन		ऊना			
		हां	ना	हां	ना	हां	ना	हां	ना	हां	ना
1	खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना” नामक योजना के बारे में जागरूकता	18	309	07	113	15	369	05	246	45 (4)	1037 (96)
2	क्या आपने इस योजना के तहत जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में कभी सुना?	19	308	04	116	15	369	05	246	43 (4)	1039 (96)
3	इस योजना के तहत “प्रभावित गांवों” की सूची में शामिल उनके गांव के बारे में जागरूकता	02	325	01	119	08	376	01	250	12 (1)	1070 (99)
4	इस योजना के अंतर्गत “प्रभावित लोगों” की सूची में अपना नाम होने के बारे में जागरूकता	03	324	-	120	04	380	-	251	7 (1)	1075 (99)
5	निम्नलिखित की उपलब्धता से संतुष्टि:-										
	i. विद्यालय	246	81	120	-	365	19	188	63	919 (85)	163 (15)
	ii. अस्पताल	206	121	109	11	233	151	185	66	733 (68)	349 (32)
	iii. जल आपूर्ति	190	137	68	52	308	76	120	131	686 (63)	396 (37)
	iv. कौशल विकास	213	114	120	-	348	36	128	123	809 (75)	273 (25)
	v. सड़कें	54	273	45	75	138	246	170	81	407 (38)	675 (62)
	vi. बिजली	300	27	120	-	372	12	189	62	981 (91)	101 (9)
6	ग्राम स्तर पर संचालित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना/जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट परियोजनाओं के प्रति जागरूकता	12	315	32	88	16	368	23	228	83 (8)	999 (92)
7	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत	45	282	120	-	250	03*	119	129	534 (49)	414 (38)

क्र. सं.	प्रश्न	चयनित जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया								योग	
		बिलासपुर		शिमला		सोलन		ऊना			
		हां	ना	हां	ना	हां	ना	हां	ना	हां	ना
	सृजित परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ										
8	ग्राम हेतु बनाई गई परिसंपत्तियों की उपयोगिता	45	282	120	-	248	131	122	128	535 (49)	541 (51)
9	ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी	179	146	119	1	194	190	90	160	582 (53)	365 (34)
10	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन	57	270	119	1	74	242	19	77	269 (25)	590 (55)
11	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन	22	303	-	120	26	296	14	75	62 (6)	794 (73)
12	गांव में बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता के लिए जिला/खंड स्तर के कार्यालयों से परामर्श किया गया।	18	307	-	120	17	367	14	70	49 (5)	843 (78)

टिप्पणी: जहां भी सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या व प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या के बीच अंतर है, यह इंगित करता है कि कुछ लाभार्थियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

## परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.8 &amp; 4.5.9)

## आठ मंडलों की 24 चयनित योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
1		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ग्राम पंचायत जांगला, तहसील चिडगांव, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में पब्लर नदी से कुलगांव व उसके आसपास के क्षेत्र तक बागवानी भूमि के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	399.2	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 801.5 लाख	आईपीएच-सी.ई(एसजेड)-सीटीआर-29-738-टी/एस-प्रोव.एलआईएस हॉट.लैंड पब्लर नदी से कुलगांव तक.2018-9791-9 दिनांक 29.11.2018, ₹ 801.59 लाख	974.49	मार्च 2020	पूर्ण	17.03.2021
2	रोहड़	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ग्राम पंचायत पुजारली नंबर-3 एवं हनस्तरी, तहसील रोहड़, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में खिलावन खड्ड से पुजारली नंबर-3 ग्राम समूह की बागवानी भूमि के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध करना	448.9	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 803 लाख	पत्र संख्या आईपीएच सी.ई(एसजेड)-सीटीआर-29-710-टी/एस- 2018-2839-42 दिनांक 28.04.2018, ₹ 800.26 लाख	935.74	मार्च 2020	पूर्ण	30.06.2023
3		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	धमवानी से जमुती तक बागवानी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध करना, जिसमें खरोट व तहसील चिडगांव, जिला शिमला	433.8	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 710 लाख	पत्र संख्या आईपीएच-सी.ई.(एसजेड)-सीटीआर-29-720-टी/एस-एलआईएस-हॉट.लैंड धामवाणी, जमुटी, खरोट (चिडगांव)/2018-	750.92	मार्च 2020	अपूर्ण	लागू नहीं

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के निर्यातक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
4		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	(हिमाचल प्रदेश) के गांव भी शामिल है। चगावटी खड्ड से ग्राम पंचायत कलबोग-नागन एवं रामनगर, तहसील कोटखाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	1031.2	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 1920 लाख	8764-67 दिनांक 25.10.2018, ₹ 710.79 लाख आईपीएच-सी.ई(एसजेड)-सीटीआर-29-726-टी/एस-एलआईएस-हॉट. लैंड चंगावटी खड्ड से ग्राम पंचायत कलबोग-नागन एवं रामनगर तक-2018-9265-68 दिनांक 17.11.2018, ₹ 1918.12 लाख	1677.26	मार्च 2020	अपूर्ण	लागू नहीं
5	जुब्बल	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	दरकोटी व गारेओग पंचायत, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश) के अंतर्गत आने वाले दरकोटी व गारेओग की बागवानी भूमि को गिरतु से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना।	347.5	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 628 लाख	पत्र संख्या आईपीएच-सी.ई.(एसजेड)-सीटीआर-29-698-टी/एस-एलआईएस-हॉट.लैंड दरकोटी गारेओग (कोटखाई)(जे)/2018-2843-46 दिनांक 28/04/2018, ₹ 615 लाख	818.5	मार्च 2020	पूर्ण	07.04.2022
6		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ग्राम पंचायत रावला कियार एवं तहसील रामनगर जिला कोटखाई शिमला (हिमाचल प्रदेश) के साथ लगे क्षेत्रों को सम्मिलित करके ग्राम पंचायत हिमरी में चगावटी खड्ड से थरमाला तक	433	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 844.1 लाख	पत्र संख्या आईपीएच-सी.ई.(एसजेड)-सीटीआर-29-727-टी/एस-एलआईएस-हॉट.लैंड चंगावटी खड्ड से थरमाला (कोटखाई)/2018-8809-12 दिनांक	837.23	मार्च 2020	पूर्ण	20.08.2022

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
			बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।			27/10/2018, ₹ 842.1 लाख				
7		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	नाहन तहसील में लिफ्ट सिंचाई योजना मैनथापाल, नागल सुकेती, मोगीनंद-III खादरी, मंडेरवा, कोनश्रीन, मीरापुर कोटला, चूरन बनकला, शंभूवाला	127.57	आईपीएच-केएन-डब्ल्यूएस(पी)आरआई डीएफ-XXIV/18-6010-12 दिनांक 23.08.2018, ₹ 65.42 लाख	आईपीएच-आईसीएन(एन)टीएस11605-10, दिनांक 26.02.2019, ₹ 61.74 लाख	65.42	मार्च 2021	अपूर्ण	लागू नहीं
8	नाहन	हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास	तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में कमांड क्षेत्र विकास लिफ्ट सिंचाई योजना कून	27.49	पत्र संख्या: आईसीएन-आईसीएन-डब्ल्यूएस(एन)एलआई एस कून/17-11523-31, दिनांक 29.11.2017, ₹ 17.62 लाख	पत्र संख्या: पीडब्ल्यू-आईपीएच(एन) डीबी-कौरसनाहन/2017-11955, दिनांक 22.12.2017, ₹ 10.52 लाख	25.68	नवंबर 2018	पूर्ण	मार्च 2021
9		हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास	तहसील नाहन जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में लिफ्ट सिंचाई योजना पलियन का कमांड क्षेत्र विकास	75.3	पत्र संख्या: आईसीएन-डब्ल्यूएस(एन)एलआई एस पलियन-18-1170-78, दिनांक 25.04.2018, ₹ 50.53 लाख	पत्र संख्या: आईपीएच-आईसीएन-डब्ल्यूएस(एन)एलआई एस पलियन/2018-5886-87, दिनांक 25-08-2018, ₹ 28.62 लाख	42.81	अप्रैल 2019	पूर्ण	29.12.2021
10	नोहराधार	प्रधानमंत्री कृषि	तहसील संगराह, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में	136.27	पत्र संख्या: आईपीएच-बी (एफ)5-आईपीएच-बी	पत्र संख्या: आईपीएच-सीई(एसजेड)-सीटीआर-29-	630.93	मार्च 2020	पूर्ण	31.05.2023

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के निर्यातक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	क्रिया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
		सिंचाई योजना	ग्राम पंचायत राजना के गांव राजना एवं ग्राम पंचायत बौनाल, काकोग व मैना घरेल के गांवों के समूह को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।		4/2014, दिनांक 20/09/2017, ₹ 630.93 लाख	लूज-टीएस-प्रोव. एलआईएस राजना जिला सिरमौर/2018-11596-99, दिनांक 26.12.2018, ₹ 632.43 लाख				
11		एससीएसपी	गांव सताहन, ग्राम पंचायत सताहन, तहसील अंगराह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रवाह सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	151.59	पत्र संख्या: आईपीएच-आईसीएन-डब्ल्यूएस(नोहरा)एफ आईएस सताहन/2017-14413-21, दिनांक 02.01.2017, ₹ 89.38 लाख	पत्र संख्या: आईपीएच-डब्ल्यूएस(सोलन)एफआईएस सताहन/2017-1779-80, दिनांक 06.05.2017, ₹ 89.23 लाख	30.76	जनवरी 2020	अपूर्ण	लागू नहीं
12		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	ग्राम पंचायत सेर टेंडुला, तहसील नोहराधार, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में गांव पाबोर कुफ्टू हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	45.71	पत्र संख्या: आईपीएच-केएन-डब्ल्यूएस(पी)आरआई डीएफ-XXIV/18-6010-12, दिनांक 28.08.2018, ₹ 209.38 लाख	पत्र संख्या: आईपीएच-आईसीएन(एन) टीएस 11253-59 दिनांक 12/02/2019 ₹ 195.20 लाख	209.38	फरवरी 2020	पूर्ण	जात नहीं है/अज्ञात
13	करसोग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ग्राम पंचायत पांगणा के गांव पंजन् से छंदयारा तक लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	54.29	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 123.91 लाख	एसई-आईपीएच-एसएनआर-डब्ल्यूएस-करसोग/2017/19111-13,	123.91	मार्च 2020	पूर्ण	31.03.2023



क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
14		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	ग्राम पंचायत गोवालपुर, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के लिए चाखना तुम्मन लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	44.1	आईपीएच-बी(एफ) 5-13/2018 दिनांक 09.07.2019, ₹ 204.73 लाख	पत्र संख्या आईपीएच-एसई-एसएनआर-डब्ल्यूए-केएसजी-2019/12270-72 दिनांक 19.09.2019, ₹ 208.51 लाख	119.68	31.03.24	अपूर्ण	लागू नहीं
15		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई योजना शाकरा का पुनर्निर्माण	71	पत्र संख्या आईपीएच-बी (सी)12/10/2011-1 दिनांक 02/12/2014, ₹ 82.5 लाख	पत्र संख्या आईपीएच-एसई-एसएनआर-डब्ल्यूए-करसोग-79/2015-2874-77 दिनांक 23.05.2015, ₹ 83.1 लाख	122.01	23.05.18	पूर्ण	05.06.2022 (एमबी क्रमांक 7489 के अनुसार)
16		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में चिरडी धार, चंद्र, खातेरवारी एवं भराड़ी प्रवाह सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	172.89	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 416.3 लाख	आईपीएचसीईएमजेड/2018-3682-87 दिनांक 11.06.2018, ₹ 419.58 लाख	416.30	मार्च 2020	पूर्ण	मार्च 2021
17	सुंदरनगर	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	सुंदरनगर तहसील, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में कोलडेम से सनिहान व धवल लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	106.87	आईपीएच-बी(एफ)5-13/2018-1 दिनांक 02.09.2021 ₹ 532.8 लाख	जेएसवी-सीईएमजेड/21-620-25, दिनांक 20-04-2022, ₹ 442.39 लाख	419.86	मार्च 2024	अपूर्ण	लागू नहीं
18		प्रधानमंत्री कृषि	सुंदरनगर तहसील, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में जराल से जुगाहन तक प्रवाह	87.47	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014	पत्र संख्या: आईपीएच-एसई-एसएनआर-डब्ल्यूए-एसएनआर-23/2017-	187.2	मार्च 2020	पूर्ण	जुलाई 2021

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के निर्यातक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
19		सिंचाई योजना	सिंचाई योजना उपलब्ध कराना		दिनांक 20/09/2017, ₹ 200.37 लाख	18/9821-23, दिनांक 05.02.2018, ₹ 199.92 लाख				
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	तहसील व जिला कुल्लू में भल्याणी, भूमतीर व ब्राह्मण लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	587.5	पत्र संख्या: आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014, दिनांक 20/09/2017, ₹ 1462.7 लाख	आईपीएचसीईएमजेड/2018-3267-72 दिनांक 01.06.2018, ₹ 1305.94 लाख	1,012.17	मार्च 2020	अपूर्ण	लागू नहीं
20	कुल्लू-I	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	सेउंड हाथीथान लिफ्ट सिंचाई योजना	343.06	पत्र संख्या आईपीएच-बी (सी) 12-5/2011-आई दिनांक 04/07/2012, ₹ 994.58 लाख	पत्र संख्या: सी.ई(एमजेड)क सा-II-एलआईएस सेउंड हाथीथान/13:-3439-43, दिनांक 12-07-2013, ₹ 984.73 लाख	922.3	जुलाई 2016	पूर्ण	13.05.2020
21		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	भुंतर तहसील, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में पिरडी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	40.5	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 100.8 लाख	पत्र संख्या आईपीएच.-ए-IV-एलआईएस पिरडी/2017-18 दिनांक-20.01.2018, ₹ 105.78 लाख	140.49	मार्च 2020	पूर्ण	14.04.2022
22	लारजी स्थित कुल्लू-II	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	बंजार तहसील, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में धारू रोपा शराई व सिधवान लिफ्ट सिंचाई योजना।	54.8	पत्र संख्या आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014 दिनांक 20/09/2017, ₹ 136.5 लाख	पत्र संख्या: एस.ई-आईपीएचके.-एलआईएस-डब्ल्यू-IV-एलआईएस धारू रोपा शराई/2017-18, दिनांक 27/02/2018, ₹ 135.65 लाख	184.46	मार्च 2020	पूर्ण	30.07.2022

क्र. सं.	मंडल का नाम	जिस योजना के तहत स्वीकृत हुई	योजना का नाम	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योजना का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति	योजना की तकनीकी स्वीकृति	किया गया व्यय (₹ लाख में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	योजना की स्थिति	वास्तविक पूर्णता तिथि
23		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	भुंतर तहसील, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायत नराईश, हुरला, दिवार आदि में भामी नाला लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	566.94	एसबी-आईपीएचके-डब्ल्यूएस-डब्ल्यूए-॥नाबार्ड/2017-18/2071-74, दिनांक 17.10.2017, ₹ 1062.95 लाख	आईपीएचसीईएमजेड-डब्ल्यूए4-3604-09, दिनांक 24.06.2019, ₹ 647.33 लाख	719.34	अक्टूबर 2020	अपूर्ण	लागू नहीं
24		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	भुंतर तहसील, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में नेओल नौटोड लिफ्ट सिंचाई योजना।	31.1	पत्र संख्या: आईपीएच-बी (एफ)5-4/2014, दिनांक 20/09/2017, ₹ 75.2 लाख	पत्र संख्या: एसई-आईपीएचके-एलआईएस-डब्ल्यूए-IV-एलआईएस नेओल नौटोड-2017-18, ₹ 78.77 लाख	113.33	मार्च 2020	पूर्ण	19.04.2021 (पीसीआर की तिथि)

## परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.8.1)

### नमूना-जांचित मंडलों में चयनित योजनाओं में कार्य को अनियमित रूप से छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करना

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मंडल का नाम	क्र.स	योजना का नाम	समझौतों की संख्या	आवृत्त राशि	योजना की स्थिति
1	जुबल	1	ग्राम पंचायत रावला कियार एवं तहसील रामनगर जिला कोटखाई शिमला (हिमाचल प्रदेश) के साथ लगे क्षेत्रों को शामिल करके ग्राम पंचायत हिमरी में चगावटी खड्ड से थरमाला तक बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	4	6.70	पूर्ण
2	करसोग	2	ग्राम पंचायत गोवालपुर तहसील करसोग में चाखना तुम्मन लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	35	1.29	अपूर्ण
3		3	छंदयारा पंजानु लिफ्ट सिंचाई योजना	20	0.93	पूर्ण
3	कुल्लू-1	4	ग्राम पंचायत शकरा, तहसील करसोग में शकरा लिफ्ट सिंचाई योजना का पुनर्निर्माण	41	1.05	पूर्ण
3		5	भुंतर तहसील में पिरड़ी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध करना	7	0.98	पूर्ण
4	लारजी स्थित कुल्लू-11	6	भुंतर तहसील में ग्राम पंचायत नराईश, हुरला व दियार आदि में भामी नाला हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना	5	4.70	अपूर्ण
4		7	धारू रोपा शराई व सिधवान बजर तहसील में लिफ्ट सिंचाई योजना	11	0.99	पूर्ण
5	नाहन	8	नाहन तहसील में लिफ्ट सिंचाई योजना मैन्थापाल, नागल सुकेती, मोगीनंद-11। खदरी, मंडेरवा, कोनथोन, मीरापुर कोटला, चूरन बनकला, शंभूवाला	5	0.43	अपूर्ण
5		9	तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में कूल लिफ्ट सिंचाई योजना	3	0.07	पूर्ण
6	नोहराधार	10	तहसील नाहन में पलियन लिफ्ट सिंचाई योजना का कर्मांड क्षेत्र विकास	4	0.15	पूर्ण
6		11	ग्राम पंचायत लडुला में लिफ्ट सिंचाई योजना पाबोर कुपट्ट उपलब्ध कराना	10	1.71	पूर्ण
6	नोहराधार	12	तहसील संगराह में ग्राम पंचायत राजना, बौनाल, काकोग व मैना घौल के गांव राजना एवं गांवों के समूह को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	13	5.16	पूर्ण
6		13	ग्राम पंचायत जांगला में पबबर नदी से कुलगांव व उसके आसपास के क्षेत्र तक बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना	12	5.18	पूर्ण
7	रोहड़ू	14	तहसील रोहड़ू में ग्राम पंचायत पुजारली सं:3 व हस्तारी में खितावन खड्ड से पुजारली सं:3 तथार गांवों के समूह तक बागवानी भूमि उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	9	6.66	पूर्ण
7		15	बागवानी क्षेत्र धामवानी से जमुती तक लिफ्ट सिंचाई योजना जिसमें खरोट व चिडगांव तहसील के गांवों के समूह शामिल है	6	6.67	अपूर्ण
8	सुंदर नगर	16	सुंदरनगर तहसील में कोलडैम से सनिहान व धवल लिफ्ट सिंचाई योजना	5	3.02	अपूर्ण

क्र.स.	मंडल का नाम	क्र.स	योजना का नाम	समझौतों की संख्या	आवंटित राशि	योजना की स्थिति
		17	सुंदरनगर तहसील के चिरडी धार, बोधल, चंद्र, चम्बी, खातेरवारी व भराडी के लिए प्रवाह सिंचाई योजना उपलब्ध कराना।	14	2.06	पूर्ण
		18	तहसील सुंदरनगर में जुगाहन से जराल प्रवाह सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	10	0.50	पूर्ण
<b>योग</b>				<b>214</b>	<b>48.25</b>	

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.8.2)

नमूना-जांचित मंडलों में कार्यों के आवंटन में विलंब के परिणामस्वरूप समय/लागत में वृद्धि

क्र. स.	योजना	स्वीकृत		आवंटित कार्य		पूर्णता समय/अपूर्ण		पूर्ण होने का निर्धारित समय	मार्च 2023 तक समय सीमा की वृद्धि	(राशि ₹ करोड़ में)	
		माह	राशि	कार्यों की संख्या	के बीच आवंटित	लिया गया समय (माह)	दिनांक/ माह				व्यय
<b>जुबल</b>											
1	चगावटी खड्ड से ग्राम पंचायत कालबोग-नागन व राम नगर, तहसील कोटखाई तक लिफ्ट सिंचाई योजना	20-09-2017	19.20	27	03/2019 से 6/2022	15 से 56 माह	अपूर्ण	16.77	मार्च 2020	36 माह	लागू नहीं
2	चगावटी खड्ड से थरमाला तक बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	8.44	4	12/2018 से 11/2020	13 से 37 माह	20.08.2022	8.37	मार्च 2020	28 माह	लागू नहीं
3	दरकोटि व गारेओग पंचायत, तहसील कोटखाई के अंतर्गत आने वाले दरकोटि व गारेओग की बागवानी भूमि को गिरट्ट नाला से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	20-09-2017	6.28	1	02/2019	17 माह	07.04.2022	8.19	मार्च 2020	24 माह	1.91
<b>करसोग</b>											
4	ग्राम पंचायत शकरा तहसील करसोग, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) में लिफ्ट सिंचाई योजना शकरा का पुनर्निर्माण	02-12-2014	0.83	1	02/2016	14 माह	05.06.2022	1.22	May 2018	48 माह	0.39
<b>कुल्लू-</b>											
5	तहसील भुंतर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में पिछी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	1.01	7	14/1/2018 to 26/03/2022	13 से 54 माह	14.04.2022	1.40	मार्च 2020	24 माह	0.39
6	तहसील व जिला कुल्लू में भल्यानी, भूमतीर व बाहमण लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	14.63	1	03-08-2019	22 माह	अपूर्ण	10.12	मार्च 2020	36 माह	लागू नहीं
<b>बारजी स्थित कुल्लू-</b>											
7	तहसील बंजार, जिला कुल्लू में धारू रोपा शराई व सिधवान लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	1.37	11	15/12/2018 से 15/07/2022	14 से 57 माह	30.07.2022	1.84	मार्च 2020	27 माह	0.47

क्र. स.	योजना	स्वीकृत		आवंटित कार्य			पूर्णता समय/अपूर्ण		पूर्ण होने का निर्धारित समय	मार्च 2023 तक समय सीमा की वृद्धि	लागत वृद्धि
		माह	राशि	कार्यों की संख्या	के बीच आवंटित	लिया गया समय (माह)	दिनांक/ माह	व्यय			
8	तहसील भुंतर, जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत नराईश, हुंरला व दियार आदि में भामी नाला हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण	28-09-2017	10.63	5	03/2019 से 07/11/2020	18 से 37 माह	अपूर्ण	7.11	अक्टूबर 2020	25 माह	लागू नहीं
<b>रोहड़</b>											
9	ग्राम पंचायत जांगला, तहसील चिडगांव के कुलगांव व आसपास का क्षेत्र में बागवानी	20-09-2017	8.02	12	6/2019 व 10/2022	21 से 60 माह	17.03.2021	9.74	मार्च 2020	12 माह	1.72
10	ग्राम पंचायत पुजारली सं-3 में खिलावन खड्ड पुजारली सं-3 के गांवों के समूह तक बागवानी भूमि को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	8.03	9	1/2019 से 9/2022	15 से 59 माह	30.06.2023	9.36	मार्च 2020	36 माह	1.33
11	चिडगांव तहसील के खरोट गांव समूह को शामिल करते हुए धामवानी से जमुती तक के बागवानी क्षेत्र को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	7.10	6	3/2019 से 3/2021	17 से 41 माह	अपूर्ण	7.51	मार्च 2020	36 माह	0.41
<b>सुंदर नगर</b>											
12	तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) में जुगाहन से जराल तक फ्लो सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	20-09-2017	2.00	10	15/09/2018 से 31/03/2023	11 से 66 माह	जुलाई 2021	1.87	मार्च 2020	15 माह	लागू नहीं
13	सुंदरनगर तहसील में कोलडेम से सनिहान व धवल लिफ्ट सिंचाई योजना	02-09-2021	5.32	5	14/10/2022 से 31/07/2023	12 से 21 माह	अपूर्ण	4.20	मार्च 2024	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.8.3)

नमूना-जांचित मंडलों में सिंचाई योजनाओं के कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण/वसूली न किया जाना

क. ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण न किया जाना							
क्र. सं.	मंडल	क्र.सं.	योजना	समझौतों की संख्या	पूर्ण होने तक विलंब सीमा (माह में)/मार्च 2023	निविदा राशि (₹)	विलंब के लिए क्षतिपूर्ति (निविदा राशि का 10 प्रतिशत)(₹)
1	करसोग	1	लिफ्ट सिंचाई योजना चाखना तुम्मन उपलब्ध कराना	4	26 से 45 माह	59,98,269	5,99,827
		2	ग्राम पंचायत पंगना में छंदयारा हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना पंजानू	2	आठ से 34 माह	59,99,909	5,99,991
		3	लिफ्ट सिंचाई योजना शकरा का पुनर्निर्माण	1	69 माह	87,54,833	8,75,483
2	कुल्लू-1	4	तहसील भुंतर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में पिरडी हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	1	22 माह	84,30,405	8,43,041
		5	तहसील एवं जिला कुल्लू में भल्याणी, भुमतीर एवं ब्राह्मण लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	1	19 माह	12,10,65,835	1,08,95,925 (निविदा राशि का केवल नौ प्रतिशत ही उद्ग्रहित किया गया)
3	नाहन	6	लिफ्ट सिंचाई मुख्य थापल नागन सुकेती	1	19 माह	20,86,820	2,08,682
		7	ग्राम पंचायत जांगला में पबबर नदी से कुलगांव व उसके आसपास के क्षेत्र हेतु बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना	2	26 से 39 माह	4,77,69,218	47,76,922
4	रोहड़	8	ग्राम पंचायत पुजारली सं-3 में खिलावन खड्ड पुजारली सं-3 से गांवों के समूह को बागवानी भूमि हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना	2	29 व 33 माह	6,30,75,464	63,07,546
		9	तहसील चिडगांव के धामवानी से जमुती तक के क्षेत्र में खरोट एवं अन्य गांवों को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	4	18 से 42 माह	6,62,32,368	66,23,237
<b>योग</b>						<b>32,94,13,121</b>	<b>3,17,30,654</b>



क्र.सं.	मंडल	क्र.सं.	योजना	समझौतों की संख्या	पूर्ण होने तक विलंब सीमा (माह में)/मार्च 2023	निविदा राशि	विलंब के लिए क्षतिपूर्ति (निविदा राशि का 10 प्रतिशत)
<b>ख. ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए लगाए गए क्षतिपूर्ति की वसूली न होने का विवरण</b>							
1	जुबबल	1	तहसील कोटखाई की ग्राम पंचायत कालबोग-नागान व राम नगर को चगांवती खड्ड लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	1	24 माह	6,78,53,553	67,85,355
2	कुल्लू-I	2	तहसील कुल्लू में लिफ्ट सिंचाई योजना भल्याणी, भूमतीर व ब्राह्मण उपलब्ध कराना	1	19 माह	12,10,65,835	12,10,658
3	लारजी स्थित	3	तहसील भुंतर की ग्राम पंचायत नराईश, हुरला व दियार आदि में भामी नाला हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण	1	18 माह	3,84,16,165	38,41,617
	कुल्लू-II			1	25 माह	7,76,40,186	5,18,107
<b>योग</b>						<b>30,49,75,739</b>	<b>1,23,55,737</b>

**परिशिष्ट-4.5**

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.2)

**नमूना-जांचित मंडलों में अन्य योजनाओं/कार्यों के लिए निधियों के व्ययवर्तन का विवरण**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	मंडल	योजना	के तहत प्राप्त निधियां	वाउचर सं./समझौता संख्या/मांग पत्र सं. एवं तिथि/एमएस सं.	राशि	जिस उद्देश्य के लिए व्ययवर्तन किया गया
1	रोहड़	खिलावन खड्ड पुजारली सं.3 से बागवानी भूमि के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	05 का 03/2019	11,25,000	कार्यालय व्यय
		धामवानी से जमुती तक बागवानी क्षेत्र की लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना, जिसमें खरोट व गाव के समूह को शामिल किया गया है	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	एनएमआर-240 दिनांक 09/2019; एनएमआर-250 दिनांक 10/2019; 253 दिनांक 10/19; एमएस संख्या खंड सी पृष्ठ 1 7 मामले	3,25,000	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना मोरनीपानी तहसील रोहड़ का आर/एम; स्टॉक भंडारण (एसएच: सीसी नाली व उप-मंडल भवन रोहड़ का निर्माण); आईपीएच अनुभाग रोहड़ में विभिन्न लिफ्ट जल आपूर्ति योजना व जीडब्ल्यूएसएस का आर/एम; स्टॉक भंडारण (रोहड़ में स्टोर भवन के पीछे आर/दीवार); प्रोव. तहसील रोहड़ में रोहड़ शहर के लिए सीवरेज प्रणाली; आर/आर जमुटी से धमवानी तहसील रोहड़ तक प्रोव एलआईएस बागवानी भूमि को हानि पहुंचाता है; तथा प्रोव. पब्लर से ग्राम परसाचौपरी सिधरोटी तहसील रोहड़ तक बागवानी भूमि के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना (7 मामले)
2	जुब्बल	ग्राम पंचायत कलबोग-नागान व राम नगर को लिफ्ट सिंचाई योजना चंगावटी खड्ड उपलब्ध कराना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	146, 2020-21	1,01,568	उप-मंडल गुम्मा कार्यालय भवन की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल
				150, 2020-21	1,34,693	उप-मंडल गुम्मा कार्यालय भवन की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल
				151, 2020-21	1,01,568	उप-मंडल गुम्मा कार्यालय भवन की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल
				153, 2020-21	3,97,159	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना पुराग चरण 1 व 2 के सम्प वेल की जैकेटिंग
				29, 3/2021	1,00,720	एसए ब्रॉड के डेस्कटॉप मॉडल वेरिफन की खरीद

क्र. सं.	मंडल	योजना	के तहत प्राप्त निधियां	वाउचर सं./समझौता संख्या/मांग पत्र सं. एवं तिथि/एमएस सं.	राशि	जिस उद्देश्य के लिए व्ययवर्तन किया गया
		दरकोटि व गारेओग पंचायत, तहसील कोटखाई जिला कोटखाई के अंतर्गत आने वाले दरकोटि व गारेओग की बागवानी भूमि को गिरट्ट नाला से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	23, 11/2020	14,325	प्रिंट स्कैन व कॉपी सुविधा के साथ प्रिंटर "ब्रदर मोनो एमएफपी मॉडल डीसीपी एल2531" डीडब्ल्यू की खरीद
		लिफ्ट सिंचाई योजना चंगावटी खड्ड थरमला	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	24, 11/2020	92,882	इंटेल् कोर आई5 9वीं पीढ़ी आदि के साथ 2 डेल डेस्कटॉप की खरीद।
3	नाहन	तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में पालियन लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	25, 11/2020	14,325	प्रिंट स्कैन व कॉपी सुविधा के साथ प्रिंटर "ब्रदर मोनो एमएफपी मॉडल डीसीपी एल2531" डीडब्ल्यू की खरीद
4	नोहराधार	राजना लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मांगपत्र सं. रावलक्रियार खंड 2020-12	1,51,680	चंगावटी खड्ड कलबोग-नगर
		चाखना तुम्मन लिफ्ट सिंचाई योजना	हिमाचल कमांड क्षेत्र विकास	42; 27/08/2022	1,05,000	लिफ्ट सिंचाई योजना अंधेरी एवं लिफ्ट सिंचाई योजना बर्मी पपड़ी
5	करसोग	पंजानू, पंगना लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6 समझौते	10,26,982	विभिन्न अन्य योजनाएं
		पंजानू, पंगना लिफ्ट सिंचाई योजना	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	122 (A) 2021-22	7,03,758	वाहन किराए पर लेना
		सुंदरनगर लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15 Of 6/2021	83,365	छंदियारा जल आपूर्ति योजना
6	सुंदरनगर	तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) में जुगाहन से जराल तक प्रवाह सिंचाई योजना उपलब्ध कराना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	17 of 8/2021	1,62,309	छंदियारा जल आपूर्ति योजना
		सुंदरनगर लिफ्ट सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मांगपत्र संख्या महादेव खंड/2018-31 दिनांक 03.10.2018	3,13,470	जल शक्ति विभाग ठुनाग मंडल
7	कुल्लू-1	तहसील व जिला कुल्लू में लिफ्ट सिंचाई योजना भत्यापी, भूमतीर व ब्राह्मण उपलब्ध कराना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वीआर. सं. 215 दिनांक 03/2018	22,34,677	कुल्लू नगर जल आपूर्ति योजना का संवर्धन
				वीआर. सं. 243/3/2018	26,85,197	कुल्लू नगर जल आपूर्ति योजना का संवर्धन
				वीआर. सं. 265/3/2018	31,17,020	ग्राम पिचकली, हुनांग, मंडलगढ़ की जल आपूर्ति योजना का संवर्धन
				वीआर. सं. 126 दिनांक 3/2018	3,73,737	प्रवाह सिंचाई योजना बुवा, कावरन सेरी
				टीई सं. 14/3/2018	64,60,000	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना, कुल्लू

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के निर्यातक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मंडल	योजना	के तहत प्राप्त निधियां	गाउचर सं./समझौता संख्या/मांग पत्र सं. एवं तिथि/एमएस सं.	राशि	जिस उद्देश्य के लिए व्ययवर्तन किया गया
		लिफ्ट सिंचाई योजना पिरडी	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वीआर सं. 55 दिनांक 23.09.2021	13,40,000	तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रेरी माशगन क्षेत्र हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना
		सेउड हाथीथान कहदुधार को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना, तेगुबेहड़ जमोट खोखन को लिफ्ट सिंचाई योजना उपलब्ध कराना, तहसील व जिला कुल्लू में लिफ्ट सिंचाई योजना हाट उपलब्ध कराना	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	वीआर. सं. 10; 19.12.2012	36,517	हाथीथान में सामुदायिक केंद्र का निर्माण
		तहसील भुंतर, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में नेओल नौटोड लिफ्ट सिंचाई योजना ।	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वीआर. सं. 76, 23.01.2013	43,399	हाथीथान में सामुदायिक केंद्र का निर्माण
8	लारजी स्थित कुल्लू-II	तहसील बंजार, जिला कुल्लू में धारू रोपा शराई व सिधवान लिफ्ट सिंचाई योजना ।	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वीआर. सं. 55 दिनांक 23.09.2021	9,60,000	तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रेरी माशगन क्षेत्र हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रावधान
				वीआर. सं. 6, 07/06/2023	11,60,000	तहसील बंजार, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में बालगड़, चेतार व खबल लिफ्ट सिंचाई योजना
			<b>योग</b>		<b>2,33,64,351</b>	

## परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

## नमूना-जांचित मंडलों में शून्य खपत के लिए ऊर्जा शुल्कों के भुगतान का विवरण

क्र. सं.	मंडल	क्र. सं.	योजना का नाम	ऊर्जा शुल्कों की अवधि	राशि (₹)
1	जुब्बल	1	लिफ्ट सिंचाई योजना कोट-कैना चरण 3	अप्रैल 2019 से जनवरी 2022 तक	1,55,840
		2	लिफ्ट सिंचाई योजना बाघल (चरण- I व चरण- II)	मई 2019 से दिसंबर 2022 तक	2,11,190
		3	लिफ्ट सिंचाई योजना सुंदर नगर (स्टेज-1 स्टेज-II)	मई 2019 से मार्च 2023 तक	5,50,145
		4	लिफ्ट सिंचाई योजना बाघी	जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक	2,98,098
2	नाहन	5	लिफ्ट सिंचाई योजना चारना देवलियान संग्रह	मई 2020 से मार्च 2021	8,97,050
3	नोहराधार	6	लिफ्ट सिंचाई योजना लाना पल्लर (उप-मंडल संग्रह)	अप्रैल 2019 से फरवरी 2023 तक	20,31,068
		7	लिफ्ट सिंचाई योजना भवाई प्रथम चरण (उप-मंडल हरिपुरधार)	मई 2020 से मार्च 2023 तक	1,75,637
		8	लिफ्ट सिंचाई योजना भवाई द्वितीय चरण (भुवाई) (उप-मंडल हरिपुरधार)	मई 2020 से मार्च 2023 तक	2,57,227
		9	लिफ्ट सिंचाई योजना शल्लान उप-मंडल राजगढ़	अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक	51,488
		10	लिफ्ट सिंचाई योजना धरोटी उप-मंडल राजगढ़	अगस्त 2022 से मार्च 2023	1,34,550
4	करसोग	11	लिफ्ट सिंचाई योजना शकरा (उपमंडल चुराग) करसोग जिला मंडी	अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक	24,70,590
5	सुंदरनगर	12	लिफ्ट सिंचाई योजना सुधन सुंदरनगर	अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक	11,68,530
		13	लिफ्ट सिंचाई योजना देहावी सुंदरनगर	अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक	7,65,703
		14	लिफ्ट सिंचाई योजना चामुखा हराबाग सुंदरनगर	अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक	1,76,108
<b>योग</b>					<b>93,43,224</b>





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>

